असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

25 जुलाई, 2019

षोडश विधान सभा — वृहस्पतिवार, तिथि 25 जुलाई, 2019 ई0
त्रयोदश सत्र — 03 श्रावण, 1941(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । प्रश्नोत्तर काल । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे । अल्पसूचित प्रश्न संख्या-32 : श्री संजय सरावगी । नगर विकास एवं आवास विभाग ।

(व्यवधान)

आप 12 बजे उठाइयेगा । सुनेंगे ।

प्रश्नोत्तर-काल

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 32 (श्री संजय सरावगी)

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत पॉच बड़े नालों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नलिखित है :-

i. दोनार गुमटी से टिनही पुल - दोनार गुमटी से टिनही पुल तक का नाला निर्माण का कार्य यूटिलिटी, शिफ्टिंग, डिजाइन के वेटिंग एवं फॉरेस्ट क्लीयरेंस के कारण कार्य आरंभ नहीं हो सका है ।

ii. कर्पूरी चौक से शैदनगर - योजना का निविदा प्रक्रियाधीन है ।

iii. बेता चौक से डी0एम0सी0एच0 बच्चा वार्ड तक - योजना का निविदा प्रक्रियाधीन है ।

iv. डी0एम0सी0एच0 से छपरार घाट - योजना का कार्यान्वयन हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए सम्पूर्ण राशि आवंटित की जा चुकी है । भूमि अधिग्रहण का कार्य पूर्ण होने के उपरांत नाला निर्माण का कार्य करा दिया जायेगा ।

v. शैदपुर से एकमी घाट - वर्णित योजना पथ निर्माण विभाग से संबंधित है ।

2- आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि योजना के संबंध में स्थिति कंडिका-1 में स्पष्ट किया गया है । योजना पूरा होने पर स्वत:

जल-जमाव की समस्या समाप्त हो जायेगी । इस बीच जल निकासी हेतु प्रयास किया जा रहा है ।

3- उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, इन पॉच बड़े नाले की स्वीकृति, जो दोनार से टिनही पुल, डी0एम0सी0एच0 से छपरार घाट, मैं माननीय मंत्री जी को पहले सूचना देना चाहता हूँ, दोनार से टिनही पुल पहले 5.5 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई थी 2013 में, योजना के विलम्ब के कारण फिर से डी0पी0आर0 बना, यह 27 करोड़ हो गया । डी0एम0सी0एच0 से छपरार घाट - पहले 2 करोड़ का भू-अधिग्रहण के लिए राशि थी, पदाधिकारियों के विलंब के कारण यह 11.5 करोड़ हो गया ।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ, बोले हैं डिजाइन के कारण या वन विभाग के एन0ओ0सी0 के कारण, मैं यह जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि यह दोनार से टिनही पुल तक की 27 करोड़ की राशि कब स्वीकृत हुई ओर डिजाइन के लिए तथा वन विभाग को कब लिखा गया ? डी0एम0सी0एच0 से छपरार घाट तक जो है, यह भू-अधिग्रहण की राशि कब दी गई और अभी तक क्या प्रक्रिया हुई ? यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : महोदय, इसकी जो प्रक्रिया है, यह इसके डिजाइन के कारण रूका हुआ है । इसपर फंड एलौटेड है और जब यह क्लीयरेंस हो जायेगा तो इसको बनवा दिया जायेगा । इसमें कहीं भी जो काम है, उसका शिलान्यास भी हम जाकर किये थे लेकिन इस कारण से यह रूका है, यह कारण सॉल्व हो जायेगा तो इसको हमलोग बनवा देंगे।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, वहॉ जो हालत है, पूरा चार-चार.....

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, पूरक ही पूछ रहा हूँ । वहॉ जो नारकीय स्थिति है, जो मामले की गंभीरता है, डेली सरकार के खिलाफ वहॉ आंदोलन हो रहा है, पुतला फूंका रहा है ।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी को तारीख बताने में क्या दिक्कत हो रही है कि यह जो दोनार से टिनही पुल 27 करोड़ की राशि की स्वीकृति कब हुई और डिजाइन के लिए तथा वन विभाग को कब लिखा गया ? सामान्य क्वेश्चन है । डी0एम0सी0एच0 से छपरार घाट के लिए राशि

कब दी गई और अभी तक क्या कार्रवाई हुई ? महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से, इतना गंभीर प्रश्न है तो माननीय मंत्री जी को बताना चाहिए कि राशि स्वीकृत कब हुई और वन विभाग तथा डिजाइन के लिए कब लिखा गया ? यह माननीय मंत्री जी बतावें ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष में इसकी राशि की स्वीकृति हुई थी और मैं कह ही रहा हूँ स्पष्ट तौर से, यह सॉल्व होने के बाद इस वित्तीय वर्ष में इसका काम शुरू करवा दिया जायेगा ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और पूरक प्रश्न है । 5 करोड़ की राशि 27 करोड़ पहुंच गई, 1.5 करोड़ की राशि 11.5 करोड़ पहुंच गई और दो-दो साल पहले स्वीकृति हो गई, डिजाइन के लिए, वन विभाग में एक महीना पहले लिखा गया.....

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री संजय सरावगी : नहीं-नहीं, वही प्रश्न पूछ रहा हूँ कि इस विलम्ब के लिए, दो साल के बाद डेढ़ साल के बाद अगर एन0ओ0सी0 के लिए पत्र लिखा गया, डिजाइन के लिए पत्र लिखा गया, ऐसे पदाधिकारी पर माननीय मंत्री जी क्या कार्रवाई करेंगे और जॉच करायेंगे कि क्यों विलंब हुआ वन विभाग को लिखने में और डिजाइन के लिए लिखने में ? वहॉ सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं लोग, तो ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई करेंगे जो दो-दो साल तक स्वीकृति के बाद फाईल को लेकर सोये हुये हैं ?

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसकी जॉच भी करवा ली जायेगी । हम समझते हैं कि इसमें जो प्रक्रिया देर का हुआ है, वह क्यों हुआ है, इसकी जॉच कराकर जो अधिकारी उसमें दोषी होंगे, उसपर कार्रवाई भी की जायेगी ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, कबतक कार्य प्रारंभ होगा ? यह बतावें जरा माननीय मंत्री।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इतना स्पष्ट उत्तर दे रहे हैं तब भी पूरक प्रश्नों का बौछार हो रहा है । समझ में बात नहीं आती है कि माननीय सदस्य की मंशा क्या है !

(व्यवधान)

अध्यक्ष : श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, बोलिये ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा कमीश्नरी टाउन है और माननीय मंत्री जी ने पूरक सवाल में जवाब दिया है कि मैंने वहॉ जाकर फीता भी काटा था, मतलब शिलान्यास भी किया था, तो कहते हैं कि तोबा-तोबा, मंत्री के शिलान्यास के

बाद भी यह हाल क्यों कर है ? इसपर न बताइये । मुजफ्फरपुर पर ही खाली फोकस ? दरभंगा पर नहीं!

अध्यक्ष : श्री भोला यादव जी ।

श्री भोला यादव : महोदय, मेरे क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है । माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं कि माननीय सदस्य ने जितने नाला का जिक्र किया है, वह सब नाला का पानी मेरे क्षेत्र में गिर रहा है और वह सारा पानी से मेरे क्षेत्र की जो नदियाँ हैं, वह प्रदूषित हो रही हैं, जानवर जो पानी पी रहा है, वह बीमार पड़ रहा है ।

माननीय मंत्री जी से हम यह जानना चाहते हैं कि क्या इन सब नालों में ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की व्यवस्था है ? यदि है तो उसका विस्तृत ब्यौरा दें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, देखवा लीजिये कि वह सीवरेज.... (व्यवधान)

वही तो कह रहे हैं, बैठिये न । ललित जी, इस विभाग से संबंधित जितने मामले आयेंगे, सब तो मंत्री जी ही देखवायेंगे, हम-आप तो देखवा नहीं सकते हैं ।

श्री भोला यादव : महोदय, वहाँ जो पानी गिर रहा है, उससे जानवर बीमार पड़ रहे हैं, उसके शुद्धिकरण के लिए क्या व्यवस्था है ?

अध्यक्ष : उसी के लिए न हमने कहा कि मंत्री जी उसको देखवा लेंगे ।

श्री भोला यादव : उनसे जरा जवाब....

अध्यक्ष : जब आसन का हो गया तो उनसे क्या सुनना चाहते हैं !

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 33 (श्री प्रह्लाद यादव)</u>

श्री राम नारायण मंडल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह मामला सरकार के संज्ञान में है । साथ-ही, जमीन के स्वामित्व का भी विषय है । टोपो लैंड की भूमि के संदर्भ में नीतिगत निर्णय हेतु परामर्श के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने प्रस्ताव विधि विभाग को भेजा है । विधि विभाग से परामर्श प्राप्त होते ही तद्नुसार निर्णय लिया जायेगा ।

श्री प्रह्लाद यादव : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ टोपो की बात कर रहे हैं, टोपो की ही नहीं, गैर मजरूआ मालिक, आम जमीन, महोदय, प्रश्न के खंड-4 को देखा जाय, इसमें क्या लिखा हुआ है, आप दोनों का दीजिये, आम और गैर मजरूआ मालिक तथा टोपो, दोनों का मंत्री जी जवाब दें ।

श्री राम नारायण मंडल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि यह नीतिगत यानी पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी मैटर है तो परामर्श के लिए विधि विभाग को हमने भेजा है । वहॉं से आने के बाद..... (व्यवधान)

माननीय सदस्य, हम भी गंभीर हैं और सरकार चाहती है मामला का निष्पादन जल्द-से-जल्द हो और कई सदस्यों ने मुझसे कहा भी है । इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि समय रहते सब निर्णय कर लिये जायेंगे, पूरा विश्वास रखिये सरकार पर ।

टर्न-2/आजाद/25.07.2019

श्री प्रह्लाद यादव : महोदय, मैं पूरक पूछ रहा हूँ, इनका संकल्प जो निकला है प्रधान सचिव और राज्यपाल के आदेश से निकला है, 925 दिनांक 11.11.2014 को निकला है। उसमें विषय है- आम गैर-मजरूआ और खास, यह बात आया है । आपको बता देना चाहता हूँ कि जमींदारी उन्मूलन के पहले जो हुकुमनामा या बटाई इस तरह का जो निबंधित होकर के ....

अध्यक्ष : आप कहना क्या चाह रहे हैं ?

श्री प्रह्लाद यादव : बता रहे हैं महोदय, इस तरह का जो मामला था, इस तरह का जो गैर-मजरूआ आम मालिक का रहता था, वह देता था तो सरकार का हो जाता चूँकि जमींदार रसीद काटकर देता है । आज तक उसका जमाबंदी चल रहा है । उसका भी ये निबंधन बंद कर दिये हैं ..

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री प्रह्लाद यादव : अभी और है ।

अध्यक्ष : पूछिए, और है तो पूछिए न ।

श्री प्रह्लाद यादव : नियम-1963 आर्टिकल 112 के अनुसार वैसे जमीन जो राजस्व विभाग में निबंधित है, 38 साल उसका समय बीत गया है, उसका जो हक है, वह रैयतों का होगा लेकिन आज तक उसको भी ये बंद कर दिये हैं । यही कानून बनाते हैं और यही बिगाड़ भी रहे हैं । जो कानून बनाये हैं, जो सही बात है और 2012 की बात करते हैं ...

महोदय, तीन पीढ़ी से, चार पीढ़ी से, पॉंच पीढ़ी से जो टोपो जमीन है, वह रैयत के जिम्मा है और उसका जमाबंदी भी चल रहा है । 38

साल का जो कंडीशन लगाये, वह तो 100 साल से उसका जमाबंदी तैयार है । उसको क्यों रजिस्ट्री बंद कर दिये हैं ?

अध्यक्ष : अब हो गया न, अब आप पूछ लिये न ?

श्री प्रह्लाद यादव : महोदय, यह करोड़ों किसानों की बात है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, आपका ही नियम है, आपका ही सारा चीज है तो क्या ऐसे नियम जो इस नीति से अलग नियम बनाया गया, जिसमें लाखों हेक्टेयर जमीन करोड़ों किसानों का आप हड़पना चाहते हैं, क्या उसका निबंधन कराना, उसका रसीद कटवाना किसान को रसीद सब सुविधा देने का विचार रखते हैं, माननीय मंत्री जी इसका जवाब दे दीजिए, इसमें तीन बात है ।

अध्यक्ष : प्रह्लाद जी, माननीय मंत्री जी ने आपकी बातों के संदर्भ में यही बातें कही हैं कि इसमें टोपो लैंड में भूमि के स्वामित्व का मसला है, उसपर अधिकार किसका है और किसका होना चाहिए । इस संदर्भ में माननीय मंत्री ने बताया है कि वे लिखकर के विधि विभाग से परामर्श मांगे हैं, मांग चुके हैं और विधि विभाग से आवश्यक परामर्श प्राप्त होने पर एक सम्यक सरकार की नीति टोपो लैंड के बारे में बनायेंगे । इन्होंने यह कहा है, अब इसमें क्या कहना चाहते हैं ?

श्री प्रह्लाद यादव : महोदय, हम उससे अलग बात कह रहे हैं । जो नीति 38 वर्ष का बनाया है नीति, उसका जमाबंदी में नाम है ...

अध्यक्ष : वही तो वे कह रहे हैं । टोपो की बात कह रहे हैं ।

श्री प्रह्लाद यादव : टोपो जमीन का भी जमाबंदी में नाम है, 100-100 साल से नाम है । गैर-मजरूआ जमीन जिसका 38 साल बीत गया है, वैसे जमीन को तो निश्चित रूप से मुक्त करें ।

अध्यक्ष : अब रामानुज जी को पूछने दीजिए, ये भी टोपो के बारे में बहुत दिनों से कहते हैं ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मंत्री जी ने लिखा है विधि विभाग को, लेकिन जिस जजमेंट को बेस करके मंत्री जी ने मुझे तीन बार जवाब दिया है इसी सदन में, इसे आपको भी पढ़ाये हैं । प्रिवी कौंसिल का एक जजमेंट आया था 1958 का, उसको बेस करके सरकार कहती है कि टोपो लैंड का, लेकिन वह केस जो है, इसको मैंने मंत्री जी को भी कई बार पढ़ाया है, विभाग के पदाधिकारी को भी पढ़ाया है कि वह केस पार्टिकुलर हुगली नदी के इमबैकमेंट के भीतर का एरिया से संबंधित है ....

अध्यक्ष : आप कहना क्या चाहते हैं ?

डॉ0 रामानुज प्रसाद : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी इससे बहुत लोग सफरर हो रहे हैं, पूरे राज्य का मामला है और एक जजमेंट भी आया है । मैं जजमेंट लाया हूँ, जजमेंट की एक कॉपी है, इसमें स्पष्ट है कि .....

अध्यक्ष : इसको आप मंत्री जी को उपलब्ध करा दीजियेगा । उस जजमेंट से सरकार बाहर नहीं जा सकती है । जो भी जजमेंट होगा न्यायालय का, सरकार उससे बाहर कैसे जा सकती है?

डॉ0 रामानुज प्रसाद : जी । जजमेंट में स्पष्ट लिखा गया है ....

अध्यक्ष : दे दीजियेगा न, आप जजमेंट उपलब्ध करा दीजिए रामानुज जी, जब मंत्री जी ने कहा है कि विधि विभाग से ही परामर्श ले रहे हैं तो उसमें यह अन्तर्निहित है कि विधि विभाग निश्चित ही न्यायालय के आदेश को देखेगा ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : कब तक इसको विधि विभाग से मंगाकर करेंगे ।

श्री राम नारायण मंडल,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सरकार गंभीर है, मैंने पहले भी कहा है और पूरी गंभीरता से इस विषय को देख रहा हूँ और जल्द से जल्द इस मामले का निष्पादन करायेंगे ।

अध्यक्ष : भोला जी ।

श्री भोला यादव : अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में 2017 में हमने सोनपुर और दानापुर दियरा से संबंधित यह प्रश्न किया था और प्रभारी मंत्री उस समय जो थे, यही जवाब दिये थे कि विधि विभाग से परामर्श ले रहे हैं और परामर्श ले करके करेंगे । ये पिछले 2 साल से विधि विभाग से क्या परामर्श ले रहे हैं, माननीय मंत्री जी बतावें ।

अध्यक्ष : आपका 2017 वाला प्रश्न का उत्तर क्या आया था, इसको हम देख लेंगे ।

श्री भोला यादव : देख लीजियेगा सर ।

श्री अरूण कुमार : अध्यक्ष महोदय, जितना आहर-पोखर है, बिहार सरकार के जितना जमीन है, उसपर इंदिरा आवास से घर बन गया है । उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी लोगों ने कहा कि जितना आहर-पोखर है, सभी की सफाई की जायेगी । इसलिए हम कह रहे हैं कि उस जमीन पर जो इंदिरा आवास का घर बन गया है, उसपर भी अगर उनको पर्चा काट करके नहीं दिया जायेगा तो ये गरीब लोग कैसे रह पायेंगे ? इस संबंध में लोग सी0ओ0,एस0डी0ओ0 और डी0एम0 को लोग आवेदन दे रहे हैं .....

अध्यक्ष : यह सब आप लिखकर के दे दीजिए । तारांकित प्रश्न सं0-क-685 ।

श्री प्रह्लाद यादव : महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब दिलवा दिया जाय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप अगर चले आईयेगा बीच में भी तो इससे जवाब नहीं मिलता है । माननीय मंत्री, नगर विकास विभाग ।

तारांकित प्रश्न सं0-क 685(श्री रविन्द्र सिंह)

श्री सुरेश कुमार शर्मा,मंत्री : 1. स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि यह सड़क नगर परिषद्, अरवल क्षेत्रान्तर्गत में पड़ता है, परन्तु इस सड़क का निर्माण पूर्व में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कराया गया है, जो जर्जर स्थिति में है । प्राथमिकता तथा राशि की उपलब्धता के आलोक में सड़क पुनर्निर्माण कार्य नगर निकाय द्वारा कराया जा सकेगा ।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि यह मुख्य सड़क है और यह बैदराबाद एवं अरवल मुख्यालय को जोड़ने का काम करता है । बड़ी घनी आबादी है और यह रोड सोन किनारे है । अगर यह रोड नहीं बनेगा तो बहुत दिक्कत है, सारे सरकारी कार्यालय और धार्मिक अनुष्ठान भी इधर ही होते हैं । इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस रोड को जल्दी से जल्दी पक्कीकरण करा देने का काम करें।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें समय निर्धारित करा दें ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री : महोदय, मैंने स्पष्ट किया है कि यह सड़क जर्जर है और विभाग को भी कहा गया है कि फंड जो गया है, उसके आधार पर इसको देख लिया जायेगा और इसको बनवा दिया जायेगा ।

अध्यक्ष : अब श्री ललित कुमार यादव जी का स्थगित प्रश्न है ख-1586 ।

तारांकित प्रश्न सं0-ख 1586 (श्री ललित कुमार यादव)

श्री राम नारायण मंडल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2. उत्तर स्वीकारात्मक है ।

3. समाहर्त्ता,दरभंगा के प्रतिवेदनानुसार दरभंगा सदर प्रखंड, नयना घाट, वार्ड नं0-15 के श्रीमती रीता देवी पति-श्री दिलीप पासवान, श्रीमती प्रमिला देवी पति-श्री दिनेश पासवान सुयोग्य श्रेणी के अन्तर्गत वासविहिन होने संबंधी जॉच अंचल अधिकारी,सदर से करायी जा रही है। जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त अभियान रैन बसेरा कार्यक्रम के तहत

वासभूमि बन्दोबस्ती की कार्रवाई की जायेगी । सम्प्रति दरभंगा जिला बाढ़ से प्रभावित रहने के कारण जॉच का कार्य अभी बाधित हो रही है ।

टर्न-3/शंभु/25.07.19

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्न को देखिए, स्थगित प्रश्न है ।

अध्यक्ष : मंत्री जी तो कह रहे हैं कि बाढ़ को देखिए ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, लाभुकों द्वारा अंचल कार्यालय में एक साल पहले पत्र दिया, एक साल के बाद अंचल अधिकारी ने डी0सी0एल0आर0 को पत्र भेजा, जिसका पत्रांक-1197, दिनांक 10.07.2008 है । फिर दूसरी बार डी0सी0एल0आर0 कुछ क्वेरी किया उसके बाद अंचल कार्यालय सदर दरभंगा, पत्रांक-311, दिनांक 05. 02.2019 है । महोदय, यह दो साल से मामला चल रहा है, ठीक है अभी बाढ़ है । महोदय, लाभुक उस श्रेणी में है और महादलित परिवार के लोग हैं, दो साल से अभी तक इनको भूमि नहीं दी गयी है । अभी बाढ़ का तो एक माह हुआ है तो दो साल से जिन पदाधिकारी की गलती से लाभुक को भूमि नहीं दिया गया है उसके लिए कोई कार्रवाई करना चाहते हैं ? महोदय, स्पष्ट है प्रश्न की गंभीरता को देखिए । बाढ़ तो 15 दिन पहले आई है और ये दो साल से है।

श्री रामनारायण मंडल,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न 1 और 2 में स्वीकारात्मक कहा है । जहां तक बाढ़ के सवाल का हमने चर्चा किया है तो माननीय सदस्य वहीं से आते हैं और वे भी समझते होंगे कि बाढ़ को प्राथमिकता देना चाहिए, कितना देना चाहिए नहीं देना चाहिए, उनको भी पता है । इसलिए मैंने कहा है कि बाढ़ से मामला निपटने दीजिए फिर आपका काम निश्चित रूप से होगा । यह मैं आपको बताना चाहता हूँ ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, एक समय सीमा दे दें, दो साल से महोदय, दूसरे के घर पर और बाढ़ तो 15 दिन पहले आई है ।

अध्यक्ष : इन्होंने कहा है कि बाढ़ के बाद निश्चित रूप से- उन्होंने निश्चित रूप से जोड़कर कहा है । अब तो समझ जाइये ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बाढ़ कितना दिन में खत्म होगा फिर बाढ़ कब आयेगी, यह इनको मालूम है ? ये बता दें डेट कि कब खतम होगा, कब आयेगा ।

श्री ललित कुमार यादव : एक प्रश्न और....

अध्यक्ष : अब क्या है ?

श्री ललित कुमार यादव : लाभुक के लिए यदि नहीं हो तो नयी जमीन खरीदकर- सरकार की यह पौलिसी भी है और महादलित परिवार के लोग हैं, दूसरे के घर पर हैं, दर-दर की ठोकर खा रहे हैं । इसके दो साल से लंबित रहने का कोई औचित्य नहीं है । जो पदाधिकारी लंबित रखा है उसके उपर कार्रवाई किया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-1591(श्री सुबेदार दास)

श्री रामनारायण मंडल,मंत्री : 1- स्वीकारात्मक है ।

2- उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । समाहर्त्ता, पटना के पत्रांक-1223, दिनांक 17.07.2019 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार 66 डि0 भूमि पर पर्चाधारी मुन्द्रिका चौधरी का लगभग 50-60 वर्ष पुराना घर बना हुआ है । इसके दो दिशाओं में पी0सी0सी0 ढलाइयुक्त चौड़ा रास्ता है और उनके पूर्व से निर्मित घर पर कोई अतिक्रमण नहीं है । श्री मुन्द्रिका चौधरी 3.66 डि0 भूमि पर काबिज है तथा शेष .34 डि0 भूमि पर श्री जगन्नाथ पासवान के घर का एक मात्र निकास है, जिसमें दरवाजा भी लगा हुआ है ।

3- वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत जिसमें 34 डि0 भूमि पर श्री जगन्नाथ पासवान के घर का एकमात्र निकास का रास्ता है । अतः उक्त भूमि पर पर्चाधारी को दखल कब्जा दिलाया जाना उचित नहीं है । मुन्द्रिका चौधरी के विषयांकित पर्चे में यथोचित संशोधन हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है ।

श्री सुबेदार दास : अध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय मंत्री जी बताने का काम किया है उसमें खासकर के 4-4 डि0 जमीन बंदोबस्त हुआ था । इसमें 20 व्यक्ति का बंदोबस्त हुआ था । जिसमें मुन्द्रिका चौधरी का 4 डि0 जमीन है, 3 डि0 जमीन मात्र उसका है और उसके इर्दगिर्द में जो जमीन अतिक्रमण किये हुए हैं जो 14 फीट दक्षिण के तरफ चौड़ा है और 25 फीट लंबाई में वे अतिक्रमण किये हुए हैं । इनका रास्ता बंद किये हुए हैं, हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि वह जो रास्ता है उनके जमीन का ही रास्ता है 1 डि0 में जो अतिक्रमण किये हुए हैं । हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी इसपर कब्जा दिला दें ।

श्री रामनारायण मंडल,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने इनके प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट जवाब दिया है कि समाहर्त्ता, पटना के पत्रांक-1223 जो उनके द्वारा मुझे रिपोर्ट प्राप्त हुआ है । यह बात हमने बताया है और तब भी अंत में कहा है कि मुन्द्रिका चौधरी के

विषयांकित पर्चे पर यथोचित संशोधन हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है । ये बात मैंने इनको कहा है। शायद मेरे उत्तर को ध्यान से नहीं सुन पाये ।

श्री सुबेदार दास : अध्यक्ष महोदय, इसमें 13 जुलाई को अंचलाधिकारी ने पुष्टि किया है कि 1 डि0 जमीन कब्जा में है, इसमें बताया गया है ।

अध्यक्ष : उन्होंने यह भी कहा है कि अब उसको संशोधित करने का प्रस्ताव आगे बढ़ चुका है। यह आपने नहीं सुना ।

तारांकित प्रश्न सं0-1598(श्री संजीव चौरसिया)

श्री सुरेश कुमार शर्मा,मंत्री : 1- स्वीकारात्मक है ।

2- आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि अदालतगंज अन्तर्गत ईख मुहल्ला, जनशक्ति प्रेस एवं अदालतगंज नाला के बगल के स्लम बस्तियों में पेयजल आपूर्ति की निविदा की जा चुकी है तथा यारपुर स्थित कमला नेहरू नगर एवं अन्य स्लम बस्तियों में पाइप बिछाने हेतु प्राक्कलन कार्य प्रक्रियाधीन है । राशि की उपलब्धता के आलोक में कार्य पूर्ण कराया जा सकेगा।

3- उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है ।

श्री संजीव चौरसिया : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि पटना स्थित इतनी बड़ी आबादी है और सात निश्चय के अन्तर्गत जो पूरी योजना चल रही है उसमें स्लमों के ध्यान का आधार माननीय मंत्री जी ने जैसा बताया कि 101 स्लम एरिया पटना के अंदर है और जहां भी सरकारी आवास के पीछे कहीं न कहीं बड़ी आबादी है- नौकोठिया से लेकर सरजडी से लेकर यारपुर मेहतर टोला, यारपुर, अदालतगंज, बकरी टोला, कबाड़ी मुहल्ला, कौशल नगर एक बड़ी आबादी का क्षेत्र है तो उनके लिए माननीय मंत्री जी बतायें कि कृपा कर योजना को पूर्ण करने का काम कब तक करेंगे और उसके लिए क्या ठोस है, चूंकि स्लम नीति जो 2011 में बनी थी बिहार राज्य मलिन स्लम नीति जो बनी थी उसके अन्तर्गत सभी को देने का प्रावधान है और 20 से ज्यादा घर होने पर स्लम डिक्लियर है । नगर निगम द्वारा जो 110 स्लम डिक्लियर है उसके लिए जल के बारे में पूरी व्यवस्था के दृष्टि से माननीय मंत्री जी क्या विचार रखते हैं ?

श्री सुरेश कुमार शर्मा,मंत्री : महोदय, माननीय का जो प्रश्न है उसके बारे में तो हमने स्पष्ट कर दिया है कि प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है उसको हम जल्द करवा देंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-2228(श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह)

श्री मदन सहनी,मंत्री : महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है । जिला पदाधिकारी, सीवान ने प्रतिवेदित किया है कि इस तरह का कोई भी मामला प्रकाश में आने की सूचना प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बसंतपुर, लकड़ी नवीगंज एवं गोरियाकोठी के द्वारा नहीं दी गयी है । उल्लेखनीय है कि अगर कोई व्यक्ति राशन एवं किरासन को अनुदानित दर पर लाभ लेने के लिए अपात्र व्यक्ति है तथा उसे पूर्व से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना केक तहत पी0एच0एच0 अथवा अंत्योदय का राशन कार्ड उपलब्ध है तो वैसे व्यक्तियों को चिहिन्त कर विभागीय निदेश के आलोक में अपात्रता के आधार पर उनके राशन कार्ड को रद्द करने की कार्रवाई चल रही है ।

महाराजगंज अनुमंडल अन्तर्गत अब तक कुल 1889 अपात्र परिवारों को पी0एच0एच0 सूची से हटाया गया है एवं इनके राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया है। साथ ही वैसे व्यक्ति जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पी0एच0एच0 योजना का लाभ पाने की पात्रता रखते हैं तो उनके द्वारा लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत संबंधित प्रखंड के आर0टी0पी0एस0 काउंटर पर आवेदन जमा किया गया है अथवा आवेदन जमा किया जा रहा है, जिसे जॉचोपरान्त स्वीकृत होने की स्थिति में राशन कार्ड उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है ।

क्रमशः

टर्न-4/ज्योति/25-07-2019

क्रमशः

श्री मदन सहनी, मंत्री : अबतक अनुमंडल अंतर्गत 10267 लाभुकों को राशन कार्ड निर्गत किया जा चुका है वैसे पी.एच.एस. राशन कार्ड के पात्र व्यक्ति जिन्होंने आर.टी. पी.एस. काउंटर पर आवेदन जमा नहीं किया उन्हें राशन कार्ड बनवाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अभी कहा है कि कलक्टर, सिवान ने लिखित दिया है कि मेरे यहॉ कोई पेटीशन नहीं पड़ा है । मैं ही क्वेश्चन 2017 में, इस सदन में किया था कि 40 प्रतिशत जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हैं छूट गए हैं और 40 परसेंट ऐसे लोगों का नाम दर्ज किया गया है जो गरीबी रेखा

में नहीं है । काफी बहस हुई थी और जॉच करायी गयी । लेकिन जॉच की खानापूरी की गयी । सरकार के द्वारा नियमावली बनायी गयी कि जो लोग वंचित हैं, उनका आवेदन आर.टी.पी.एस. में लिया जा राहा है तो यह दो बोरा हमारे अनुमंडल महाराजगंज में आवेदन रखा हुआ है, उनको कोई फुर्सत नहीं है जॉच कराने के लिए, मुझे कहना है कि दर्खास्त देने के बाद भी 20 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग वंचित हैं वहीं 20 प्रतिशत ऐसे लोगों को राशन मिल रहा है जो पेंशन लेते हैं, जो विदेश में नौकरी करते हैं, जिनके घर में 5-6 लोग सर्विस में है । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि डी.एम. साहेब की चिट्ठी भ्रामक है, गलत है, आप अपने स्तर से किस एजेंसी से जांच कराकर ऐसे व्यक्तियों को जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हैं जो वंचित है, उन्हें राशन कार्ड दिलाने का विचार रखते हैं ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके हिसाब से जिन परिवारों का राशन कार्ड बनना चाहिए नहीं बना है जिन्होंने आवेदन दिया है, अब तो यह सब आर.टी.पी.एस. में आ गया है, उसके तहत जो दिया है और नहीं बना है, उसकी सूची दीजिये, माननीय मंत्री जी, वरीय पदाधिकारी से जॉच करा देंगे ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात आप नहीं समझ सके । सर्वे करावे कि सर्वे जो हुआ था ..

अध्यक्ष : सर्वे तो अनवरत प्रक्रिया है, वह चलते रहती है, आप समस्या का निदान चाहते हैं या सिद्धान्त पर बहस चाहते हैं ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : मैं सिद्धान्त पर बात करता हूँ । सिद्धान्त पर बात किया जाय, आवेदन का कोई माने मीनिंग नहीं है ।

अध्यक्ष : सत्यदेव जी, प्रश्न के माध्यम से किसी सिद्धान्त पर बहस नहीं हो सकती है प्रश्न के माध्यम से समस्या का निदान होता है ।

श्री सत्यदेव सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो लोग छूट गए हैं ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या 2229- श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी</u>

श्री राणा रणधीर, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा कोल्ड स्टोरेज का निर्माण एवं संचालन नहीं किया जाता है बल्कि कोई निवेशक, उद्यमी, कृषक या कोई कृषक समूह कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराना चाहते हैं तो उसे राष्ट्रीय बागवानी मीशन, मुख्यमंत्री बागवानी मीशन योजना के तहत टाईप वन और टाईप टू कोल्ड स्टोरेज निर्माण का

कार्यक्रम है जिसके लिए अनुमानित लागत क्रमशः 8 हजार प्रति मीट्रिक टन एवं 10 हजार प्रति मीट्रिक टन है । भारत सरकार के मार्गदर्शिका के अनुसार कुल लागत मूल्य का 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड बैंक इंडेंट अनुदान का प्रावधान अधिकत्तम 5 हजार मीट्रिक टन क्षमता के लिए है । इसप्रकार टाइप वन कोल्ड स्टोरेज के लिए अधिकत्तम 1 करोड़ 40 लाख रुपया एवं टाइप टू कोल्ड स्टोरेज के लिए अधिकत्तम 1 करोड़ 75 लाख रुपया राशि अनुदान देय है । अतएव संबंधित क्षेत्र में यदि कोई निवेदक, उद्यमी, कृषक समूह, कृषक उक्त क्षेत्र में फल एवं सब्जी भंडारण हेतु कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराना चाहते हैं तो राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनुज्ञप्ति की स्वीकृति एवं सहायता अनुदान प्रदान की जायेगी ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी : धन्यवाद ।

अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न संख्या 2230 श्री राजेन्द्र कुमार ...

श्री विजय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, हमारे जिला से जुड़ा हुआ है । माननीय मंत्री जी बताये हैं कि कोई भी व्यवसाय करने वाले जाकर कोल्ड स्टोरेज खोलने का काम कर सकते हैं जिस इलाके में, गरीब इलाका है, अति पिछड़ा इलाका है और यदि वहां कोई संभ्रान्त व्यक्ति नहीं हैं, किसान नहीं है तो क्या वहॉ के किसानों की सब्जी जो होती है उसके लिए कोई सरकार की तरफ से कोई उपाय है कि कोई कोल्ड स्टोरेज सरकार खोलने या खोलवाने का काम करें क्योंकि हमें मालूम है माननीय मंत्री जी ..

अध्यक्ष : वहीं के आदमी का होना आवश्यक थोड़े ही है । बाहर के उद्यमी भी चाहेंगे तो खोल सकते हैं ।

श्री विजय प्रकाश : हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि उस रिमोट इलाके में यदि कोई नहीं जाना चाहते हैं कोई पूंजी निवेश नहीं करना चाहते हैं तो वैसी जगहों पर किसानों की क्या स्थिति होगी, सरकार इसके बारे में क्या सोचती है क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि माननीय कृषि मंत्री जी गए हुए हैं एक हमारे केड़िया गांव है जहॉ वर्मी कम्पोस्ट से लगभग एक हजार की आबादी है, वहॉ आज भी पॉच सालों से जरा भी कोई दूसरे बाजारु खाद का उपयोग नहीं किया जाता है, वहॉ बम्बई से एक छोटा सा कोल्ड स्टोरेज गया हुआ है लेकिन वहॉ इतना उत्पादन होता है कि किसानों की उपज बर्बाद हो जाती है, इसके लिए क्या उपाय होगा इसके बारे में बतायें मंत्री जी ।

श्री राणा रणधीर, मंत्री : माननीय सदस्य की चिन्ता जायज है और सरकार किसानों की चिन्ता करती है इसलिए मैंने उत्तर में भी कहा है, आप अगर ध्यान से सुनेंगे कि बाहर का भी कोई निवेशक जैसा अध्यक्ष महोदय बता रहे थे, कोई निवेशक कहीं का, बिहार भर का कोई भी व्यक्ति जा कर वहॉ बना सकता है, कोई उद्यमी, कोई निवेशक, कोई कृषक या कहीं का भी कृषक समूह कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराना चाहते हैं तो बैक लिंक्ड इंडेंट के अनुदान पर सरकार जो है उनको करीब दो तरह का बनता है कोल्ड स्टोरेज टाइप वन और टाईप टू दोनों के लिए अनुदान देय है सरकार देती है टाईप वन के लिए 1 करोड़ 40 लाख और टाईप टू के लिए 1 करोड़ 75 लाख देगी । आप जैसा उद्यमी या कोई भी व्यक्ति बाहर से जिस इलाके की आप चिन्ता कर रहे हैं वहॉ जाकर वह सरकार की मदद से वहॉ जो बैंक है जिले में आसपास का कोई बैंक हो, उसकी मदद से बिल्कुल खोल सकता है । सरकार इसके लिए तत्पर है और दो मिनट सुन लीजिये , आपकी चिन्ता पर दो लाईन मैं अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि ''तेरे शहर का पेट मेरी गांव की मिट्टी से पलता है गौर तलब है रहे कि देश अपना गांव में बसता है ।

श्री मेवा लाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, नेशनल हौर्टिकल्चर बोर्ड जो मिनिस्ट्री औफ एग्रीकल्चर के अंदर है इस तरह के फेडरेशन को बहुत सपोर्ट कर रही है सर । 30 परसेंट सबसिडी देती है, अगर दस से बारह किसान हो कहीं भी खोल सकता है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 2230 श्री राजेन्द्र कुमार

श्री विनोद नारायण झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चंपारण जिला के हरसिद्धी प्रखंड के सोनवर्षा ग्रामीण जलापूर्ति में जल मिनार का निर्माण एवं पाईप बिछाने का कार्य प्राक्कलन के मानको के अनुसार किया गया है । जलापूर्ति चालू है । इस योजना से 471 गृह जल संयोजन भी दिया गया है लेकिन मुख्यमंत्री निश्चय योजना के अंतर्गत हर घर नल से जल योजना की प्राक्कलित राशि रुपया 61 लाख 67 हजार 3 सौ रुपये हैं से इससे आच्छादित होने वाले वार्ड 5,6,8,9,10,11 एवं 12 हैं । इससे उक्त वार्डों के शेष 947 घरों को जल संयोजन हेतु 8-5-2019 को एकरारनामा हो गया है । काम प्रारम्भ हो गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय , माननीय मंत्री से मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि यह प्राक्कलन के अनुरुप हुआ है, मेरा निर्माण पर कोई सवाल नहीं है लेकिन जहां

तक पाईप लाईन बिछाना था जो सरकार के द्वारा जल नल योजना के तहत 12 और 11 वार्ड में कार्य कराने की बात हो रही है । पहले से चिन्हित किया गया कि जल मिनार से फलां फलां घर को जलापूर्ति की जायेगी परन्तु वह न तो जल नल में शामिल हो पा रहे हैं न ही आपके जल मिनार से उनको जल आपूर्ति हो पा रही है वह वंचित हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो संवेदक हैं जो चिन्हित किया वह किन कारणों से जो चिन्हित गांव थे, वहॉ तक पाईप लाईप बिछा नहीं पाया, यह माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा दूसरी बात है वह जल मिनार संचालन के लिए नहीं कोइ सरकारी कर्मी न ग्रामीण कमिटी का निर्माण अभी तक हो पाया इसलिए माननीय मंत्री से जानना चाहेंगे कि संचालन करना कैसे चाहते हैं, उसको और जहां पाईप लाईन चिन्हित किया गया था, वहां तक पाईप लाइन कैसे पहुंचेगा, किस तरीके से उन्हें जलापूर्ति दी जायेगी, माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे ।

श्री विनोद नारायण झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो रिपोर्ट है उसको उतना ही बनाना था शेष गांव के लिए इन्होंने पूछा है बगल के गांव तक जल नहीं पहुंच पायेगा तो बगल के गांव के लिए एक नया टेण्डर किया गया उसका एकरारनामा भी हो गया है 61 लाख 67 हजार 3 सौ रुपये का है वो और उससे 8-5 का एकरारनामा भी हो गया है और काम शुरु हुआ है तो बगल के गांव में नहीं देना था उसको ये देगा और यह जो देगा इसको 5 वर्ष का मेंटेंनेंस भी दिया गया है इसीलिए सरकार अलग से इसके लिए व्यवस्था नहीं करेगी । यही जो कंट्रैक्टर है वही उसका मेंटेंनेंस का काम भी पॉच वर्षो तक करेगा ।

टर्न-5/25.07.2019/बिपिन

श्री राजेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है । मेरा कहना है कि जिन घरों को चिन्हित किया गया था जलमीनार से पानी उपलब्ध कराने का, वह जनधन योजना से भी नहीं मिल पा रहा है और आपके जलमीनार से भी नहीं मिल पा रहा है । इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि क्या उसको जांच करवा कर जो वंचित घर है उसे जलापूर्त्ति उपलब्ध कराने का विचार रखते हैं ?

दूसरा, संचालन समिति अभी तक नहीं बनी है उसका निर्माण कराने का विचार रखते हैं ?

श्री विनोद नारायण झा, मंत्री :संचालन समिति तो बनाना नहीं है क्योंकि उसी कंट्रैक्टर को मेंटेनेंस दिया गया है और जिन घरों की बात माननीय सदस्य कह रहे हैं उसी से शेष घरों के लिए तो यह टेंडर हुआ है 61,67,300/- रूपए की । उससे बाकी घर जो बाकी रह गए हैं, उसको हर घर नल दिया जाएगा और यही कंट्रैक्टर उस जलमीनार का पांच साल मेंटेनेंस भी करेगा ।

अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न संख्या-2231. श्री नन्द कुमार राय । माननीय मंत्री नगर विकास आवास विभाग ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब आपके सारे प्रश्नों का उत्तर हो चुका है ।

श्री राजेन्द्र कुमार : एक मिनट । मेरा कहना है कि ....

अध्यक्ष : क्या है ?

श्री राजेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का कहना है कि मेंटेनेंस का काम संवेदकों को दिया गया है, मेरा कहना है कि संचालन यानी ऑपरेटिंग कार्य जो है वह सरकार की कर्मी या ग्रामीण समिति करते हैं ।

अध्यक्ष : इसमें संचालन भी निहित है ।

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय, वहां संवेदक अभी तक उसका व्यवस्था नहीं किया है ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-2231 (श्री नन्द कुमार राय)</u>

श्री सुरेश कुमार शर्मा, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, 1- उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि मोतीपुर नगर पंचायत के वार्ड नं0-14 स्थित कचरा पीट से मनोज पासवान के घर होकर महना रोड तक की सड़क जिसकी लम्बाई लगभग 2 किलोमीटर है, वर्त्तमान समय में जर्जर स्थिति में है । उक्त सड़क निकाय के प्रस्ताव सं0-09, दिनांक 21.12.2016 द्वारा मरम्मति एवं चौड़ीकरण हेतु प्रस्तावित है । राशि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर सड़क का निर्माण कार्य कराया जा सकेगा ।

श्री नन्द कुमार राय: अध्यक्ष महोदय, यह जो जवाब है वह नगर पंचायत का है, तो 2 किलोमीटर जो सड़क है वह नगर पंचायत के वश के बाहर है । निधि न होगा, न वह बनेगा । इसलिए मंत्रीजी से मेरा अनुरोध है कि जल्द-से-जल्द इसको अपने निधि, राज्यकोष से बनाने का काम करें ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-2232. (श्री अवधेश कुमार सिंह)</u>

श्री रामनारायण मंडल, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, समाहर्त्ता, पटना ने पत्र संख्या-1175 दिनांक 20.7.2019 से प्रतिवेदित किया है कि करजान से ताजपुर पुल निर्माण परियोजना हेतु खाता

संख्या 88, खेसरा संख्या 346, रकबा 0.28 एकड़ की मुआवजा राशि का भुगतान आर.टी.जी.एस. के माध्यम से अठमलगोला प्रखंड के ग्राम-कल्याणपुर के निवासी श्रीमती निर्मला देवी एवं नवीन कुमार सिंह को किए जाने हेतु दिनांक 05.7.2019 को बैंक भेज दिया गया था तथा बैंक द्वारा श्रीमती निर्मला देवी एवं नवीन कुमार के बैंक खाता में राशि का हस्तांतरण कर दिया गया है ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री को बधाई देते हैं, मगर क्या इस तरह के भुगतान, डेट आप देखें और प्रश्न कब किया गया है, मेरा कहना है कि राज्य में जो जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं, सरकार करती है पुल में, रोड में, वह भुगतान पर सरकार को ध्यान देना चाहिए लेकिन बिहार विधान सभा में कोश्चयन देने के बाद उसका भुगतान हो ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2233 (श्री सरोज यादव)

श्री राम नारायण मंडल, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है । इस संबंध में कोई आधिकारिक सूचना / अभिलेख संबंधित अंचल कार्यालय में उपलब्ध नहीं है । भोजपुर जिलान्तर्गत गंगा के तटवर्त्ती इलाकों के गंगा के पानी में डूबे रहने के कारण कैडेस्ट्रल सर्वे/रीजनल सर्वे नहीं हुआ है । सर्वे नहीं होने के कारण किसान में रैयतों के साथ भूमि की बंदोबस्ती नहीं की गई है । वर्त्तमान में असर्वेक्षित मौजा का जमीन सरकारी जमीन है जिसका वर्त्तमान में लगान रसीद निर्गत किया जा रहा है ।

असर्वेक्षित टोपोलैंड की भूमि सरकारी भूमि है । टोपोलैंड भूमि के संदर्भ में नीतिगत निर्णय के लिए प्रस्ताव विधि विभाग को भेजा गया है । विधि विभाग का मंतव्य/परामर्श प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

श्री सरोज यादव: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि रसीद नहीं काटा जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरे यहां 20,000 बीघा जमीन है जो उपजाऊ जमीन है, किसानों का जमीन है, उसका 2016 तक रसीद काटा गया है, 2016 तक रजिस्ट्री की गई है । अध्यक्ष महोदय, यह मामला 1934 से 1958 के बीच जमींदारी प्रथा से छोटे-छोटे जमीन्दारों की जमींदारी प्रथा थी, उस समय दिया गया । उसके बाद 14.7.2018 को बक्सर जिला से लेकर भागलपुर, कहलगांव तक टोटल 12 जिला को टोपोलैंड घोषित कर दिया गया है । महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूं - मेरे पास लेटर भी है । प्रधान सचिव के अध्यक्षता में मीटींग की गई है जिसका पत्रांक-3113 दिनांक 20.7.2017 है । स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है अध्यक्ष महोदय कि मेरे क्षेत्र में जो उपजाऊ जमीन है, वह सर्वे नहीं कराया गया है । उसमें

किसान की कोई गलती नहीं है महोदय । 1960 से लेकर 1971 तक जो सर्वे हुआ अध्यक्ष महोदय, उस जमीन का सर्वे नहीं किया गया । ऐक्चुअली बात ऐसा हुआ कि जो भी वहां सर्वे करने गए पदाधिकारी, बैठकर महोदय, उस जमीन को सरकारी किया गया था जो पानी और बालू सम्मिलित हो, उस जमीन को । अध्यक्ष महोदय, बहुत ऐसी जमीन है जो कि लोग उसपर बसे हुए भी हैं, बस्ती बसी हुई है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जो गरीब परिवार के लोग हैं ...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये न । आप तो बोले जा रहे हैं ।

श्री सरोज यादव : उतना ही जमीन है अध्यक्ष महोदय जो कि अपने बेटी के शादी-ब्याह करने के लिए उस जमीन का उपयोग करते हैं, इलाज के लिए भी उपयोग करते हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय, 2016 के बाद लगान लेना बंद कर दिया गया है, रजिस्ट्री कराना बंद कर दिया गया है । मैं चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि विधान सभा से कमिटी गठित कर उसकी जांच करा ली जाए और जांच कराने के बाद उन किसानों का जमीन मिल जाएगा ।

अध्यक्ष : नवाज आलम जी बोलिए ।

श्री मोहम्मद नवाज आलम: अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी ने कई ऐसे इस तरह के टोपोलैंड के बारे में जानकारी देने का काम किया कि यह जो है विधि विभाग से हम परामर्श ले रहे हैं । हम माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि आपने कब-कब विधि विभाग को पत्र भेजा है तो उस चीज की जानकारी करा दी जाए...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : वह भोला जी के प्रश्न में हो चुका है ।

मंत्री जी, कुछ बताएंगे या वही है ?

डॉ0 रामानुज प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि मंत्री जी को जो बताया जा रहा है पदाधिकारियों के द्वारा, मुझे लगता है कि मिसलीड किया जा रहा है। चूंकि टोपोलैंड का जो नेचर है, टोपोलैंड जो कहा जाता है उसको कोर्ट ने स्पष्ट किया हुआ है कि साहब जो नदी के पेटी के और वह जो था कि साहब नाविक इस पर चला सकते हैं कि नहीं, उसके लिए था और ये बाहर में जो कहा कि दो तरह के नदी को परिभाषित किया है ...

अध्यक्ष : आप पहले भी कोर्ट की बात किए थे, हमने कहा था कि जब विधि विभाग का ही परामर्श आ रहा है, आप वह कोर्ट वाला कागज मंत्री को/विभाग को दे

दीजिए । विधि विभाग उसको समीक्षा करेगा । वही तो हम कह रहे हैं । पीछे भी कहे थे । फिर वही बात कह रहे हैं ।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह : टोपोलैंड जो है, विधान सभा में बराबर सवाल बनकर खड़ा रहता है । टोपोलैंड का जो नेचर है, जो मेरे जिला का भी यह मामला है, पचासों वर्षों से किसान के द्वारा उस जमीन पर कृषि की जा रही है और सरकार के द्वारा उससे राजस्व वसूल किया जा रहा है । हाल के वर्षों में सरकार के द्वारा राजस्व वसूली पर रोक लगा दी गई है तो हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि टोपोलैंड को किसान के हित में मुक्त करने का कार्य करें और किसान को चिन्हित कर लें । टोपोलैंड किसी जमींदार के अंदर न हो । छोटे-छोटे किसान के अंदर के टोपोलैंड को मुक्त कराया जाए ।

टर्न : 06/ कृष्ण/ 25.07.2019

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यों की जो भावना या जिन प्रश्नों को या जिन बातों को उठाया है, विभाग निश्चित रूप से उन बातों पर भी कानूनी राय ले ले और उनका संज्ञान रखे । जब सरकार नीति बना रही है तो स्वाभाविक रूप से इन चीजों का भी उसमें संज्ञान रहना चाहिए ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, हमलोग भी उसी इलाके के रहनेवाले हैं । हजारों बीघा जमीन है सर, जो टोपो लैंड है, हमारे यहां, पटना जिला में और हमलोगों के इलाके में, उनलोगों का आज रसीद नहीं कटता है ।

अध्यक्ष : वह बात तो आ चुकी है कि पहले रसीद कटती थी, अब रसीद कटना बंद हो गया है, रजिस्ट्री होना बंद हो गया है, सारी बातें कही जा चुकी हैं और इसी पर सरकार ने कहा है कि इसमें भूमि के स्वामित्व का मामला है, विधि विभाग से परामर्श लिया जा रहा है, उसके बाद विभाग इसपर सम्यक नीति बनायेगी ।

श्री सरोज यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक लेटर है जो माननीय मंत्री जी ने कहा है ..

अध्यक्ष : क्या लेटर है, उसे आप मंत्री जी को दे दीजिये ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या : 2234 (श्रीमती सुनीता सिंह चौहान)</u>

श्री सुरेश कुमार शर्मा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय 1. स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत योजना का विभागीय पत्रांक 63 दिनांक 27.09.2018 1 करोड 44 लाख 46 हजार 3 सौ रूपये लागत व्यय पर

स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा 72 लाख 23 हजार 1 सौ 50 रूपये की धनराशि नगर पंचायत, बेलसंड को आवंटित किया गया है । योजना का क्रियान्वयन बुडको द्वारा किया जाना है जो प्रक्रियाधीन है । जल्दी ही योजना का क्रियान्वयन कराया जायेगा ।

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान : महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं । माननीय मंत्री जी के प्रयास से ही वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि चली गयी है लेकिन आजतक उसका निविदा नहीं हुआ है । माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि शीघ्रातिशीघ्र निविदा कराकर काम करने का निर्देश देने की कृपा करेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 2235(श्री समीर कुमार महासेठ)

श्री सुरेश कुमार शर्मा,मंत्री : महोदय, 1. स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी शहर के भक्षी स्थित 8 साईफन से शहर का पानी बाहर निकलता है । अभी शहरी क्षेत्र में अवस्थित कैनालों की सफाई नगर परिषद द्वारा की जा रही है तथा मानव बल के द्वारा साईफन से मिट्टी निकाली जा रही है ताकि पानी का प्रवाह अवरूद्ध न हो ।

2. स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि नगर परिषद, मधुबनी के द्वारा जिला पदाधिकारी, मधुबनी से इस संबंध में अनुरोध किया गया है । साथ ही भारत संचार निगम से ड्रिलिंग मशीन उपलब्ध कराने हेतु पत्राचार किया गया है । इसके अतिरिक्त वैकल्पिक व्यवस्था के तहत साईफन से मानव बल के द्वारा मिट्टी हटाने की कार्रवाई चल रही है ।

3. वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के नगर निकायों की सफाई व्यवस्था दुरूस्त करने हेतु स्वच्छता अनुदान की राशि आवंटित की जा सकती है । उक्त आवंटित राशि से सफाई सहित सफाई उपकरणों के क्रय का भी प्रावधान है । तदनुसार नगर परिषद, मधुबनी द्वारा आवश्यकतानुसार ड्रिलिंग मशीन का क्रय पर भी विचार किया जा सकता है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का बहुत स्पष्ट जवाब है, बहुत अच्छा है लेकिन हरेक समय, हरेक साल पैसा ये क्या देते हैं, लगातार यह देखा जाता है कि हमलोग बरसात में झेलते ही हैं, यह कब पैसा जाता है, कब सफाई कराते हैं और हमारी जनता झेल ही लेती है तो ऐसे पैसे की क्या उपयोगिता है, कृपया

माननीय मंत्री उपयोगिता बतावें और विगत तीन वर्षों कितनी राशि गयी है, वह भी बतावें ।

अध्यक्ष : आपने कहा कि जवाब बहुत अच्छा है ? जवाब अच्छा है तब सवाल क्यों पैदा हो ? माननीय मंत्री जी आप सोच कर बतायें । माननीय सदस्य ने आप के जवाब की सराहना की है ।

श्री सुरेश कुमार शर्मा,मंत्री : महोदय, इनके यहां तो आउट फॉल नाला के लिये 1 अरब रूपया दिये हुये हैं और ड्रिलिंग मशीन भी खरीदने की भी बात हो रही है । चूंकि वह संकीर्ण नाला है जिसको बिना ड्रिलिंग मशीन के साफ नहीं किया जा सकता है। उसको भी खरीदने के लिये उनको कहा गया है, वह खरीदा जायेगा तो सफाई हो जायेगा, आउट फॉल नाला बनेगा । इनकी तो पूरी समस्या दूर करने का हमलोगों ने काम किया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री फैयाज अहमद, आपको क्या कहना है ?

श्री फैयाज अहमद : महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहाता हूं कि उन्होंने कहा कि बहुत संकीर्ण नाला है । मेरा कहना है कि संकीर्ण नाला नहीं है बल्कि उस पर अतिक्रमण है । तो उस अतिक्रमण को कब खाली करायेंगे ?

श्री सुरेश कुमार शर्मा,मंत्री : महादेय, जब ड्रिलिंग मशीन से वह नाला साफ किया जायेगा तो स्वाभाविक है कि अतिक्रमण को हटा दिया जायेगा ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या : 2236(श्री नीरज कुमार)</u>

श्री मदन सहनी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है ।

कटिहार जिला के जन वितरण प्रणली बिक्रेताओं को मार्च, 2017 को आपूरित खाद्यान की राशि वापसी समायोजन हेतु जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, कटिहार, अनुमंडल पदाधिकारी, बारसोई, मनिहारी एवं कटिहार तथा जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम का संयुक्त जांच प्रतिवेदन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, कटिहार के पत्रांक 1439 दिनांक 28.12.2017 से निगम मुख्यालय को प्राप्त है । कटिहार जिला में खाद्यान गबन के मामले प्रकाश में आने के कारण उक्त राशि की वापसी के पूर्व निगम मुख्यालय के पत्रांक 5040 दिनांक 19.05. 2018 एवं कई स्मार पत्रों द्वारा जिला पदाधिकारी, कटिहार से संबंधित जन वितरण प्रणाली बिक्रेताओं द्वारा राशि जमा करने एवं निर्गत होने, खाद्यान के आपूर्त्ति के बिन्दु पर जांच प्रतिवेदेन की मांग की गयी । इस संदर्भ में जिला पदधिकारी, कटिहार द्वारा की गयी पृच्छा के पूर्व में भेजे गये रिपोर्ट सफिसियेंट

नहीं है । अगर है तो तदनुसार रिपोर्ट भेजें । मुख्यालय आवश्यक समझने पर राज्यस्तरीय टीम से जांच करवा सकता है । प्राप्त होने के पश्चात मुख्यालय के पत्रांक 3079 दिनांक 13.03.2019 द्वारा इस मामले में अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी,कटिहार को शामिल करते हुये उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जांच दल गठित कर मंतव्य के साथ जांच प्रतिवेदन भेजने हेतु जिला पदाधिकारी, कटिहार से अनुरोध किया गया एवं कई पत्रों द्वारा उन्हें स्मारित किया गया । पुनः जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा सुझाव दिया गया है कि विभागीय टीम एक्सपर्ट होती हैं, उन्हीं से जांच करायी जाय । जिला पदाधिकारी, कटिहार के सुझाव के आलोक मे मुख्यालय...

श्री नीरज कुमार : अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है, ऐसे काम नहीं चलेगा?

(व्यवधान)

श्री मदन सहनी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पहले जवाब तो पूरा सुन लिया जाय ।

अध्यक्ष : इतना बड़ा जवाब से भी काम नहीं चलेगा तो और कितना बड़ा जवाब चाहिये ?

श्री नीरज कु मार : महोदय, वरीय पदाधिकारी से इसकी जांच करायी जाय ।

(व्यवधान)

श्री मदन सहनी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जवाब सुन लिया जाय ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री नीरज कुमार : जिला पदाधिकारी, कटिहार के जांच से काम नहीं चलेगा महोदय ।

श्री मदन सहनी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो पूरा सुन लिया जाय ।

अध्यक्ष : जवाब अभी खत्म नहीं हुआ है । आपलोग बैठिये । प्रश्न पूछे हैं तो जवाब सुनने के लिये धैर्य तो रखना होगा न ।

श्री मदन सहनी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पुनः जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा सुझाव दिया गया कि विभागीय टीम ...

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य है उनको प्रश्न करने का अधिकार है और निर्धारित है कि इतना बड़ा प्रश्न होना चाहिए । उसी तरह मंत्री को भी स्वीकारात्मक, अस्वीकारात्मक, अंशतः स्वीकारात्मक में जवाब देना है और यदि लंबा जवाब देना है तो उसको सरकुलेट करवा देना है ताकि माननीय प्रश्नकर्त्ता उसको देखे ।

अध्यक्ष : इसीलिये हमने ऑन लाईन पद्धति शुरू की है ।

श्री मदन सहनी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इतनी देर में तो जवाब खत्म हो जाता ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : एक प्रश्न का भी जवाब ऑन लाईन नहीं आता है, ऐसी बात नहीं है, कम आता है लेकिन जो आता है, उसको भी माननीय सदस्य पढ़कर नहीं आते हैं ।

(व्यवधान)

माननीय मंत्री जी को जवाब पूरा देने दीजिये न । मंत्री जी को जवाब पूरा करने दीजिये ।

श्री मदन सहनी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पुनः जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा सुझाव दिया गया है कि विभागीय टीम एक्सपर्ट होती हैं, उन्हीं से जांच करायी जाय । जिला पदाधिकारी, कटिहार के सुझाव के आलोक में मुख्यालय के पत्रांक 7678 दिनांक 24.07.2019 द्वारा उक्त मामले की जांच हेतु जांच दल गठित किया गया है

क्रमश :

टर्न-7/अंजनी/25.07.2019

श्री मदन सहनी, मंत्री : क्रमशः : तथा गठित जांच दल से 15 दिनों के अन्दर जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी है, जांच दल से प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् भुगतान समायोजन के संबंध में अग्रत्तर कार्रवाई की जायेगी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर-काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सदन पटल पर रख दिये जायें ।

कार्यस्थगन-प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 25 जुलाई, 2019 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनायें प्राप्त हुई हैं । श्री समीर कुमार महासेठ, श्री मो0 नेमतुल्लाह, श्री मो0 नवाज आलम, श्री अब्दुस सुबहान, श्री फैयाज अहमद, श्री वीरेन्द्र कुमार सिन्हा एवं श्री राजेन्द्र कुमार ।

दूसरा है, श्री महबूब आलम एवं श्री सुदामा प्रसाद जी का ।

आज सदन में राजकीय विधेयकों के व्यवस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है, अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-27(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण सभी कार्यस्थगन-प्रस्ताव की सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

अब शून्य-काल लिये जायेंगे ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष : देखिए, आज शून्य-काल भी काफी है और ध्यानाकर्षण भी काफी है, सहयोग करियेगा तो हो जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महबूब आलम जी का महत्वपूर्ण सूचना है। भूदान यज्ञ के जमीन का मामला है, इसे संज्ञान में लेने की आवश्यकता है । यह पूरे बिहार का मामला है....

अध्यक्ष : आप पढ़िए नहीं, बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री महबूब आलम : महोदय, लाखों एकड़ जमीन भूदान यज्ञ के माध्यम से सरकार ने विधिवत रूप से, वैधानिक रूप से जो किसानों को आवंटित की है, उसमें से करीब-करीब 80 प्रतिशत लोगों की जमीन दखल में नहीं है लेकिन 20 परसेंट में भी जो छाटे-छोटे किसान के पास जमीन दखल में है, उनको उजाड़ने के लिए सरकार की तरफ से नोटिस दी गयी है और इसका माध्यम बनाया है, एक कानून ब्रिटिश के राज में था कोर्ट ऑफ लॉडस, ये लोग बोलते हैं, कोर्ट ऑफ लॉडस के जरिए जमीन जो जमींदार की थी, उस जमीन को बिहार की सरकार किसी के साथ बंदोबस्ती नहीं कर सकती है लेकिन बिहार सरकार ने बंदोबस्ती कर दी भूदान यज्ञ के तहत तो इसके लिए तो बिहार सरकार दोषी है ।

अध्यक्ष : अब शून्य-काल चलने दीजिए । आप अपनी बात कह चुके । शून्य-काल होने दीजिए । श्री विजय कुमार खेमका ।

(व्यवधान)

आप लोग की तो कोई सूचना नहीं है, अब नहीं है तो अलग से दे दीजियेगा ।

(व्यवधान)

सरकार संज्ञान लेगी ।

शून्य-काल

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, शराबबंदी के पश्चात् स्मैक के फैलते जाल में शिक्षण संस्थान के छात्र एवं युवक फंसते जा रहे हैं और प्रशासन मूकदर्शक है । तस्कर द्वारा दालकोला के रास्ते पूर्णियां एवं अन्य शहरों में स्मैक आपूर्त्ति होती है।

अत: मैं सरकार से पूर्णियां सहित सीमांचल में स्मैक तस्करी पर रोक लगाने की मांग करता हूँ ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, गया जिला के डोभी थाना अन्तर्गत अनिल कुमार, पिता-महादेव यादव, ग्राम-मड़हा, टोला-टड़वां, पो0-अमारूत की मृत्यु सड़क दुर्घटना में करमौनी के पास दिनांक 30.03.2019 को हो गयी थी । डोभी थाना कांड सं0-143/19 दर्ज है ।

अत: मैं मृतक के आश्रितों को अविलम्ब मुआवजा भुगतान करने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत बारून प्रखंड तथा नवीनगर को जोड़नेवाली महत्वपूर्ण सड़क बनहारा से जसोईया-अंकोरहा रोड में पुनपुन नदी में पुल नहीं होने के कारण आम जनता का आवागमन प्राय: बाधित रहता है ।

अत: जनहित में उक्त स्थान पर पुल बनाने की मांग सरकार से करता हूँ।

श्री अशोक कुमार सिंह(क्षेत्र सं0-224) : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंज प्रखंड में पचार पहाड़ का उत्खनन किया जा रहा है । उक्त स्थल हिन्दु, मुस्लिम एवं जैन धर्म के लोगों का आस्था का स्थल है ।

जनहित में पर्यावरण, धार्मिक एवं पुरातात्तिवक महत्व को देखते हुए उक्त पहाड़ के उत्खनन पर रोक लगाने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री मदन मोहन तिवारी : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पीपरा पकड़ी गांव में लौहर बीन, पिता-ज्ञानचन्द्र बीन, थाना-बंजरिया, जिला-मोतीहारी की मौत पुलिस पिटाई से 18 जुलाई 2019 को हो गयी थी । दोषी पुलिसकर्मी को बर्खास्त करने तथा पीड़ित परिवार को सरकारी मुआवजा देने की मांग करता हूँ ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिलान्तर्गत मधुबनी शहर का एकमात्र स्टेडियम जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जिसके कारण क्रीड़ा-संस्कृति समाप्तप्राय है। अतः अविलम्ब स्टेडियम के जीर्णोद्धार की मांग करता हूँ ।

श्री अशोक कुमार सिंह(क्षेत्र सं0-203) : अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला के लोगों का पटना आने का मुख्य मार्ग एन0एच0-31 मोहनिया से आरा है, जिसकी लम्बाई 120 किलोमीटर है, सरकार के द्वारा 113 किलोमीटर पथ की मरम्मत करा दिया गया है, संवेदक द्वारा 07 किलोमीटर पथ की मरम्मत नहीं कराने के कारण रास्ता अवरूद्ध है, सरकार से अविलम्ब शेष पथ निर्माण कराने की मांग करता हूँ ।

श्री संजीव चौरसिया : अध्यक्ष महोदय, सोनपुर रेल-सह-सड़क पुल के अपस्ट्रीम शिवा घाट, पाटीपुल घाट, मीनार घाट, जर्नादन घाट, दीघा घाट, कुर्जी घाट में रिवरफ्रंट का निर्माण कराया जाय तथा उक्त घाटों पर पक्की संरचनाओं का भी अभाव है, जिस कारण कटाव की स्थिति लगातार बनी रहती है, साथ-ही घाटों पर खुले में दाह संस्कार होता है।

मैं शीघ्र उक्त घाटों पर रिवरफ्रंट, पक्कीकरण एवं दाह संस्कार के लिए मुक्ति धाम के निर्माण कराने की मांग करता हूँ ।

श्रीमती भागीरथी देवी : अध्यक्ष महोदय, बेतिया जिला के प्रखंड रामनगर अंतर्गत चीनी मिल से भुवनेश्वर चौक होते हुए लौरिया की तरफ जानवाली पी0डब्लू0डी0 पथ जर्जर है ।

अतः मैं उक्त पथ के जीर्णोद्धार कराने की मांग करती हूँ।

श्री शत्रुध्न तिवारी : अध्यक्ष महोदय, सारण जिला के परसा प्रखंडान्तर्गत रामऔतार +2 उच्च विद्यालय शोमुपुर बसंत में पिछले तीन वित्तीय वर्षों में विद्यालय विकास मद सहित अन्य योजनाओं की राशि के खर्च में भारी गड़बड़ियां की गयी हैं ।

अत: मैं सरकार से इसकी उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग करता हूँ ।

श्री संजय कुमार तिवारी : अध्यक्ष महोदय, बक्सर जिला के सभी प्रखंडों में आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित होते हुए भी बक्सर सदर, चौसा व नावानगर प्रखंड समेत अन्य प्रखंडों में 15 दिनों में 36 अतिकुपोषित बच्चे मिले हैं ।

मैं दोषी पदाधिकारियों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूँ ।

श्रीमती अमिता भूषण : अध्यक्ष महोदय, गंगा और गंडक के तट पर बसे होने के कारण बेगूसराय जिले के सिमरिया गंगातट एवं अन्य स्थानों पर लोगों के डूबने की घटनायें लगातार हो रही है । हाल में सिमरिया-रूपनगर और भवानंदपुर में कई बच्चों की डूबने से मौत हो गयी है ।

अत: जनहित में सरकार बेगूसराय जिले में स्थायी रूप से एस0डी0आर0एफ0 की टीम की तैनाती की मांग करती हूँ ।

श्री सरोज यादव : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत बड़हरा प्रखंड के ग्राम-विशुनपुर में दलित टोला में जिला परिषद् के जमीन पर सामुदायिक भवन बनाने हेतु 2017 में विधायक निधि से अनुशंसा किया गया । 2017 से अभी तक उक्त जमीन का डी0डी0सी0 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया ।

अत: मैं अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत कराने की मांग करता हूँ ।

टर्न-8/राजेश/25.7.19

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री सुबोध राय ।

श्री सुबोध राय: महोदय, बांका जिलान्तर्गत बांका प्रखंड का बहेड़ा पंचायत में चार सौ आबादी वाला गॉव गढ़ोठीकर अभी तक सम्पर्क विहीन है । इसे सरकार से यथाशीघ्र सम्पर्कता प्रदान करने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य डॉ0 मो0 नवाज आलम ।

डॉ0 मो0 नवाज आलमः महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत आरा के नगर निगम क्षेत्र में शिवगंज मोड़ से बस स्टैण्ड रोड जीर्णशीर्ण अवस्था में है । साथ ही साथ नाला टूट जाने से रोड पूरी तरह बंद होने के कगार पर है । शीघ्र रोड एवं नाला का निर्माण कराने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री यदुवंश कुमार यादव ।

श्री यदुवंश कुमार यादवः महोदय, कोशी नदी में प्रतिवर्ष बाढ़, कटाव, तटबंध सुरक्षा के नाम पर बिना कार्य संपादित, अल्प कार्य संपादित करवाये, सरकारी बड़ी राशि की लूट छिपाने के उद्देश्य से दिनांक 13.07.2019 के मध्यरात्रि में कोशी बैराज के सभी फाटकों को खोल कर तटबंध बीच बसे हजारों लोगों के जान-माल की क्षति पहुँचाने की जांच की मांग करता हूँ ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री ललन पासवान ।

श्री ललन पासवानः महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत सासाराम प्रखंड के सिकरियॉ पंचायत के ग्राम सोनगॉवा के पुरब कैमुर पहाड़ी से गिरने वाली मेहॅवा नदी पर चेकडैम का निर्माण हो जाने से करसेरूआ एवं सिकरीयॉ पंचायत का करीब 3 हजार एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है । अतः उक्त नदी पर शीघ्र चेकडैम का निर्माण कराये ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादवः महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मेहसी वितरणी बि0दु0 42 से 73, पिपरा वितरणी बि0दु0 12 से 48 तक आउटलेट से नहर का सतह तीन फिट नीचे है जिससे किसानों को सिंचाई की सुविधा नहीं मिल रही है । अतः उक्त नहर लेवल कराकर सिंचाई की सुविधा मुहैया कराई जाए ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री प्रह्लाद यादव ।

श्री प्रह्लाद यादवः महोदय, लखीसराय जिला में मात्र एक अनुमंडल है जिसके कारण आम जनता तथा विधि व्यवस्था के लिए कार्य करना कठिनाई है । एक जिला और एक अनुमंडल के कारण सूर्यगढ़ा प्रखंड का कार्य करने में काफी कठिनाई है । क्योंकि इस प्रखंड में 28 पंचायत है । अतः सूर्यगढ़ा प्रखंड को अनुमंडल बनाया जाय ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी ।

श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरीः महोदय, बिहार सरकार ने ताड़ी व्यवसाय को नीरा और दूसरे उत्पादन के द्वारा बिक्री केन्द्र खोलकर नीरा व्यवसाय करवाने की घोषणा

की थी, उसपर आजतक कोई अमल नहीं किया जा रहा है और पुलिस प्रशाासन द्वारा ताड़ी व्यवसाय करने वालों को परेशान किया जाता है । अतएव शीघ्र इस पर रोक लगावे ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार ।

श्री राजेन्द्र कुमारः महोदय, हरसिद्धि विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत प्रखण्ड हरसिद्धि, तुरकौलिया के सभी 35 पंचायतों तथा पूर्वी चम्पारण के शेष प्रखण्डों में भी अति वर्षापात से फसल डुब चुका है, पूर्ण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न है, किसान बदहाल है । अतः सरकार जिला पूर्वी चम्पारण को बाढ़ जिला घोषित कर किसानों को मुआबजा दे।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादवः महोदय, मुन्द्रिका सिंह यादव, पूर्व सदस्य राज्यमंत्री के अनुशंसा के आलोक में जिला स्वास्थ्य समिति, जहानाबाद के पत्रांक-1645, दिनांक 18.11.16 के द्वारा सरकार को प्रेषित प्रस्ताव में जहानाबाद प्रखंड पंचायत जामुक, ग्राम-धुरिया में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृति हेतु विभाग के पास लंबित है । स्वीकृति दी जाए ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री बिरेन्द्र कुमार सिन्हा ।

श्री बिरेन्द्र कुमार सिन्हाः महोदय, बिहार के काराओं में संसीमित सजावार बंदियों को वर्ष 2016 से 2018 तक का कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना के द्वारा दिये जाने वाली विशेष परिहार लंबित है । मैं उक्त अवधि का विशेष परिहार दिये जाने का मांग करता हूँ ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री मुजाहिद आलम ।

श्री मुजाहिद आलमः महोदय, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सिलीगुड़ी के निकट फुलवाड़ी में बने डेम से महानंदा नदी में एवं इसलामपुर के निकट बने डेम से डॉक नदी में समय-समय पर अधिक पानी छोड़े जाने के कारण किशनगंज जिले को बाढ़ का सामना करना पड़ता है । सरकार समस्या का समाधान करे ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री मो0 नेमतुल्लाह ।

श्री मो0 नेमतुल्लाहः महोदय, गोपालगंजल जिलान्तर्गत बरौली प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में अपातकालीन सेवा एवं आई0सी0यू0 सेवा उपलब्ध नहीं रहने के कारण गंभीर रूप से बीमार मरीजों का उचित एवं ससमय ईलाज नहीं हो पाता है ।

अतः सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में अपातकालीन एवं आई0सी0यू0 सेवा उपलब्ध कराए ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री बशिष्ठ सिंह ।

श्री बशिष्ठ सिंहः महोदय, रोहतास जिलान्तर्गग्त प्रखण्ड कोचस में ग्राम इन्दौर के ज्योति देवी पति श्री रंजन खरवार का दिनांक 16.0719 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गया था । अभी तक इनके आश्रीत को मुआवजा नहीं मिला है । अतः उपरोक्त मृतक के आश्रीत को मुआवजा दिया जाय ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री विद्या सागर केशरी ।

श्री विद्या सागर केशरीः महोदय, अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड के कुसयाहा पंचायत में रामगंज-फकिरवा गांव के बीच सीताधार नदी में, कुसयाहा पेट्रोल पम्प के सटे नेपाल सीमा तक जानेवाली सड़क के बीच सिधिंया नदी में एवं इसी पंचायत के औसरी गांव के समीप सिधिंया नदी पर आर0सी0सी0 पुल की आवश्यकता है । अतः पुल निर्माण की मांग करता हूँ ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री चन्दन कुमार ।

श्री चन्दन कुमारः महोदय, खगड़िया जिलान्तर्गत खगड़िया सदर प्रखंड में खगड़िया-बखरी पी0डब्लू0डी0 पथ बेला से रानीशकरपुरा पथ अत्यंत जर्जर है, जिससे कोई गाड़ी मुख्य पथ तक नहीं चल सकती है । अतः उक्त पथ का यथाशीघ्र निर्माण कराया जाय ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान ।

सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवानः महोदय, कटिहार जिला के फलका प्रखंड अंतर्गत फलका हाट पर सड़क एवं नाला ध्वस्त हो जाने के कारण जल जमाव की समस्या से हजारों लोगों को प्रत्येक दिन परेशानियों का सामना करना पडता है । इसकी मरम्मत के लिए मैं मांग करता हूँ ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंहः महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याणपुर, कोटव, केसरिया सहित अन्य क्षेत्र में अल्पवर्षा एवं साधारण हवा चलने से विद्युत आपूर्ति वाधित हो रहा है, जिस कारण सम्पूर्ण जिला अंधकारमय हो जाता है तथा आमलोग परेशान हो रहे हैं । अतः विद्युत व्यवस्था शीघ्र ठीक कराने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री डॉ0 शमीम अहमद ।

श्री डॉ0 शमीम अहमदः महोदय, नरकटिया विधान सभा के बंजरीया प्रखंड से गुजरने वाली सिकरहना नदी से कई गांव का अस्तित्व खतरे में है जैसे-मोहमदपुर,

सून्दरपुर, सिसवनिया, जग्वा, जनेवा, मोकलिसपुर, कयरसांडे इत्यादि उक्त स्थान चिन्हित कर जल्द से जल्द बेडवॉल बनाने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री शिवचन्द्र राम ।

श्री शिवचन्द्र राम: महोदय, राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति/महादलितों के आर्थिक, सामाजिक स्थिति दयनीय रहने के कारण यह समाज का उत्थान नहीं हो रहा है। जिससे गरीबी जीवन जीने को मजबूर हैं । इसका विकास हेतु पंचायत में पैक्स अध्यक्ष पद के चुनाव में आरक्षण का प्रावधान करने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री प्रो0 चन्द्रशेखर ।

श्री प्रो0 चन्द्रशेखर: महोदय, मधेपुरा जिलान्तर्गत मधेपुरा प्रखंड के मठाही एन0एच0-107 से भेलुवा चौक जाने वाली सड़क पूर्णत: क्षतिग्रस्त है । सड़क गड्ढ़ा में तब्दील हो गया है । यातायात ठप्प है । जनहित में ग्रामीण कार्य विभाग के इस सड़क के पुनर्निर्माण की मांग सरकार से करता हूँ ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री जिवेश कुमार ।

श्री जिवेश कुमार: महोदय, उत्तर बिहार में आये बाढ़ से दरभंगा जिलान्तर्गत जाले एवं सिंहवाड़ा प्रखंड के सभी पंचायतों में कृषि फसल बाढ़ एवं अत्यधिक वर्षापात से पूर्णतया नष्ट हो चूका है । अत: मैं उक्त दोनों प्रखंडों के परिवारों को बाढ़ राहत मुआवजा 6000 रूपये के साथ-साथ फसल क्षति मुआवजा देने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री महबूब आलम ।

श्री महबूब आलम: महोदय, बिहार का बड़ा इलाका अब भी बाढ़ की चपेट में है और मुख्यमंत्री के दौरे के बावजूद राहत अभियान बहुत ही धीमी गति से चल रही है, मैं एक बार फिर से कटिहार जिला सहित बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों को बाढ़ग्रस्त जिला घोषित करने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद ।

श्री सुदामा प्रसाद: महोदय, भूदान की जमीन की बंदोबस्ती को अवैध घोषित कर उस पर बसे लाखों परिवारों को उजाड़कर उसे फिर से भूस्वामियों के हवाले करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, इससे संबंधित सरकारी आदेश वापस लिया जाए और गरीबों के वास के अधिकार की रक्षा की जाए ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री अचमित ऋषिदेव ।

श्री अचमित ऋषिदेव: महोदय,अररिया जिलान्तर्गत रेशमलाल चौक से गोलहा मुसहरनिया-परसाहाट- गोट बेलसरा परिहारी होते हुए सतवेर घाट तक सड़क

जर्जर है । तत्काल आवागमन हेतु सड़क को मोटरेबुल बनाने के लिए मैं मांग करता हूँ ।

टर्न-9/सत्येन्द्र/25-7-10

श्री आलोक कुमार मेहता: महोदय, दिनांक 18-8-18 को एन0आई0ए0 कार्यालय, पटेलनगर में डियूटी पर तैनात सिपाही पंकज कुमार पाठक के लापता होने की जांच एवं भुक्तभोगी परिवार को आर्थिक मदद के साथ सरकार न्यायसंगत कार्रवाई करे ।

श्री हरिशंकर यादव: महोदय, सिवान जिलान्तर्गत रघुनाथपुर विधान-सभा क्षेत्र के अधिकांश गांव में पिछले कुछ दिनों में बरसात के चलते किसानों के फसल को भारी नुकसान हुआ है । अत: इसका आकलन कर किसानों को मुआवजा दिया जाय ।

डॉ0 राजेश कुमार: महोदय, पूर्वी चम्पारण के केसरिया मोहम्मदपुर में आई0टी0आई0 कॉलेज का संविदा नियम के विरूद्ध संवेदक को काम आवंटन किया गया है । कार्यपालक अभियंता एवं संवेदक की मिलीभगत है । अत: संवेदक और कार्यपालक अभियंता पर कार्रवाई करते हुए पुन: निविदा निकाला जाय ।

श्रीमती सावित्री देवी: महोदय, जमुई जिलान्तर्गत प्रखंड चकाई के करीब 16 गावों का 152 परिवार का जमीन देवघर जिला के पुनासी जलाशय के निर्माण में भू-अर्जन किये जाने का मुआवजा एवं पुनर्वास की समुचित व्यवस्था नहीं की गयी है । अत: सरकार इसकी व्यवस्था यथाशीघ्र करावे ।

अध्यक्ष: अब ध्यानाकर्षण सूचना ।

<u>ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उसपर सरकार का वक्तव्य</u>

सर्वश्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव ,भोला यादव एवं अन्य छह सभासदों <u>की ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार(सामान्य प्रशासन विभाग)की ओर से वक्तव्य।</u>

अध्यक्ष: सामान्य प्रशासन विभाग को इसमें उत्तर देना है । मंत्री जी उस सदन में व्यस्त हैं, यह कल आयेगा ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा सरकार (उद्योग विभाग)की ओर से वक्तव्य ।

श्री श्याम रजक,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, उल्लेखनीय है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सेरिकल्चर कोर्स ,पी0जी0डी0एस0 प्री सर्विस प्रशिक्षण नहीं है तथा इस योग्यताधारक को सहायक अधीक्षक एवं समकक्ष पदों पर नियुक्ति का प्रावधान भी नहीं है । पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सेरिकल्चर कोर्स, पी0जी0डी0एस0 में नामांकन हेतु प्रकाशित विज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख है कि प्रशिक्षण पूरा कर लेने के बाद राज्य सरकार पर नौकरी देने का दावा नहीं करेंगे । बिहार रेशम तकनीकी अधीनस्थ सम्वर्ग नियमावली-2015 (अधिसूचना संख्या- 3079 दिनांक 29-7-15) की कंडिका 6(i)2 में वर्णित प्रावधान के अनुसार अधिदर्शक/पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता पी0जी0डी0एस0 निर्धारित की गयी है । उक्त नियमावली में रेशम प्रक्षेत्र के पदों पर नियुक्ति बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से करने का प्रावधान है । पूर्व में अधिदर्शक/पर्यवेक्षक पद का रोस्टर क्लीयरेंस कराकर अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजा गया । आयोग के ज्ञापांक 939 दिनांक 24-12-2018 जो सामान्य प्रशासन विभाग को संदर्भित है ,के द्वारा सूचित किया गया कि अधिदर्शक/पर्यवेक्षक का पद बिहार तकनीकी सेवा आयोग नियुक्ति नियमावली 2018 की सूची में शामिल नहीं है । उक्त पदों को इस सूची में शामिल करने के पश्चात् नियुक्ति की कार्रवाई की जा सकती है । उद्योग विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1015 दिनांक 15-2-2019 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को अनुरोध किया गया कि बिहार रेशम तकनीकी अधीनस्थ नियमावली, 2015 में सीधी नियुक्ति हेतु अंकित पदों को बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना द्वारा चयन किये जाने वाले पदों की अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया गया । तदन्तर बिहार तकनीकी सेवा आयोग के पत्रांक 246(अनु0)दिनांक 28-2-2019 के द्वारा प्रासंगिक अधियाचना को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को देय आरक्षण के तहत नये सिरे से रोस्टर क्लीयरेंस किये जाने हेतु वापस कर दिया गया । इस क्रम में रोस्टर क्लीयरेंस की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मंत्री ने जो जवाब दिया है तो पहले इन्होंने अपने जवाब में जो कहा, पी0जी0डी0एस0 की मान्यता पर ही इन्होंने सवाल उठा दिये जबकि पी0जी0डी0एस0 की जो मान्यता है और जो ट्रेनिंग दी जाती है, ये है वाई द सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड, मिनिष्टरी ऑफ टेक्सटाईल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो उसके

द्वारा ये डिग्री प्रदान की जाती है । मेरा दूसरा सवाल है महोदय, उन्होंने कहा कि इसमें बहाली नहीं की गयी है पर्यवेक्षक के पद पर, मैं नाम पढ़ देता हूॅ जो सूची हमें दी गयी है आर0टी0आई0 के द्वारा, उसमें स्पष्ट है सुश्री रेखा श्रीवास्तव, जयदेव प्रसाद, अर्जुन प्रसाद, अमरनाथ झा, श्री श्याम बिहारी गुप्ता, लक्ष्मी नारायण तिवारी, श्री मोहन प्रसाद तो इनलोगों को जब लिया गया हैं तो मेरा कहना है कि और भी लोगों को लिये जायें । ये बात अवश्य जो मंत्री जी ने कहा, मैं भी मानता हूॅ कि जो आरक्षण के रोस्टर हैं उसको मद्देनजर रखते हुए लिये जायें । ये हमारा भी है कि आरक्षण के नियम का पालन करते हुए लिये जायें लेकिन जिनलोगों का छुटा हुआ है उनको पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्ति करने में विभाग आनाकानी कर रही है तो ..

अध्यक्षः आप पूरक पूछिये न ?

डॉ0 रामानुज प्रसादः हमारा कहना है कि विकास कुमार, आर्या, दुर्गा प्रसाद, कुमार गणेश, शंकर शरण, संजीव कुमार सुमन, कुमार राजीव लोचन को क्या सरकार लेना चाहती है या तकनीकी आयोग के नाम पर इसको टालना चाहती है, मैं मंत्री जी से जवाब चाहता हूॅ।

श्री श्याम रजक, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा जिसका उल्लेख कर रहे हैं माननीय सदस्य रामानुज जी, मैंने पहले ही कहा कि तकनीकी आयोग से जो पहले विज्ञापन निकला था उसमें साफ था कि प्रशिक्षण लेने, चयन एवं छात्रवृत्ति राशि जिन्हें मिली है उनलोगों को सरकारी नियोजन मिलने की प्रतिबद्धता से नहीं लगाया जाना चाहिए । ये पहले ही विज्ञापन जो निकला है 2001 के लिए, रेशम एवं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स में नामांकन हेतु विज्ञापन उसमें है, दूसरी बात हमने कहा है कि रोस्टर का तो मैं आश्वस्त कराना चाहता हूॅ कि एक महीने के अन्दर रोस्टर क्लीयरेंस कर के अधियाचना अधिदर्शक/ पर्यवेक्षक की नियुक्ति के लिए हम सामान्य प्रशासन विभाग को भेज देंगे ।

डॉ0 रामानुज प्रसादः अध्यक्ष महोदय, मेरा ये कहना है कि ये भेज दें लेकिन मंत्री जी अभी जो कह रहे हैं, इस अधियाचना में यह था कि इसकी बाध्यता नहीं रहेगी तो, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूॅ कि किन परिस्थितियों में ..

अध्यक्षः आप फर्क नहीं समझ रहे हैं । मंत्री जी ये कहां कह रहे हैं, इसकी मान्यता नहीं है आप बार-बार बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि यह ट्रेनिंग है, इसके आधार पर सरकारी नौकरी मिलने की अनिवार्यता नहीं है। वह यह कह रहे हैं और आप कह रहे हैं मान्यता नहीं है ।

डॉ0 रामानुज प्रसादः मान्यता नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूँ । ये लोग जो लिये गये हैं, उनको किन शर्त्तो पर लिये गया है ?

अध्यक्षः बाकी तो कह रहे हैं कि तकनीकी सेवा कमीशन से करायेंगे । वह तो कह रहे हैं कि अब कमीशन से करायेंगे और एक महीना में कहे हैं कि रोस्टर क्लीयरेंस करा के आगे की कार्रवाई करेंगे ।

सर्वश्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, विद्या सागर सिंह निषाद एवं अन्य दस सभासदों की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार(पथ निर्माण विभाग)की ओर से वक्तव्य

श्री नंद किशोर यादव, मंत्रीः महोदय, पहलेजा से मुजफ्फरपुर तक कांवड़ियों के लिए अलग से कांवड़िया पथ बनाने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं हैं । कांवड़ियों की सुविधा के लिए पहलेजाघाट से मुजफ्फरपुर पथ के फलैंक को मिट्टी कार्य से मरम्मति कराने का निर्देश एन0एच0ए0आई0 को दिया जा रहा है ताकि कांवड़ियों को खाली पैर चलने में कठिनाई नहीं हो ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंहः महोदय, मिट्टी कार्य के लिए आदरणीय मंत्री जी ने बताया कि एन0एच0ए0आई0 को निर्देश दिया जा रहा है तो एक तो मेरा ये पूरक है कि कबतक इस काम को पूरा कर लिया जायेगा और दूसरा ये मिट्टी कार्य जो होगा, यह एन0एच0 से बिल्कुल सटा हुआ होगा । एन0एच0 पर आवागमन ज्यादा रहता है और कांवड़िया लोग जब पैदल चलते हैं तो वे थके हुए रहते है, उनका खाली पैर रहता है, जूता चप्पल नहीं रहता है तो एक तरह से वे लोग डगमगाते हुए चलते हैं, उनका दिशा इधर उधर होते रहता है तो कई बार दुर्घटनाएं हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है और विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है तो दूसरा मेरा दूसरा पूरक है कि जो मिट्टी का ये पथ बनायेंगे एन0एच0 पर तो मिट्टी के पथ के बगल में गार्ड बॉल देकर उसकी घेराबंदी करेंगे ?

श्री नंद किशोर यादव, मंत्रीः महोदय, माननीय सदस्य उस इलाके से आते हैं । रास्ता भी उनका वही है । महोदय, जहां से लोग जल उठाते हैं और जहां जाकर भगवान शंकर पर जल चढ़ाते हैं, उस पूरे एलायनमेंट को आप देखेंगे तो महोदय एन0एच0-19, एन0एच0-77 बिना क्रॉस किये हुए जा ही नहीं सकते हैं इसलिए कोई नया पथ तो बनाने का औचित्य भी नहीं है । चूंकि जब दोनों रोड क्रॉस ही करेंगे तो जिस समस्या के कारण आप सवाल कर रहे है, वह समस्या तो बरकरार ही रहने वाला है इसीलिए हमने कहा कि एन0एच0-77 पर जो फलैंक है, उस कच्चे

फलैंक को समतल करने के लिए हमने कहा है एन0एच0ए0आई0 को ताकि लोगों को चलने में कठिनाई न हो ।

अध्यक्षः ऐसा बालू टाईप का मिट्टी दिलवाईयेगा कि कीचड़ नहीं बने ।

श्री नंद किशोर यादव, मंत्रीः उसके लिए कहा गया है ।

टर्न-10/मधुप/25.07.2019

श्री विद्या सागर सिंह निषाद : महोदय, मेरा यह कहना है कि जिस प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय बोले कि फ्लैंक के चौड़ीकरण के लिए डी0एम0सी0एच0 को कह रहा हूँ, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ चूंकि एन0एच0 बहुत व्यस्ततम है, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है, जिसपर लोग चलते हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूँ कि जो चौड़ीकरण करने के लिए आदेश किये हैं, खास करके इस पीरिएड में उसकी बैरिकेटिंग करा दी जाय ताकि एन0एच0 और पथ के बीच में दिक्कत नहीं हो ।

श्री नन्दकिशोर यादव, मंत्री : महोदय, मैंने चौड़ीकरण की बात नहीं की.....

अध्यक्ष : मेन सड़क हाईवे पर बैरिकेटिंग होगा !

श्री नन्दकिशोर यादव, मंत्री : महोदय, मैंने चौड़ीकरण की बात नहीं की है, मैंने समतल करने की बात कही है । चौड़ा कैसे हो सकता है ! जो जमीन एन0एच0 की होगी, उसी पर न होगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप तो बाबा भोला उधर सुलतानगंज वाले थे, मुजफ्फरपुर की तरफ कहाँ चले आये ?

श्री सुबोध राय : महोदय, काँवरियों का विषय संवेदनशील है और सरकार भी संवेदनशील है । काँवरियों के दर्द को देखते हुए और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जहाँ एन0एच0 है, तो वहाँ काँवरिया जो क्रॉस करेंगे, उसको समतल करके वे जायेंगे लेकिन ट्रैफिक कितना ज्यादा जाम करता है, उस परिस्थिति को भी ध्यान में रखते हुए मेरा निवेदन होगा कि कोई दूसरा विकल्प सोचें ताकि काँवरियों को कोई दर्द नहीं हो ।

श्री नन्दकिशोर यादव, मंत्री : महोदय, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि कृपया जहाँ से काँवरिया जल उठाते हैं, जहाँ शंकर जी पर जल चढ़ाते हैं, उस पूरे

एलाइनमेंट में कोई दूसरा रास्ता बता सकते हों तो बताइये, जो एन0एच0 को क्रॉस नहीं करे तो मैं जरूर उसका विचार करूंगा ।

अध्यक्ष : सुबोध बाबू, सब दर्द दूर ही हो जायेगा तो दर्द सहन करके ही तो जल चढ़ाने का मूल्य होता है !

सर्वश्री विनोद प्रसाद यादव, संजय सरावगी एवं अन्य आठ सभासदों की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [पथ निर्माण विभाग] की ओर से वक्तव्य।

श्री विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश के पास कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद एवं गया जिला से होकर झारखण्ड सीमा तक NH-2 सड़क की स्थिति काफी खराब है । वर्णित NH-2 सड़क, NHAI की देख-रेख में है। सड़क में कई स्थान पर पुल क्षतिग्रस्त रहने के कारण गाड़ियों के आवागमन हेतु एक लेन पुल को बंद कर दिया गया है । NH-2 में औरंगाबाद जिला के मदनपुर के रानीकुआँ के पास, गया जिला के शेरघाटी में बुढ़ी नदी, डोभी में जमुने नदी एवं निलाजन नदी में पुल की स्थिति काफी खराब है । साथ ही, कई स्थानों पर सड़क भी काफी खराब है, जिसके कारण सड़क दुर्घटना में काफी वृद्धि हुई है । सड़क दुर्घटना में प्रतिदिन एक-दो लोगों की मृत्यु हो जाती है ।

अत: जनहित में उत्तर प्रदेश की सीमा के बाद कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद एवं गया जिला के अंतिम छोर झारखण्ड सीमा तक क्षतिग्रस्त पुल एवं सड़क की विशेष मरम्मति कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री नन्दकिशोर यादव, मंत्री : महोदय, वर्णित पथ एन0एच0-2 का निर्माण NHAI द्वारा कराया जा रहा है । एन0एच0-2 औरंगाबाद चौरदाहा खंड के 6-लेन कार्य की निविदा आवंटित की जा चुकी है लेकिन एप्वायंटमेंट डेट तय नहीं किया जा सका है । इसलिये इस खंड के रख-रखाव का प्राक्कलन अलग से स्वीकृत कराकर निविदा किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है । इसे लगभग डेढ़ माह में ठीक कर लिया जायेगा ।

लेकिन इसके पूर्ण रूप से मरम्मति हेतु प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसकी स्वीकृति अलग से प्रक्रियाधीन है । उक्त प्राक्कलन की स्वीकृति के बाद निविदा किया जायेगा, इसके उपरांत इस खंड की मरम्मति पूर्ण रूपेण

कर लिया जायेगा । तत्काल उसके मरम्मति के लिए टेन्डर हो गया है । डेढ़ महीने में उसको पूरा किया जायेगा ।

दूसरा जो पार्ट है महोदय, एन0एच0-2 वाराणसी से औरंगाबाद खंड, इसमें सोन नदी से प्रतिदिन हजारों की संख्या में बड़ी गाड़ियों द्वारा बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए बालू की ढुलाई होती है । जिसके फलस्वरूप बराबर मरम्मति की आवश्कता पड़ती रहती है । सोन नदी पर अवस्थित पुराने पुल की मरम्मति एवं जीर्णोद्धार का कार्य अप्रील, 2016 से प्रारम्भ कर दिसम्बर, 2016 तक पूर्ण करा लिया गया था तथा उसमें समय-समय पर उत्पन्न होने वाली खामियों को निर्धारित समयसीमा के अन्तर्गत पूर्ण कराया जाता है । वाराणसी से धनवाद जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 पर मरम्मति, अनुरक्षण व अनुश्रवण की निरंतर प्रक्रिया के तहत कराया जाता है । इसमें मुख्यतः बिटुमिनस पथांश में कुछ स्थानों पर वर्षा ऋतु के कारण मरम्मति का कार्य प्रभावित हुआ है, जिसे जल्द ही पूरा करा लिया जायेगा । एन0एच0-2 के वर्णित पथांश पर अवस्थित क्षतिग्रस्त पुलों तथा पथ की शीघ्र मरम्मति हेतु अनुरोध क्षेत्रीय पदाधिकारी, NHAI से किया गया है ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय अपने उत्तर में जो पुल को एक-लेन बन्द कर दिया गया है, किन कारणों से बन्द कर दिया गया है, कितना क्षतिग्रस्त हुआ है, उसके बारे में कोई जानकारी अपने उत्तर में माननीय मंत्री जी नहीं दिये हैं ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि रानीकुआँ के पास, डेहरी के पास, शेरघाटी के पास जो बुढ़ी नदी में बहुत लम्बा पुल है - 500 मीटर, वारूण के पास, इन सब पुलों को जो डायवर्ट करने से जो गाड़ियों की जाम की समस्या बनी रहती है, वे पुल काफी क्षतिग्रस्त हैं और जहाँ-तहाँ उपरी पुल का निर्माण भी हो रहा है, जिसके चलते गाड़ियों की काफी लम्बी कतार लग जाती है । इन सब बातों को कबतक और कितने दिनों में इन पुलों को ठीक करा लिया जायेगा ताकि दोनों लेन में आवागमन सुव्यवस्थित हो सके ।

श्री नन्दकिशोर यादव, मंत्री : महोदय, मैंने इसमें बताया विस्तार से, पुलों के बारे में भी बताया, धैर्य से अगर सुन लेते तो शायद इनको पूरक पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

महोदय, मैंने कहा है कि जहॉं-जहॉं गड़बड़ी हो रही है, उसकी मरम्मति तो करायी जा रही है, अलग-अलग सेक्शन में टेन्डर हो रहा है, मैंने सेक्शनवाइज बताया, उसमें दोनों चीज शामिल है । मैंने यह भी कहा है कि जो क्षतिग्रस्त पुल हैं और पथ के शीघ्र मरम्मति हेतु हमलोगों ने NHAI को कहा है कि अविलम्ब इसको कराइये ताकि आवागमन की सुविधा लोगों को मिल सके ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : महोदय, तीन जगह पर टॉल-टैक्स लिया जा रहा है और प्रतिदिन हर टॉल से 30-40 लाख रू0 की वसूली होती है, करोड़ों रूपये की वसूली होती है....

अध्यक्ष : टॉल-टैक्स पर कहॉं आ गये !

श्री विनोद प्रसाद यादव : महोदय, गाड़ी के लिए जब सुव्यवस्था नहीं है तो टॉल-टैक्स तबतक बन्द कर दें ।

श्री अशोक कुमार सिंह (क्षे0सं0-203) : महोदय, मेरा भी इसमें पूरक है....

अध्यक्ष : पूरक है तो बोलिये ।

श्री अशोक कुमार सिंह (क्षे0सं0-203) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि एन0एच0-2 में सिक्स-लेन बनाया जा रहा है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन जगह पर उपरी पुल का निर्माण किया गया है, दुर्गावती स्टेशन के पास, धनेछा के पास और छॉंवगॉंव के पास, आज दो साल से उपरी पुल का निर्माण हो गया है लेकिन उसे सम्पर्क पथ से नहीं जोड़ा गया है और जो बाइपास बनाया गया है, जी0टी0 रोड के किनारे लोगों का घर होता है, बिल्कुल उनके घर से सटा हुआ है, आज 5 बजे श्री दीवान राम रोहुआखुर्द का एक्सीडेंट होकर मृत्यु हो गई। ऐसा रोज एक एक्सीडेंट वहॉं हुआ करता है....

अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये ।

श्री अशोक कुमार सिंह (क्षे0सं0-203) : महोदय, मेरा पूरक यह है, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि NHAI से बात करके जो उपरी पुल का निर्माण किया गया है, उसे सम्पर्क पथ से कबतक जोड़ दिया जायेगा ताकि दुर्घटना से लोगों को बचाया जा सके ।

श्री नन्दकिशोर यादव, मंत्री : NHAI को निर्देश दिया जायेगा कि अविलंब उन सब कामों को पूरा करें ताकि लोगों को कठिनाई नहीं हो ।

श्री जितेन्द्र कुमार, स0विस0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [सहकारिता विभाग] की ओर से वक्तव्य ।

श्री जितेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, राज्य में कुल पैक्स की संख्या-8463 है जिसमें 800 से अधिक पैक्स, S.F.C. एवं सहकारिता विभाग की गलत नीतियों के कारण डिफॉल्टर हो गये हैं जिससे किसानों के धान, गेहूं सहित अनाजों की अधिप्राप्ति नहीं हो रही है । साथ-ही, पैक्स के माध्यम से गरीब किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है जिसके कारण किसानों को आर्थिक लाभ से वंचित होना पड़ रहा है ।

अतः राज्य के बंद हो रहे पैक्सों को सरकारी अनुदान देकर पुनर्जीवित करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।

टर्न-11/आजाद/25.07.2019

श्री राणा रणधीर,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री जितेन्द्र जी को बधाई देता हूँ कि इन्होंने बहुत ही अच्छा ध्यानाकर्षण पूछा है किसानों के हित में ।

पैक्स/व्यापार मंडलों के डिफॉल्टर होने की स्थिति में मात्र पैक्स प्रबंधन एवं उसके व्यवसाय का कार्य प्रभावित होता है, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, न कि उस कार्य क्षेत्र निवास करने वाले किसान, किसान उससे प्रभावित नहीं होते ।

किसानों को विभागीय एवं अन्य सभी विभाग से संबंधित योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के प्राप्त होता रहता है । अधिप्राप्ति कार्य हेतु भी उस क्षेत्र के किसानों को अन्य निकटस्थ कार्यरत समितियों के साथ सम्बद्ध कर दिया जाता है ताकि उन्हें उनके उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त हो सके ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि पैक्सों के डिफॉल्टर होने की स्थिति में किसानों को विभागीय सभी योजनाओं यथा-धान अधिप्राप्ति, बिहार राज्य फसल सहायता योजना आदि का लाभ निर्बाध रूप से प्राप्त होता रहता है । अल्पकालीन सहकारी साख संरचना अन्तर्गत सहकारी बैंक एवं पैक्स बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1035 की धारा-11 के अन्तर्गत निबंधित एक स्वायत्त एवं स्वशासी सहकारी समिति है एवं उक्त अधिनियम की धारा-13 के

अन्तर्गत यह निगमित निकाय के रूप में कार्य करती है । उक्त अधिनियम की धारा-44 AV के तहत पैक्स एवं सहकारी बैंकों को सभी आंतरिक प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों में स्वायतत्ता प्रदत है । उक्त आलोक में पैक्सों को ऋण स्वीकृत करने का निर्णय संबंधित सहकारी बैंक के प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है । इसमें राज्य सरकार अथवा विभाग की कोई भूमिका नहीं होती है । परंतु जहां तक व्यतिक्रमी(डिफॉल्टर) पैक्स को पुनर्स्थापन कर डिफॉल्टर से मुक्त करने का प्रश्न है, इस संबंध में नाबार्ड का मंतव्य है कि जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का संचालन उनके उपविधि, बायलॉज के माध्यम से बैंकिंग मानक एवं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 (सहकारी समितियों पर यथा प्रयोज्य) के तहत होता है । बैंक का निदेशक मंडल तत्कालीन स्थिति को देखते हुए एवं समुचित सेफ गार्ड रखते हुए व्यतिक्रमी(डिफॉल्टर) पैक्स को पुनः ऋण देने का निर्णय ले सकता है तथापि यह ज्ञातव्य है कि एन0पी0ए0 गणना के श्रेणी में आ जायेगा जिसका असर बैंक के वित्तीय स्थिति पर होगा ।

इस मामले में आर0बी0आई0 का भी मंतव्य है कि जिला सहकारी बैंक द्वारा ऋण दिया जाना उनका व्यवसायिक निर्णय होता है तथापि ऐसे निर्णय लेते समय जिला सहकारी बैंक के लिए निर्धारित व विभिन्न नियामक संस्थाओं के मौजूदा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

उपरोक्त मंतव्य के आलोक में निबंधक, सहयोग समितियॉं, बिहार, पटना के पत्रांक-4819 दिनांक 04.06.2018 द्वारा राज्य सहकारी बैंक एवं जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को निर्णय लेने हेतु परामर्श संसूचित किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, सरकार पैक्सों को अपने एजेंसी के रूप में समझती है और उसको मदद करने के लिए पहले जो ऋण हम 11 प्रतिशत पर देते थे, अब 8 प्रतिशत पर देते हैं और पैक्सों को अधिप्राप्ति प्रति क्विंटल के हिसाब से 10 रू0 उनको प्रबंधकीय अनुदान भी देते हैं और यह सब हमलोग पैक्सों को मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए किये हैं ।

श्री जितेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। महोदय, राज्य सरकार के निर्देशानुसार ही पैक्स अधिप्राप्ति कार्य करती है और पैक्सों को कहा जाता है कि किसान जब धान दे रहे हैं तो 48 घंटे के अन्दर उसका भुगतान कर दीजिए लेकिन पैक्सों का भुगतान 6 महीने, एक साल तक नहीं हो पाता है । जिसके कारण 315 करोड़ रू0 की राशि महोदय नाजायज सूद के रूप में पैक्सों के ऊपर लोड हो गया है । इसका भुगतान कौन

करेगा और इसके लिए दोषी कौन है महोदय, यह हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं ?

श्री राणा रणधीर,मंत्री : माननीय सदस्य की चिन्ता है और विभाग भी इसपर काम कर रही है । अधिप्राप्ति का काम सहकारिता विभाग और खाद्य आपूर्त्ति विभाग मिलकर करता है और इसमें एस0एफ0सी0 की भी बड़ी भूमिका होती है । महोदय, हमें सदन में बताते हुए खुशी है कि धान अधिप्राप्ति के लिए जो ऑनलाईन पोर्टल है बिहार सरकार का, पूरे देश में इस पोर्टल को पहला स्थान मिला है अध्यक्ष महोदय और एक भी कमप्लेन, न इस वर्ष और न पिछले वर्ष किसी किसान का कोई कमप्लेन है उस ऑनलाईन पोर्टल पर । अध्यक्ष महोदय, हमने पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल, पब्लिक फाईनांस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से किसानों का भुगतान करने का शुरूआत हमलोगों ने अभी किया है । इस मोडल के आधार पर हमलोग करते हैं और 48 घंटे के अन्दर हम किसानों का पेमेंट कर देते हैं । माननीय सदस्य की जो चिन्ता है पैक्सों का भुगतान होने में थोड़ा जो विलम्ब होता है, इसमें हम एस0एफ0सी0 से लगातार सहकारिता विभाग संवाद करती है और हमलोग परस्पर मिलकर ही काम करते हैं । उसमें थोड़ी समस्या होती है । लेकिन फिर भी सरकार संवाद के माध्यम से लगातार यह प्रयास कर रही है कि जो बोझ पैक्सों पर पड़ता है । ऐसे सरकार पैक्स व्यापार मंडल जो अधिप्राप्ति का काम करती है, वे चावल के मात्रा के आधार पर प्राप्त होने वाली राशि में 30 दिनों का ब्याज की राशि सन्निहित रहती है, हम नहीं लेते हैं इन्ट्रेस्ट । फिर भी पैक्सों को थोड़ा देर होता है और थोड़ी परेशानी होती है । उसके लिए हमलोग खाद्य आपूर्त्ति विभाग, एस0एफ0सी0 से बात करके उस समस्या का भी समाधान हमलोग कर रहे हैं और जल्दी हमलोग करेंगे ।

श्री जितेन्द्र कुमार : महोदय, इन्होंने कहा कि थोड़ा सा विलम्ब होता है, मैं खुद पैक्स अध्यक्ष हूँ महोदय और अप्रील में चावल हमने जमा किया है और अभी तक पैसे का भुगतान नहीं हो पाया है । ऐसे सैकड़ों पैक्स है महोदय, जो विलम्ब से भुगतान होने के कारण 315 करोड़ रू0 की राशि बेवजह सूद के रूप में लगा है, इसका स्पष्ट उत्तर नहीं आया है। महोदय, 315 करोड़ रू0 जो बेवजह पैक्सों का लगा है, जिसमें पैक्सों का कोई दोष नहीं है, सरकार इसके लिए क्या कर रही है ?

श्री राणा रणधीर,मंत्री : जैसा मैंने बताया महोदय कि एस0एफ0सी0, खाद्य आपूर्त्ति विभाग से बात करके हमलोग लगातार संवाद में हैं । माननीय सदस्य की चिन्ता है और इसमें विभाग की भी चिन्ता है लेकिन इसमें दो विभागों का परस्पर संवाद होने

के बाद ही हमलोग इसको कम करेंगे और माननीय सदस्य लगातार इसकी सूचना मुझे देते हैं, इसलिए हमने उनको बधाई दिया औ हमलोग बराबर लगे हैं कि पैक्सों को जो यह परेशानी होती है, उसको कैसे दूर करें ।

अध्यक्ष : वही माननीय सदस्य का कहना है कि पैक्स के बिना किस गलती के उनका पैसा चूँकि समय पर पैक्स को नहीं मिलता है, इसके कारण वे किसानों को समय पर भुगतान नहीं कर पाते हैं और ...

श्री राणा रणधीर,मंत्री : महोदय, किसान को समय पर भुगतान हो जाता है, उनको दिक्कत नहीं होती है ।

अध्यक्ष : तो पैक्स डिफॉल्टर कैसे बनता है ?

श्री जितेन्द्र कुमार : महोदय, किसान को भुगतान पैक्स कर देती है लेकिन पैक्सों का भुगतान एस0एफ0सी0 नहीं कर पाता है ।

अध्यक्ष : वही न कह रहे हैं । ये किसान का भुगतान कर देते हैं और इनको पैसा नहीं दिया जाता है, इसमें देर होती है । इस गैप के कारण पैक्स डिफॉल्टर कैसे बनता है ?

श्री जितेन्द्र कुमार : यही महोदय सूद नहीं मिल पाता है, समय पर भुगतान पैक्स को नहीं हो पाता है .....

अध्यक्ष : आप दोनों बात कह रहे हैं, आपके कहने का मतलब है कि पैक्स जो पैसा किसानों को भुगतान कर देती है ।

श्री जितेन्द्र कुमार : महोदय, पैक्स किसानों को भुगतान कर देती है लेकिन पैक्सों का एस0एफ0सी0 के द्वारा समय पर पैसे का भुगतान नहीं हो पाता है ।

अध्यक्ष : पैक्स इस परिप्रेक्ष्य में डिफॉल्टर कैसे हो जाता है ?

श्री जितेन्द्र कुमार : मतलब कि उसका भुगतान समय पर नहीं होने के कारण वह राशि समय पर नहीं लौटा पाता है महोदय, जो सी0सी0लोन लेता है ।

अध्यक्ष : वह आप देखवा दीजिए ।

श्री राणा रणधीर,मंत्री : जी, वही मैंने कहा । इसीलिए मैंने कहा कि इनकी चिन्ता जायज है । एस0एफ0सी0 पैसा तब देती है, जब पैक्स चावल गिराता है , किसानों का इसमें कहीं भी पैसा बाधित नहीं होता है, उनको 48 घंटे में मिलता है ।

अध्यक्ष : किसानों को बाधित नहीं होता है लेकिन पैक्स को होता है ।

श्री राणा रणधीर,मंत्री : महोदय, पैक्सों को होता है और उसपर हमलोग काम कर रहे हैं । जब पैक्स चावल गिराता है ।

श्री जितेन्द्र कुमार : महोदय, जो अधिप्राप्ति कार्य है, वह कल्याणकारी कार्य है और किसानों का हमलोग धान खरीदते हैं और उसके लिए हमारा जो पैक्स है, वह 8 प्रतिशत पर सी0सी0 लोन लेती है महोदय तो क्या सरकार बिना सूद का सी0सी0 लोन देना चाहती है ताकि यह समस्या ही नहीं आये ।

श्री राणा रणधीर,मंत्री : महोदय, जैसा मैंने कहा कि हम पैक्सों को मजबूत करना चाहते हैं । पैक्सों को सुदृढ़ करने के तहत जिस लोन का जिक्र माननीय सदस्य ने किया, पिछले वर्षों में 11 प्रतिशत था, हमलोगों ने इसको 8 प्रतिशत किया । हमलोगों ने प्रबंधकीय अनुदान की व्यवस्था की, पहले कोई व्यवस्था नहीं थी । प्रति क्विंटल हम पैक्सों को 10 रू0 प्रबंधकीय अनुदान, जिला सहकारी बैंक को 5 रू0 और राज्य सहकारी बैंक को 50 पैसा प्रति क्विंटल प्रबंधकीय अनुदान देते हैं।

अध्यक्ष : मुख्य बात है कि जो पैक्स किसानों को भुगतान कर देते हैं वो पैसा पैक्स को सही समय पर मिल जाना चाहिए ।

श्री राणा रणधीर,मंत्री : इसके लिए विभाग कार्य कर रही है ।

अध्यक्ष : ठीक है । अब समाप्त करिए ।

श्री जितेन्द्र कुमार : एक पूरक महोदय, जितनी राशि है या पैक्सों का उत्थान करने के लिए क्या मंत्री जी इसका विशेष पैकेज लाकर जो डिफॉल्टर पैक्स हैं, उनको पुनर्जीवित करने का व्यवस्था करना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : यह सब पर तो वे बता दिये कि पैक्स एक स्वायत्त संस्था है और सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत सारे नियम बता दिये हैं ।

श्री जितेन्द्र कुमार : महोदय, लेकिन दोषी तो सरकार ही है ।

अध्यक्ष : चलिए, अब कुछ नहीं है ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा की नियम समिति द्वारा प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के प्रावधानों में कतिपय संशोधनों से संबंधित समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग के माध्यम से सदन के अनुमोदन हेतु दिनांक 22.07.2019 को सदन में उपस्थापित किया गया था ।

उल्लेखनीय है कि समिति की सिफारिशों के उपस्थापन के पश्चात् अभी तक कोई संशोधन प्राप्त नहीं हुआ है ।

अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-288 के परन्तुक के तहत नियम समिति द्वारा अनुशंसित सारे संशोधन बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में अंगीकृत किए जाते हैं ।

अब सभा की बैठक 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न–12/शंभु/25.07.19

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था पर हूँ ।

अध्यक्ष : क्या व्यवस्था है ?

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, इस सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी आज नयी इलेक्ट्रीक गाड़ी कार से आये हैं । हम मांग किया है कि माननीय मुख्यमंत्री सभी माननीय विधायकों को यह गाड़ी उपलब्ध करा दें । यही मैंने आग्रह किया है ।

अध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री जी सभी विधायकों को इस दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए ही तो यहां चढ़कर आये हैं । अब प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

सभा–मेज पर कागजात का रखा जाना

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष–2018–19 के उपलब्धि प्रतिवेदन की प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष–2019–20 के बाल कल्याण योजनाओं की बजट पुस्तिका की प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष–2019–20 के परिणाम बजट पुस्तिका की प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा–11 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष–2018–19 के बजट प्राक्कलन के सन्दर्भ में चतुर्थ तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय का रूझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन की प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2019-20 के जेण्डर बजट पुस्तिका की प्रति सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब विधायी कार्य ।

विधायी कार्य

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2019

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2019'' को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2019'' को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, मैं व्यवस्था पर हूँ ।

अध्यक्ष : किस नियम के तहत व्यवस्था पर हैं ? व्यवस्था का प्रश्न क्या होता है ? क्या है 114 पढ़िये ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, यदि किसी विधेयक के पुर:स्थापन के अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाय तो अध्यक्ष यदि ठीक समझें, प्रस्ताव करनेवाले सदस्य उसका विरोध करनेवाले सदस्य को संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य के लिए अनुमति देने के बाद आगे वाद-विवाद के बिना उसपर प्रश्न रख सकेंगे ।

अध्यक्ष : पुर:स्थापन में संशोधन का कोई नहीं न है ?

श्री समीर कुमार महासेठ : इसमें है क्या महोदय, कि दो बिन्दुओं पर हमारा विरोध है ।

अध्यक्ष : वह तो आप आगे अपनी बात रखियेगा ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2019'' को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

अब विचार का प्रस्ताव, प्रभारी मंत्री ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2019'' पर विचार हो।

विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री रामदेव राय का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । अतएव सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात् विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा । क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : जी हां, मूव करूँगा ।

अध्यक्ष : करिये ।

श्री रामदेव राय : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2019'' के सिद्धांत पर विचार हो ।''

महोदय, बिहार तकनीकी सेवा चयन आयोग इसके पहले अधिनियम, 2014 के 13(1) के अनुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों में आयोग के सचिव को राज्य के विभागाध्यक्ष के समकक्ष शक्तियों को प्रयोग करने की शक्ति थी । अब केवल एक को इसी चीज को बदलने के लिए आपने इतना बड़ा संशोधन लाया है कि किस प्रकार सचिव से वित्तीय पावर छीनकर के सारा पावर आप अध्यक्ष और आयोग को देना चाहते हैं । मैं इसी के औचित्य पर आपको बताना चाहता हूँ और थोड़ा सा इसके सन्दर्भ में कुछ अन्य बातें भी बताना चाहता हूँ । इसमें कारण यह भी है कि अधिनियम, 2015 के 10(1) में आयोग की वित्तीय शक्तियां आयोग के अध्यक्ष और आयोग में निहित की गयी है । ऐसा क्यों हुआ ? 2014 में आप सचिव को वित्तीय अधिकार देते हैं, प्रशासनिक अधिकार देते हैं और 2015 में उस आयोग को हटा देते हैं तो दोनों में विरोधाभाष हो गया, इसलिए आप इस बार यह लाये हैं । मुझे कहना है कि देश में इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश सत्र की समाप्ति पर औसतन 50 प्रतिशत से ज्यादा सीटें खाली रह जाती है । इस स्थिति को देखते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने कम दाखिले वाले तकनीकी संस्थाओं को बंद करने का निर्णय ले रही है । राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में 380 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जिसमें शैक्षणिक सत्र-2016-17 में मंजूर सीटों की संख्या

1 लाख 42 हजार 328 थी । इनमें से 1 लाख 7 हजार 164 सीटों पर दाखिला हो सका और 35195 सीट अब तक खाली है । इस प्रकार देश में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में 25 प्रतिशत सीटें खाली रह जाती है । हुजूर, इससे भी खराब स्थिति देशभर की है कि देशभर में 2977 निजी इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें स्वीकृत सीटों की संख्या 15 लाख 97 हजार के लगभग है ।

अध्यक्ष : रामदेव बाबू, यह संशोधन तो सिर्फ वित्तीय शक्तियों से संबंधित है ।

श्री रामदेव राय : जी, वित्तीय शक्ति क्यों दिया जाय जब हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज बंद होने जा रहे हैं ।

क्रमशः

टर्न-13/ज्योति/25-07-2019

क्रमशः

श्री रामदेव राय : पढ़ाई नहीं होती है, हमारे सीट भरते नहीं है, इसका कारण तो मैं सरकार को बताऊंगा थोड़ा सा समय दीजिये न, आगे मैं इसको औरा क्लियर कर देता हूँ ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : तकनीकी सेवा आयोग का इंजीनियरिंग से कोई संबंध नहीं है, लगता है इनको जिसने भी सलाह दिया होगा, लिख-लाख के दिया होगा, गलत है उसको जानकारी नहीं है ।

श्री रामदेव राय : लिखता कोई नहीं है । रामदेव राय को अपने लिखने भी आता है और पढ़ने भी आता है । तकनीकी शिक्षा में मेडिकल, इंजीनियरिंग ।..

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : बहाली के लिए है ।

श्री रामदेव राय : हम समझे । मै तो उसी पर आ रहा हूं संदर्भ में कुछ व्याख्यात्मक बातें बता रहा हूं । आप आयोग बना रहे हैं बहाल किसमें कीजियेगा कॉलेज में ही न ?

अध्यक्ष : वह नियुक्तियों से संबंधित है ।

श्री रामदेव राय : वही मैं बता रहा हूँ ।

अध्यक्ष : पढ़ाई से संबंधित नहीं है, वह कह रहे हैं ।

श्री रामदेव राय : फिर मैं कह रहा हूँ कि नियुक्तियाँ किस काम के लिए कर रहे हैं, आप यही बतला दीजिये नियुक्तियों के पीछे क्या कारण है, क्यों सीट खाली रहता है मैं यह बतला रहा हूँ । सीट खाली रहने का क्या कारण है, इंजीनियरिंग कॉलेज यह मैं बता रहा हूं । यह नहीं है कि मैं इसको नहीं जान रहा हूं । इसलिए मैं उस संदर्भ में बोल रहा हूं कि आप इतने मेहनत से इंजीनियरिंग कॉलेज खोलते जा रहे हैं दाखिला इतना कम जोते जाए रहा है उसके पीछे कारण क्या है । कारण यह है कि जब 12 वीं कक्षा के बाद छात्र उच्च शिक्षा में नहीं जा पाते हैं । 20

प्रतिशत से ज्यादा छात्र नामांकन में नहीं जा पाते हैं । कारण यह है कि वहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है । पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है और भी कारण है जिस कारण इंजीनिरयरिंग कॉलेज में सीटें खाली हैं । आप तो बोलने नहीं दिए, हम पूरी बात चाहते थें कि बोलें लेकिन मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि यह कॉलेज नहीं है । हम जानते हैं कि चयन सेवा आयोग के स्थान पर ही यह आयोग ला राहे हैं । आयोग पर आयोग आप बनाते चले जा रहे है, इसका रिजल्ट क्या होगा, कभी कॉलेज कमीशन बनाते हैं, कभी यूनिवर्सिटी आयोग बनाते हैं, कभी परीक्षा आयोग बनाते हैं, कभी कोई आयोग बनाते हैं और रिजल्ट नगण्य हो जाता है । आप मेडिकल कॉलेज की हाल देखिये सर मेडिकल कॉलेज में क्या है ? पी. एम.सी.एच. में 110.80 करोड़ रुपया मिलता है और छात्र 50 पढ़ते हैं । इसी से आप अंदाज आप लगा सकते हैं । हमारे राज्य में 13 इंजीनियरिंग कॉलेज है 7740 छात्र छात्राएं पढ़ रही हैं । इन कॉलेज में 96.81 करोड़ रुपये सालाना मद में खर्च होता है फिर भी हमारा रिजल्ट एक्सीलेंट नहीं होता है । सेंटर औफ एक्सीलेंस के रुप में हमारा कोई कॉलेज ग्रोथ नहीं कर रहा है । मेन प्वायंट मेरा यही कहना है । लगता है इसको मुख्यमंत्री जी नहीं पसंद कर रहे हैं ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : पसंद नापसंद की बात नहीं है । आप जो दे रहे हैं वह इससे जुड़ा हुआ शब्द ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं है । यह तकनीकी सेवा आयोग से संबंधित है । यह इंजीनियरिंग कॉलेज से कोई इसका रिश्ता नहीं है, वह बता रहे हैं इसलिए वह सब विषय उठाना है तो अलग संदर्भ में उठाईये । इसके लिए अलग से प्रस्ताव लाईये । कॉल अटेंशन मोशन लाईये कुछ भी लाईये, वह सब अलग चीज है । इस तकनीकी सेवा आयोग के अधिनियम के संशोधन का इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या या विद्यार्थियों की संख्या से कोई रिश्ता नहीं है । और आपको हम यह भी बता दें, बैठ जाईयेगा तब न, नहीं तो दोनों आदमी खड़े रहेंगे तब हम भी बैठ जायेंगे । यह तकनीकी सेवा आयोग से इंजीनियर्स की बहाली भी नहीं होनी है । इंजीनियर्स की जो सरकारी सेवा में रहेंगे, उनकी बहाली भी इससे नहीं है । ग्रेजुएट इंजीनियर्स और उसके ऊपर वाले का सब चला गया फिर से बी.पी.एस.सी. को ही, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को ही चला गया है इसलिए उसका इसका कोई रिश्ता नहीं है । तकनीकी सेवा आयोग जो गठित हुआ है, उस सेवा आयोग में जो अभी आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता देंगे, बहुत साधारण सी बात है, उसमें एक कंफ्युजन हो रहा था तो बाकी जगहों पर आयोगों के लिए जो बना हुआ है प्रावधान सरकार की तरफ से, वही

इसपर भी लागू होगा, इतना ही मात्र इसमें संशोधन है और अलग से कोई बात नहीं है ।

श्री रामदेव राय : ठीक है सर । हमारा यह कहना था कि किसी भी प्रकार की बहाली इसमें होगी तो जब पढ़ाई होगी ही नहीं तो बहाली का क्या औचित्य है और उसमें सचिव के वित्तीय अधिकार छीनने का क्या अधिकार है ? सचिव का वित्तीय अधिकार आप छीन रहे हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है ।

अध्यक्ष : अब सिद्धांत पर विमर्श के बाद जनमत जानने का प्रस्ताव है । माननीय सदस्य श्री शक्ति सिंह यादव, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री ललित कुमार यादव, श्री भोला यादव, श्री कुमार सर्वजीत, श्री विजय प्रकाश , श्रीमती अमिता भूषण एवं श्री आलोक कुमार मेहता द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित कराने का प्रस्ताव दिया गया हे । क्या माननीय सदस्य श्री शक्ति सिंह यादव अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2019 दिनॉक 31 अक्टूबर, 2019 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो । ''

अध्यक्ष महोदय, तकनीकी सेवा आयोग में जो संशोधन आये हैं उस संशोधन में वित्तीय संबंधी मामला है अधिकार प्रदत्त करने का चूंकि सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं और कन्सर्न भीर हैं चूंकि सामान्य प्रशासन और कार्मिक दोनों इसमें कतिपय सुझाव माननीय मुख्यमंत्री जी को हम देना चाहते हैं कि इस विधेयक में संशोधन जो आया है, इसमें एक और चीज जोड़नी चाहिए अनुश्रवण का और प्राधिकार गठित हो इसमें ताकि जो वायलेशन होता है, कई आयोग जो बहालियॉ करती है, नियुक्तियों में कई चीजों का वायलेशन होता है खासकर रिजर्वेशन का तो उसमें एक अनुश्रवण और प्राधिकार का भी गठन होना चाहिए ताकि किसी भी परिस्थिति में हमारा जो रिजर्वेशन है वह कहीं न कहीं वह गलत दिशा में नहीं जाय तो उसके लिए एक उत्तरदायी कहीं न कहीं उसमें किसी पर देनी चाहिए और एक अच्छा हमें लगता है और इस पर हर हाल में इन चीजों पर सुझाव देना चाहिए यही सुझाव के साथ चूंकि आप जल्दी में है इसलिए ज्यादा नहीं बोल कर अपनी बात समाप्त करते हैं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2019 दिनॉक 31 अक्टूबर, 2019 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो । ''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव । इसमें माननीय सदस्य डा0 रामानुज प्रसाद द्वारा प्रस्ताव आया है । डा0 रामानुज प्रसाद मूव करेंगे ?

संयुक्त प्रवर समिति

डा0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2019 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से एक माह के अंदर दे । ''

डा0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, सरकार वैसे तो इसके एक उपबंध में संशोधन की बात कर रही है । लेकिन मैं सरकार के द्वारा इसतरह के बनाये जाने वाले विभिन्न उपक्रमों के विषय को एक कहावत के माध्यम से कहना चाहता हूँ । एक राजा था । उसका हाथी बीमार पड़ गया । राजा को जानकारी मिली तो राजा गए देखने हाथी तो उन्होंने महावत से पूछा – यह हाथी क्यों बीमार पड़ गया, लगता है तुम खाना ठीक से नहीं दे रहे हो, ठीक से देख रेख नहीं कर रहे हो तो उन्होंने एक और महावत बहाल कर दी । वह जब एक सप्ताह के बाद फिर गए तो देखे कि हाथी की स्थिति पहले से भी बुरी है, भाई क्या गड़बड़ी हुई कि फिर पहले से- अब तो दो देख रेख करने वाला था तो उसने कहा भाई आपने दो रख दिया, तब फिर तीसरे की बहाली हो गयी, फिर उस पर मैनेजर की बहाली हो गयी यानी विभाग पर विभाग खुलते गए । अंत में जब राजा को मालूम हुआ कि हाथी ही मर गया जो रामदेव बाबू कोट कर रहे थे । सरकार तो बना रही है लेकिन सरकार जितने आयोग गठित कर ले, वित्तीय अधिकार दे दे, संशोधन करके लाया है और एक आया है उसपर हमलोग बोलेंगे जबतक सरकार की यह मंशा नहीं स्पष्ट करती है कि चाहे वह वित्तीय अधिकार को किस तरह से लागू किया जायेगा, उस बिंदु पर सरकार कितना देख रेख और सजग हो कर कर रही है, कितना उत्तरदायी बना रही है उस विभाग या उस पदाधिकारी को तबतक मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, सारी बातें फेक- फीक्टीसस होती रहेंगे, परिणाम नहीं आयेगा राज्य की गरीब जनता के हित में इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको एक संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जाय और वह उसपर विचार करके तब आपनी रिपोर्ट दे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2019 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से एक माह के अंदर दे । ''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

टर्न-14/25.07.2019/बिपिन

अध्यक्ष : अब मैं खंडशः लेता हूं ।

खंड-2 में पांच संशोधन है । माननीय सदस्या श्रीमती अमिता भूषण अपना संशोधन मूव करेंगी ?

श्रीमती अमिता भूषणः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि :

''विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित संशोधन की प्रथम पंक्ति के शब्द समूह ''कार्य संचालन हेतु'' को विलोपित किया जाय ।''

अध्यक्ष महोदय, आप पूरे वाक्य को पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि यह शब्द निरर्थक है, शायद हड़बड़ी में लाया गया । इसलिए मैंने यह संशोधन दिया ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित संशोधन की प्रथम पंक्ति के शब्द समूह ''कार्य संचालन हेतु'' को विलोपित किया जाय ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे?

श्री समीर कुमार महासेठः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित संशोधन की प्रथम पंक्ति के शब्द ''आयोग'' एवं शब्द ''की'' के बीच शब्द समूह ''के अध्यक्ष एवं सचिव'' को अंतःस्थापित किया जाय ।''

महोदय, यह शब्द समूह वाक्य को सार्थक बनाते हैं और स्पष्ट करते हैं कि सरकार अलग-अलग नियमावली बनाकर अध्यक्ष और सचिव के शक्तियों को परिभाषित करेगी । आयोग शब्द में कहीं सचिव नहीं आता है । इसलिए सचिव का भी मैंने जिक्र किया है । आयोग का गठन केवल अध्यक्ष से नहीं होता है, बल्कि अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों सहित होता है । आयोग शब्द उपयुक्त नहीं है । इसलिए मैंने स्पष्ट करते हुए आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव को अंकित करने से संबंधित संशोधन दिया है। मैं आशा करता हूं सरकार इस संशोधन को मानेगी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित संशोधन की प्रथम पंक्ति के शब्द ''आयोग'' एवं शब्द ''की'' के बीच शब्द समूह ''के अध्यक्ष एवं सचिव'' को अंत:स्थापित किया जाय ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित संशोधन के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय :-

'' जिसमें आयोग की राय अपेक्षित है ।''

मैं इसलिए संशोधन दिया हूं कि आयोग जब पूर्ण बॉडी है तो कोई भी निर्णय चाहे वह उसके अध्यक्ष के बारे में हो, चाहे सचिव के बारे में, चाहे किसी सदस्य के बारे में हो, पूर्ण आयोग की राय से ही कोई काम होना चाहिए । इसलिए मैंने यह संशोधन दिया है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित संशोधन के अंत में निम्न शब्द समूह जोड़ा जाय :-

'' जिसमें आयोग की राय अपेक्षित है ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे?

श्री समीर कुमार महासेठ: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित संशोधन के बाद एक नया उपखंड निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

''(2) एक माह के अन्दर इस अधिनियम के विपरीत नियमावली बनाने वाले जिम्मेवार अधिकारियों को चिन्हित कर उनपर कार्रवाई की जायेगी ।''

महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक के उद्देश्य एवं हेतु को देखकर हतप्रभ हूं । शायद यह विधान सभा के इतिहास में पहली बार होगा जब नियमावली को जस्टिफाई करने के लिए अधिनियम को ही बदला जा रहा हो । महोदय,

अधिनियम के अनुसरण में नियमावली बननी है और यदि नियमावली में अधिनियम के विपरीत कोई बात है तो नियमावली में परिवर्त्तन होना चाहिए लेकिन यह उल्टी गंगा बहायी जा रही है और अधिनियम में ही नियमावली के अनुरूप संशोधन लाया गया है। इससे अधिकारियों को क्या मैसेज जाएगा ? आप स्वयं सोच सकते हैं । सदन द्वारा पारित विधेयक जिसने अधिनियम का रूप ले लिया उसकी खिल्ली उड़ाते हुए अधिकारियों ने विरोधाभाषी नियमावली बना दिया । आखिर इस सदन के मातहत क्या रहेगी ? इसलिए मैंने यह संशोधन दिया है कि संशोधन विधेयक तो पारित आप करा ही लेंगे लेकिन अधिकारियों में एक मैसेज जाना चाहिए कि भविष्य में ऐसी पुनरावृति नहीं हो और कोई भी नियमावली अधिनियम के अंतर्गत ही बने इसे सुनिश्चित करने का अन्यथा कार्रवाई करने की व्यवस्था हो ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित संशोधन के बाद एक नया उपखंड निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

''(2) एक माह के अन्दर इस अधिनियम के विपरीत नियमावली बनाने वाले जिम्मेवार अधिकारियों को चिन्हित कर उनपर कार्रवाई की जायेगी ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्रीमती अमिता भूषण अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्रीमती अमिता भूषण: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित संशोधन के बाद एक नया उपखंड निम्न प्रकार जोड़ा जाय :

''(2) एक माह के अन्दर अधिनियम के अनुसरण में बनी नियमावली की समीक्षा कर अधिनियम से विरोधाभासी नियमावली को निरस्त किया जायेगा ।''

महोदय, इस संशोधन विधेयक के उद्देश्य एवं हेतु को पढ़ने से पता चलता है कि नियमावली विरोधाभाषी बन गई है इसीलिए इसे लाया गया है । ऐक्ट की प्रधानता होती है न कि नियमावली की । इसलिए आप समीक्षा करें कि नियमावली के और भी विरोधाभासी नियम हो तो उन्हें निरस्त करें ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''विधेयक के खंड-2 में प्रस्तावित संशोधन के बाद एक नया उपखंड निम्न प्रकार जोड़ा जाय :

''(2) एक माह के अन्दर अधिनियम के अनुसरण में बनी नियमावली की समीक्षा कर अधिनियम से विरोधाभासी नियमावली को निरस्त किया जायेगा ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2019 स्वीकृत हो ।''

अध्यक्ष : आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या ?

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: महोदय, हमलोग माननीय सदस्य हैं बिहार विधान सभा के और हमलोगों का दायित्व रहता है विधान बनाना, विधेयक बनाना, उस पर नजर रखना । मगर जिस काम की जिम्मेदारी मुझको ज्यादा दी गई, उसको हमलोग बहुत नजरअंदाज कर देते हैं ''हॉ''-''ना'' तक ही सीमित रह जाते हैं ।

महोदय, अब चूंकि यह जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग है तो जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि किसी माननीय सदस्य को किसी ने लिखकर दिया होगा, वही आप बता रहे हैं, ठीक है, हो सकता है लिखकर दिया भी हो मगर सरकार को तो विभाग एक अमला है बड़ा सा सरकार का । वह अमला बनाकर देता है, फिर विधि विभाग में जाता है । फिर विधि विभाग से उसकी स्वीकृति मिलती है । फिर आता है हाउस में । तो जब भी कोई विधेयक कानून बनता है तो पूरा ठोक-ठठा कर बनता है ।

2014 का संधोधन हम 2019 में लेकर आए हैं और सिर्फ एक मामूली बात के लिए कि यह जो वित्तीय शक्ति है जो आयोग और अध्यक्ष को मुहैय्या कराई गई थी, अब वह सचिव में भी वह वित्तीय शक्ति दी जा रही है । क्रमशः ....

टर्न : 15/कृष्ण/ 25.07.2019

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी (क्रमश :) : जो हमने इसमें देखा है, अब क्या है कि अगर आपका यह सुविचारित होता इतना उस वक्त आपको पता नहीं चला कि सेक्रेटरी को दिया जाय या आयोग को दिया जाय या अध्यक्ष को दिया जाय । खैर, उस वक्त आपने दिया । मगर इसकी भी गुंजाईश है, अब जैसे सेक्रेटरी को दिया जा रहा है तो हो सकता है कि आगे यह संशोधन आ जाय कि सेक्रेटरी आई0ए0एस0 ही होंगे, यह भी हो सकता है । तो इसलिए मेरा कहना है, पास तो यह हो ही जायेगा, बहुमत है आपका और हमलोग इसको रोकना नहीं चाहते हैं । मगर इतना जरूर चाहते हैं कि जब भी कोई कानून बनाईये, विधेयक लाईये तो वही कानून बहुत दिनों तक चलता है तो उसको लोग मानते हैं कि सुविचारित है और आप चार-पांच के अंदर संशोधन लाये हैं और फिर संशोधन कब लाईयेगा, समय-समय पर आता है मगर तो यह अध्यक्ष को उस वक्त दिया गया इसका मतलब उस वक्त ठीक से विचार नहीं किया गया कि सेक्रेटरी को वित्तीय पावर रहना चाहिए । मगर अब कहते हैं कि देर आये दुरूस्त आये मगर यह अंतमि नहीं है चूंकि आपकी यह फितरत बन गयी है कि बार-बार बिल

लाना और उसमें संशोधन लाना तो मैं इस वजह से कह रहा हूं कि अब भविष्य के लिये कम से कम ठोक-ठठाकर और अमला का इस्तेमाल करके और विधि विभाग की पूरी राय लेकर के आप विधेयक लाया कीजिये ताकि चले ।

अध्यक्ष : आपकी बात पर माननीय मंत्री श्री विजेन्द्र बाबू जरूर गौर करेंगे । माननीय मंत्री ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, दो आदमी और जो माननीय सदस्य बोले, तीन आदमी तो पुराने सदस्य हैं रामानुज जी, सबसे ज्यादा सिद्दिकी साहब, रामदेव बाबू और पुराने लोगों में से हैं । लगता है कि पढ़ाई-लिखाई का मामला इनलोगों ने छोड़ दिया है । मूलतः है क्या मामला ? महोदय, जो मौलिक बात है 2014 में जो तकनीकी आयोग बना था, यह नियुक्ति के लिये बना था चूंकि तकनीकी पद पर जो डिग्रीधारी होते हैं उसकी क्या फिर से परीक्षा ली जाये तो उस समय माननीय मंत्री जी की यह सोच थी कि बहुत सारी कमियां हैं, जल्दी जल्दी नियुक्ति नहीं हो पाती है, एक तकनीकी आयोग का गठन किया गया, चूंकि पब्लिक सर्विस कमीशन में वक्त लगता था । अब जैसे डाक्टर की बहुत कमी है, हमेशा माननीय सदस्य बोलते रहते हैं, एनिमल हस्बेंडरी डॉक्टरों की कमी है तब इन्जीनियरिंग फिर पब्लिक सर्विस कमीशन में ही जायेगा और बाकी की नियुक्ति की प्रक्रिया जुनियर इन्जीनियर वगैरह इन सबों की होगी । अब रामदेव बाबू इन्जीनियरिंग कॉलेज की बात करने लगे । नियुक्ति आयोग का इन्जीनियरिंग कॉलेज से कोई वास्ता नहीं है, बिहार तकनीकी सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-13(1) में निम्नवत संशोधन है । इसीलिये इन्जीनियरिंग कॉलेज से इसका कोई वास्ता नहीं है ।

(व्यवधान)

आप तो इन्जीनियरिंग कॉलेज की क्वालिटी पर भाषण देने लगे । महोदय, अब 2014 में जो था, माननीय सिद्दिकी साहब उल्टे बोल रहे थे । प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों में आयोग के सचिव को राज्य सरकार के विभागाध्यक्षों को प्रदत्त शक्तियों के समकक्ष शक्ति का प्रयोग करनेकी शक्तियां थी ।

अब संशोधन ला रहे हैं । संविधान में कितनी बार संशोधन हो गया है । समय के अनुरूप, भाई वीरेन्द्र जी चले गये, वह उठा रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी आये हैं तो पहली दफा विधायकों को गाड़ी देने का, ऋण देने का फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही किया । सस्ते दर पर । पहले यह फैसला

नहीं था । तो कई फैसले होते हैं आवश्यकता के अनुरूप । हमलोगों का भी तनख्वाह, तलब, टी0 ए0, अन्य भत्ते टाईम टू टाईम संशोधन हुआ करते हैं । कल आप कर्पूरी जी के साथ थे और आज हनके साथ है तो समय-समय पर परिवर्त्तन होता रहता है । इसमें कहां कोई आपत्ति है ।

महोदय, इसमें यही संशोधन लाया गया है कि सरकार नियमावली बनायेगी और नियमावली कैबिनेट से होता है, अधिकारी पदधिकारी केवल दोषी हो जायेंगे, यह भी अनावश्यक बात है । कैबिनेट एप्रुव करता है तो बार-बार सदन में आना पड़े और आयोग के अध्यक्ष को कोई शक्ति नहीं, आयोग के मेम्बर को कोई शक्ति नहीं, इससे कठिनाईयां होती थी । उस समय एक नई चीज थी । इसको सुधारने के लिये ही अब नियमावली बनेगी, इतना ही संशोधन इसमें है और नियमावली कैबिनेट से एप्रुव हो करके टाईम टू टाईम आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने की, शक्ति बढ़ाने की यही इस संशोधन का लक्ष्य है महोदय । इसलिए मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि इसे पारित करने की कृपा करें । महोदय, नियमावली जो कैबिनट पारित करेगी उसकी प्रति तो सदन में आती ही है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक,2019
स्वीकृत हो । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक,2019 स्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्यगण, अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विधेयक, 2019 । प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग ।

<u>बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विधेयक, 2019</u>

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

" बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विधेयक, 2019 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इसे पुर:स्थपित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

अब विचार का प्रस्ताव । प्रभारी मंत्री ।

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विधेयक, 2019 पर विचार हो ।"

अध्यक्ष : बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-122(1) के तहत माननीय सदस्य श्री रामदेव राय एवं श्री आलोक कुमार मेहता का विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

अतएव विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श होने के पश्चात विचार का प्रस्ताव लिया जायेगा ।

<u>विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श</u>

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी अपन प्रस्ताव मूव करें ?

श्री रामदेव राय : जी हां । मूव करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विधेयक,2019 के सिद्धांत पर विमर्श हो । "

महोदय, सबसे पहले मैं इस बात का खंडन करना चाहता हूं कि हमारे मंत्री जी बताये कि पढ़कर नहीं आते हैं । उनको शायद पता नहीं है । मेरा कोई दिन ऐसा नहीं बीतता होगा जिस दिन में कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ता नहीं हूं और लिखता भी हूं । भले ही मेरे नाम से कोई अखबार नहीं निकलता हो, मैं किसी के खिलाफ नहीं निकालता हूं । इसलिये इस भ्रम को छोड़ दीजिये । मैं पूरी बात कहता तो आप जरूर समझते कि मैं कहना क्या चाहता हूं । खैर, इन बातों को छोड़िये । चूंकि मुख्यमंत्री जी हैं । स्वयं इन्होंने इस बात का जवाब दिया ।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विधेयक, 2019 किसलिये लाया गया है, यह बात मुझे समझ में नहीं आती है । किस कारण से लाया गया है ? चूंकि हमारे पास परीक्षा बोर्ड, इन्टरमीडिएट कॉसिंल सारे एक साथ काम कर रहे थे

और आप इस बीच में ले आये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पावर, नियुक्तियां, कार्य संचालन की विधियां उसी तरह से इसमें करीब-करीब स्पष्ट है, जो पहले भी थी । थोड़ा बहुत सुधार है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी । वह तो नियमावली बना करके भी किया जा सकता था । सरकार को पावर है ।

विद्यालय परीक्षा समिति के बारे में मैं क्या कहूंगा, सदन के सारे माननीय सदस्य जानते हैं । विद्यालय परीक्षा समिति के क्या हालात हैं, आज भी है, कल भी था और आगे क्या होगा इस पर चिन्ता करने की जरूरत है । इधर भी आप देखें होंगे कि एक चपरासी के घर से परीक्षा की कॉपियां मिली । हम तो समझते हैं कि एक परीक्षार्थी की कम से कम उसके जीवन तक उसकी कॉपी रहनी चाहिए परीक्षा विभाग में लेकिन यह नहीं हो पाता है । पाठ्यक्रम का क्या तरीका है ? कहीं भी कोई पढ़ाई नहीं होती है । हमारे पास शिक्षक नहीं हैं, हाई स्कूलों में जाईये तो वहां दो या तीन शिक्षक हैं और लड़का हजारों में हैं, मुख्यमंत्री जी साईकिल दिये तो जरूरत लड़के-लड़कियों की संख्या बढ़ी मगर इन्फ्रास्ट्रक्चर बढाने के लिये कोई इंतजाम नहीं किया गया । कहीं नहीं । न भवन बनाने का, न बेंच, डेस्क और न पढ़ाई की । पढ़ाई की व्यवस्था के इंतजाम के लिये इसमें कोई व्यवस्था नहीं है । इसमें कहीं नहीं है । इसको कैसे तैयार करेंगे ? सिलेबस को कैसे लागू करेंगे ?

क्रमश :

टर्न-16/अंजनी/दि0 25.07.2019

श्री रामदेव राय : क्रमशः ... पहले हमलोग पढ़ते थे, उस समय निरीक्षी पदाधिकारी जाकर के निरीक्षण करते थे एक महीना-दो महीना में जाकर...

(व्यवधान)

आप मोटी किताब रख दिये हैं, सबको आप भोला विद्यार्थी समझते हैं क्या ? आपके पास कुछ है ही नहीं और संशोधन पर संशोधन देते चले जा रहे हैं अपने मन के, संशोधन देने का क्या औचित्य है ?

अध्यक्ष : माननीय रामदेव बाबू, आप अपनी बात जारी रखिए ।

श्री रामदेव राय : इसमें कहीं निरीक्षी पदाधिकारी का जिक्र है, कहीं है इसमें कि निरीक्षी पदाधिकारी कैसे निरीक्षण करेंगे स्कूल को । इसमें कहीं है, आप बता दीजिए खड़े होकर, आप पढ़ते हैं तो बता दीजिए । कहीं नहीं है । इसमें निरीक्षी पदाधिकारी का योगदान होना चाहिए । हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील

करेंगे कि प्राथमिक विद्यालय हो, हाई स्कूल हो, इंटर काउन्सिल हो, आप इसमें निरीक्षी पदाधिकारी के दायित्व को बढ़ाइए । आज भी लड़के नहीं आते हैं, क्लास खाली रहता है और जो टीचर हैं, बैठकर के वहां से चले जाते हैं । पढ़ाई होती नहीं है और संशोधन विधेयक हमारे पास आता-जाता है । अनुदान देते हैं, जब अनुदान देते हैं तो वेतन क्यों नहीं देते हैं ? क्या कारण है कि टीचर को वेतन नहीं देते हैं, आपका तो पैसा जा ही रहा है खजाना से और उसी में बेईमानी भी होती है । अगर मुख्यमंत्री जी कम ही वेतन देकर उनके खाता में पैसा भेज देंगे वेतन के नाम पर तो टीचर भी खुश होंगे । आप कहीं भी चले जाइए, कहीं पढाई नहीं होती है । परीक्षा में क्या धांधली होती है, रिपोर्ट आ जाता है कि पूरी कड़ाई है और एक साधारण स्कूल में से 100 में से 80-90 छात्र फर्स्ट डिवीजन पास करते हैं, मेरा स्कूल भी उसी में है सर । आप लड़के की जांच करिए, कितने लड़के उसमें पास कर सकते हैं । मेरा कहना है कि जो आप संशोधन लाये हैं जिस मकसद से, उस मकसद में पब्लिक रिलेशन से उसको जोड़िए, छात्र के भविष्य से इसको जोड़िए, शिक्षक की भविष्य के लिए जोड़िए ताकि बिहार की जनता जिसका ग्रोथ रेट एजुकेशन में बहुत कम है, मैं पहले ही कहा हूं कि 20 प्रतिशत से ज्यादे छात्र नहीं जा पाते हैं उच्च शिक्षा में, उससे जोड़िए ताकि मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, वह पूरा हो सके ।

<u>जनमत जानने का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचारित कराने का प्रस्ताव दिया गया है, क्या माननीय सदस्य ललित कुमार यादव मूव करेंगे ?

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मैं मूव करूँगा ।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विधेयक, 2019 दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो ।"

महोदय, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की क्या स्थिति है, यह जगजाहिर है, इसमें बहुत बताने की जरूरत नहीं है । महोदय, सरकार के द्वारा जो संचालित विद्यालय हैं, वह बिल्कुल समाप्ति की कागार पर पहुंच गया है । महोदय, वर्ष 2015-16 और 2016-17 के बीच स्कूल छोड़नेवालों छात्रों की संख्या में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

महोदय, बिहार में शिक्षकों की कमी और खराब शिक्षण व्यवस्था के कारण छात्र सरकारी विद्यालय में पढ़ाई करके बगल के कोचिंग में पढ़ते हैं। हमारे गांव में भी नामांकन भले ही स्थानीय सरकारी विद्यालय में है लेकिन उनकी पढ़ाई कोचिंग सेंटर में ही हो रहा है महोदय । महोदय, आज सरकारी विद्यालय में पढ़नेवाले छात्रों का रिजल्ट दिखाकर सरकार वाह-वाही लूट रही है, वह रिजल्ट तो कोचिंग में पढ़ाई की बदौलत है । महोदय, आज जो सरकारी विद्यालय में पढ़ने और विश्व बैंक की 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक विज्ञान एवं गणित में राज्य के सरकारी विद्यालयों के छात्र कमजोर पाये जाते हैं । महोदय, 2015-16 के यू-डैस के रिपोर्ट के मुताबिक स्कूलों में सुविधा के अभाव के कारण सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं टिक पा रहे हैं महोदय । महोदय, 2009 में करीब 27 लाख बच्चे का इंट्री सरकारी स्कूल में दाखिला हुई, परन्तु 2018 आते-आते छात्रों की संख्या मैट्रिक बोर्ड में घटकर 17.98 लाख हो गयी । महोदय, कक्षा 1 से 10 आते-आते 9 लाख बच्चे सरकारी स्कूल की पढ़ाई छोड़ देते हैं । महोदय, 18 से 23 मार्च लगभग 1 करोड़ विद्यार्थी को उच्च शिक्षण संस्थान में होना चाहिए परन्तु 14 लाख ही विद्यार्थी राज्य के निजी सरकारी उच्च शिक्षण संस्थान में होते हैं । अध्यक्ष महोदय, इसमें जो अध्यक्ष की उम्र सीमा है, वह तय नहीं है, जबकि आदेशपाल की बहाली में भी इसकी आयु सीमा तय होती है। महिला सदस्य का कोई जिक्र नहीं है, कहां कहा गया है कि सरकार की तरफ से 33 प्रतिशत् वादा है लेकिन इसमें कोई अंकित नहीं है । एस0सी0, एस0टी0, अल्पसंख्यक सदस्यों का कोई जिक्र नहीं है महोदय, पहले शिक्षाविद् से भी अध्यक्ष होते थे, लगता है कि सारे जगह आयोग में तो नहीं, शिक्षाविदों को इसमें देना चाहिए । पहले की भी परिपाटी थी, कितने उम्र सेवानिवृत्त आई0ए0एस0 इसमें सचिव, अध्यक्ष होंगे, इसका भी जिक्र नहीं है । महोदय, खंड-37, 38, 39 में अंकित है कि पुराना 1952 विधेयक जो समय-समय पर परिवर्त्तन किया गया है । नियम, विनियम, आदेश, अधिसूचना लागू रहेगा, केवल उपर का ढ़ांचा बदला हुआ है, इसलिए व्यापक चर्चा के लिए हम जनमत जानने के लिए अनुरोध किया है । यह बिल्कुल छात्रहित में नहीं है। विद्यालय परीक्षा समिति 2019 जो आप विधेयक ला रहे हैं, उसमें छात्रहित की व्यापक चर्चा होनी चाहिए, इसलिए हम इसको जनमत जानने के लिए प्रस्ताव दिये हैं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विधेयक,2019 दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो।"

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य श्री रामदेव राय एवं श्रीमती अमिता भूषण द्वारा प्रस्ताव आया है, क्या श्री रामदेव राय जी, अपना प्रस्ताव मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं मूव करूंगा ।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

"बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विधेयक, 2019 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से तीन माह के अन्दर दे ।"

महोदय, मैं इसलिए लिखा हूं कि मैंने जो सिद्धांत पर बात किया और जो कमियां बताया हूँ कम समय में, आप समय ज्यादे देते तो और भी बात मैं बताता, विद्यालय की कमिटियां बनती हैं । दो प्रकार की कमिटी हाई स्कूल में बनाते हैं। एक प्रबंध समिति बनाते हैं और एक खर्च करने वाली समिति अलग से बनाते हैं, जिससे विधायक को कोई लेना-देना नहीं होता है । प्रबंध समिति निर्णय करेगी लेकिन कोई सुननेवाला उस कमिटी में नहीं है और न प्रबंध समिति की कोई बैठक ही समय पर हो पाती है, जिससे विद्यालय का विकास हो सके। हमलोग भी अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो नहीं लगा सकते हैं, चूंकि उतना योग्य शिक्षक हमलोगों को नहीं मिल पाता है क्योंकि हेडमास्टरों की संख्या बहुत कम है, वैसी स्थिति में पहले भी क्वेश्चन में आया है कि कम-से-कम जो क्रय समिति बनी है विद्यालय में, उसमें भी विधायक अध्यक्ष हों ताकि समन्वय स्थापित हो सके और जब तक यह नहीं हो सकता है तबतक विद्यालय का विकास संभव नहीं है । इसलिए कम समय में, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यदि हमारा सिद्धांत आपको पसंद नहीं है तो आप इस पूरे विषय को संयुक्त प्रवर समिति को सौंप दीजिए और वहां से जो रिपोर्ट आयेगा, उसके आधार पर सरकार काम करे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि:

"बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विधेयक, 2019 को एक संयुक्त प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से तीन माह के अन्दर दे ।"

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विधेयक, 2019 पर विचार हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टर्न-17/राजेश/25.7.19

अध्यक्ष: अब मैं खंडशः लेता हूँ । खंड-2 में 3 संशोधन है । माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे ।

श्री समीर कुमार महासेठः मूव करेंगे । मैं प्रस्ताव करता हूँः

''कि विधेयक के खंड-2 (क) के प्रथम पंक्ति के शब्द समूह ''1ली अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च'' के स्थान पर शब्द समूह'' 1ली जनवरी से 31 दिसम्बर'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

महोदय, आप अवगत है कि आदरणीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार, इसपर काम कर रही है, कलेंडर इयर को ही वित्तीय वर्ष में कैसे बदला जाय, अनावश्यक रुप से दो वर्ष का जिक्र हो जाता है, इसलिए एन0डी0ए0 की केन्द्र की सरकार की भावना के अनुरुप ही यह संशोधन दिया है, इसे स्वीकार करें ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः

''कि विधेयक के खंड-2 (क) के प्रथम पंक्ति के शब्द समूह ''1ली अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च'' के स्थान पर शब्द समूह'' 1ली जनवरी से 31 दिसम्बर'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव रायः मूव करेंगे । मैं प्रस्ताव करता हूं कि

'' विधेयक के खंड-2 (क) के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जायः-

''बिहार सरकार द्वारा निर्धारित छुट्टी के दिनों को छोड़कर ।''

महोदय, खंड–2 में (क) में लिखा हुआ है अकादमिक क्षेत्र से अभिप्रेत है चालू वर्ष की 1ली अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक की 12 माहों की अवधि, तो मैंने इसमें संशोधन दिया हूँ कि ''बिहार सरकार द्वारा निर्धारित छुट्टी के दिनों को छोड़कर''।

जब विद्यालय में पढ़ाई छोड़कर छुट्टी का दिन रहे, विद्यालय आप कई कारणों से बंद रखते हैं, इन दिनों को छोड़कर कलेंडर आपको बनाना चाहिए ताकि कोर्स पूरा करने में शिक्षकों को सुविधा हो, छात्रों को भी यह रहे कि 75 प्रतिशत अपनी उपस्थिति कैसे बना सकें, जो नहीं हो पाता है, इसलिए मैं आग्रह करता हूँ कि छुट्टी के दिनों को छोड़कर एक कलेंडर आप बनाइये ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

'' विधेयक के खंड–2 (क) के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय:–

''बिहार सरकार द्वारा निर्धारित छुट्टी के दिनों को छोड़कर ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: अब अगला संशोधन माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ जी का है । आप मूव करेंगे ।

श्री समीर कुमार महासेठ: मूव करेंगे । महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड–2 (ण) के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय:–

''जिसका पॉच वर्ष का एकाउंट और कार्यकलाप वेबसाईट पर उपलब्ध हो ।''

महोदय, आप विधेयक के खंड–2 (ण) को देखे । इसमें गैर सरकारी संगठनों को परिभाषित किया गया है । पूरा सदन अवगत है कि गैर सरकारी संगठन जहॉ बहाली में गिने चुने ठीक–ठाक होते हैं, वहीं अधिकांश केवल खाऊ पकाऊ होते हैं । आप उनसे काम लेना चाहते हैं, तो गैर सरकारी संगठन अच्छा है या केवल नाम का है, यह कैसे सुनिश्चित करेंगे, इसलिए पारदर्शी व्यवस्था के लिए मैं यह प्रस्ताव लाया हूँ कि जो वेबसाईट पर उपलब्ध हो और जिसका

लेन-देन भी स्पष्ट हो, उसी से काम लिये जाने हेतु गैर सरकारी संगठन माना जाय, मेरा इसलिए यह संशोधन है ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

'' विधेयक के खंड-2 (ण) के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय:-

''जिसका पॉच वर्ष का एकाउंट और कार्यकलाप वेबसाईट पर उपलब्ध हो।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: अब प्रश्न यह है कि:

''खंड-2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: खंड-3 में 4 संशोधन है । माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी अपना संशोधन मूभ करेंगे ।

श्री रामदेव राय: मूव करुंगा । महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-3 के उपखंड-(1) के दूसरी पंक्ति के शब्द समूह ''शास्वत उत्तराधिकार'' तथा शब्द समूह ''निगम निकाय'' के स्थान पर क्रमश: शब्द समूह ''पूर्ण उत्तरदायी'' एवं ''परिषद'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

महोदय, मैं यही कहना चाहता हूँ, आप विद्यालय परीक्षा समिति को निगम निकाय क्यों बनाना चाहते हैं, यह तो परिषद है ही और शास्वत उत्तराधिकार का क्या अर्थ होता है, इसलिए मैंने दिया है कि शास्वत उत्तराधिकार के स्थान पर आप उत्तरदायी बना दीजिये, उत्तरदायित्व उनके उपर सौंप दीजिये और निगम निकाय शब्द को हटाकर परिषद रहने दीजिये, सारे लोग परिषद के नाम से इसे जानते हैं । अब निगम निकाय ? अब क्या कहलायेगा यह, संशोधन में दिये हैं आप कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और यहॉ लिखते हैं कि एक शास्वत उत्तराधिकार एवं सामान्य मुहर के साथ एक निगम निकाय होगी । अब उसी में दो खेमा हो गया, एक समिति और एक निगम निकाय, इसकी जरुरत क्या है ? आपका ही इसमें दिया हुआ शब्द शास्वत का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि यह बिल्कुल ही शाश्वत संशोधन है, इसलिए इसको मानिये ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-3 के उपखंड-(1) के दूसरी पंक्ति के शब्द समूह ''शाश्वत उत्तराधिकार'' तथा शब्द समूह ''निगम निकाय'' के स्थान पर क्रमश: शब्द समूह ''पूर्ण उत्तरदायी'' एवं ''परिषद'' प्रतिस्थापित किया जाय।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: अब अगला संशोधन मा0 सदस्या श्रीमती अमिता भूषण । आप मूव करेंगी ?

श्रीमती अमिता भूषण: मूव करुंगी । अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

''विधेयक के खंड-3 के उपखंड (2) के प्रथम पंक्ति के शब्द ''को'' एवं शब्द ''चल'' के बीच शब्द समूह ''सरकार की पूर्वानुमति'' अंत:स्थापित किया जाय ।''

अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए किया है क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सभी तरह की चल एवं अचल संपत्तियों को अर्जित करने, धारण करने, अर्पित करने, अनुबंध करने एवं अन्य कार्य के उपयोग करने के लिए अधिकार दिया गया है, यह अधिकार बड़ा व्यापक है, इसलिए इसपर निगरानी की आवश्यकता है, ऐसा नहीं हो कि ऑटोनॉमी की आड़ में कोई घोटाला हो, इसलिए मैंने यह संशोधन दिया है ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-3 के उपखंड (2) के प्रथम पंक्ति के शब्द ''को'' एवं शब्द ''चल'' के बीच शब्द समूह ''सरकार की पूर्वानुमति'' अंत:स्थापित किया जाय ।''

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: अब अगला फिर माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी । आप मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय: एक यह करने दीजिये न । इसमें तो हम सरकार के प्रति उत्तरदायी । हम इसमें कुछ नहीं कहे हैं । हमने तो सरकार के पक्ष में कहा है कि इसमें सरकार की राय लेना आवश्यक है, इसलिए मैं तो माननीय मुख्यंत्री जी के फेवर में बोला हूँ । इस संशोधन को मान लीजिये, अगर हाउस को यह पसंद नहीं हो, अपने बारे में भी सुनना नहीं चाहते हैं, तो हाउस को बॉयकाट कर दीजिये आप, हमलोग बैठेंगे ।

अध्यक्ष: अभी आप मूव कर रहे है कि नहीं ?

श्री रामदेव राय: मूव किया तो, सर । इसे मूव ही समझा जाय ।

अध्यक्ष: समझा जाय ।

श्री रामदेव राय: शौर्ट कट किये हैं, सर ।

अध्यक्ष: समझने में तो नहीं वाला ज्यादा आसान होता है ।

श्री रामदेव राय: जैसा आदेश होगा, हम करेंगे ।

अध्यक्ष: नहीं-नहीं । आदेश नहीं है । यह आपका एकदम एकाधिकार है इस विषय पर ।

श्री रामदेव राय: छोड़ दिये ।

अध्यक्ष: छोड़ दिये, चलिये । बहुत धन्यवाद । आशा है आप अपना यह स्टैंड बनाये रखेंगे ।

अध्यक्ष: अब फिर माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी का ही है ।

श्री रामदेव राय: महोदय,हाउस में माननीय मुख्यमंत्री जी पहली बार इस संशोधन पर उपस्थित हैं।

अध्यक्ष: माननीय रामदेव बाबू, मुख्यमंत्री जी के प्रति सम्मान प्रकट करने का आपका यह तरीका पूरे सदन को रास आ रहा है ।

श्री रामदेव राय: महोदय, रास आ रहा है, तो मुझको कहने दिया जाय । मेरा 60 संशोधन है, तो मूव करने का अवसर दिया जायेगा ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

टर्न-18/सत्येन्द्र/25-7-19

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

''खंड-3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंड-3 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: खंड-4 में एक संशोधन है । माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी अपना संशोधन मूव नहीं करेंगे । प्रश्न यह है कि

''खंड-4 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंड-4 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष: खंड-5 में 6 संशोधन है । माननीय सदस्या, श्रीमती अमिता भूषण मूव करेंगी ?

श्रीमती अमिता भूषण: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि

'' विधेयक के खंड-5 के उप खंड (2) के प्रथम पंक्ति के शब्द ''व्यक्ति'' एवं शब्द ''भारतीय'' के बीच शब्द समूह ''राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिक्षाविद् अथवा'' अंत:स्थापित किया जाय। ''

महोदय, इसमें अध्यक्ष की नियुक्ति की अर्हता निर्धारित की गयी है । शिक्षा विभाग के प्रधान-सचिव भारतीय प्रशासनिक के ही होते हैं, ऐसी स्थिति में उसके अन्तर्गत आने वाली सभी स्वायत्त एवं अन्य इकाईयों के लिए भा0प्र0से0 के अधिकारी होने का कोई मतलब नहीं है । बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एकेडमिक कामों के लिए है, इसमें परीक्षा लेने से लेकर संबंद्धन आदि देने की व्यवस्था है, ऐसे में प्रशासनिक सेवा से इतर यहां किसी विद्वान की नियुक्ति श्रेयस्कर होगी ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि

'' विधेयक के खंड-5 के उप खंड (2) के प्रथम पंक्ति के शब्द ''व्यक्ति'' एवं शब्द ''भारतीय'' के बीच शब्द समूह ''राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिक्षाविद् अथवा'' अंत:स्थापित किया जाय । ''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब अगला संशोधन श्री रामदेव राय जी का है । इन्होंने तो मूव नहीं करने का बता दिया है ।

श्री रामदेव राय: हुजूर, हमसे न कहवाना चाहिए कि नो या एस ।

अध्यक्ष: नहीं, आप तो एक बार, आपने तो सदन पर कुछ ज्यादा उदारता दिखलायी है। अब माननीय सदस्य श्री विजय प्रकाश जी ।

श्री विजय प्रकाश: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' विधेयक के खंड-5 के उपखंड(2) के प्रथम एवं दूसरी पंक्ति के शब्द समूह '' भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव से अन्यून पद पर कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त पदाधिकारी होंगे'' के स्थान पर शब्द समूह '' शिक्षाविद् अथवा सेवानिवृत्त शिक्षाविद्'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

महोदय, 1954 से यह संस्था कार्य कर रही है । तब से शिक्षाविद् अध्यक्ष रहे हैं, उस समय कभी भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है लेकिन आपके शासनकाल में परीक्षा समिति में अराजकता फैल गयी । रोज गड़बड़ियों का खबर अखबार में प्रकाशित हो रही है । आपके समय में टॉपर घोटाला जो हुआ है, उसमें कौन लोग थे, सभी जानते हैं उनको सत्ता में संरक्षण प्राप्त था

लेकिन सरकार अपना चेहरा बचाने के लिए उसे जेल भेजा गया, ठीक है वही यदि सर्च कमिटी के माध्यम से विज्ञापन निकालकर (व्यवधान)

अध्यक्ष: आप इधर बोलिये न ?

श्री विजय प्रकाश: विज्ञापन निकालकर प्रख्यात शिक्षाविद् एवं सेवानिवृत्त अध्यक्ष बनाया जाय तो समिति में अच्छा काम होगा । महोदय, एक मिनट उदाहरणस्वरूप सभी माननीय सदस्य और खासकर हम सदन में बैठे सदन के नेता है हमलोगों के माननीय मुख्यमंत्री जी वे उपस्थिति हैं, उनको हम खासकर के संज्ञान में देना चाहते हैं, जिन बातों की हम चर्चा करना चाहते हैं महोदय, इस सरकार में सभी संस्था को ध्वस्त करने की परम्परा रही इसलिए संस्था में कोई भी बदलाव विधेयक नहीं लाया गया । महोदय, आई0ए0एस0 अध्यक्ष का एक ऐसा उदाहरण मैं पेश कर रहा हूँ, जब से संस्था आई0ए0एस0 अधिकारियों के हाथ में गया है, आप हैरान हो जायेंगे, आप स्तब्ध हो जायेंगे । सभी माननीय सदस्य यहां हैं, जो गरीब छात्रों के साथ जो आज अन्याय हो रहा है रिजल्ट में । महोदय, एक हमारे क्षेत्र का लड़का है, शिवेन्दू कुमार नाम है उसका, जिसका पिता का नाम सुमित कुमार, नुमर गांव के जमुई जिला का बच्चा है, एकलव्य कॉलेज में इसकी पढ़ाई हुई । महोदय, वार्षिक परीक्षा प्लस टू का एक्जाम देने का बच्चा काम किया, उसे परीक्षा में फेल घोषित किया गया तब उसके बाद फिर वह जो है सप्लीमेंट्री, कम्पार्टमेंटल एक्जाम देने का काम किया दो विषय में, दो विषय में जब वह एक्जाम दिया, वह पास कर गया, वह बच्चा पास कर गया महोदय, पास होने के बाद आज से कुछ दिन पहले महोदय, पुलिस विभाग में ड्राईबर की बहाली के निकला हुआ था उसमें वह बच्चा फार्म भरने का काम किया, फार्म भरा , कम्पीट भी कर गया , नौकरी लग गयी, उसका सर्टिफिकेट जमा हो गया, सर्टिफिकेट को फिर विभाग के स्तर से उसको सत्यापित कराने के लिए बोर्ड भेजा गया, बोर्ड में जब सत्यापित करके भेजा गया, कम्पार्टमेंटल पास का रिजल्ट जो जमा किया था तो उसे यहां असत्य साबित कर दिया गया और 420 के केस में महोदय, ध्यान दिया जाय 420 के केस में आज से लगभग 18 और 20 दिन से समस्तीपुर के जेल में वह नौनिहाल बच्चा गरीब का बेटा बंद है ।

अध्यक्ष: समस्तीपुर में ?

श्री विजय प्रकाश: जी, समस्तीपुर में जहां से भी फार्म भरा होगा । यहां तो यू0पी0 से 70 प्रतिशत लोग नौकरी ले रहे हैं प्रोफेसर में महोदय तो उसके बाद जब वह जेल गया, जेल जाने के बाद, बड़ा मार्मिक है महोदय इसे ध्यान से सुनें, जेल जाने के

बाद उसके गार्जियन ने पूरा सर्टिफिकेट लेकर फिर बोर्ड में जो है आकर सत्यापित कराने के लिए कि मेरा बेटा कर्म्पाटमेंटल पास किया है, झूठ नहीं है, 420 का केस उस पर नहीं लगता है तो जब जांच किया गया तो उसे असत्य पाया गया । उसके बाद क्या हुआ, दुर्भाग्य है महोदय, दुर्भाग्य देखिये, जब पूरे तरीके से उसका परिवार जांच करवाया तो पता चला कि वार्षिक परीक्षा जो पहले दिया था उसी में वह लड़का उत्तीर्ण था । दुर्भाग्य है महोदय, उसी में वह बच्चा उत्तीर्ण था शिवेन्दू कुमार, उसके बाद आज 18 से 20 दिन हो चुका है, फिर जो है उसको एकलव्य कॉलेज से भी जो है प्रमाणित किया गया शिक्षकों के माध्यम से, प्रिंसपल के माध्यम से कि बच्चे सत्य हैं, बच्चे पढें हैं, बच्चे एक्जाम दिये हैं, बच्चे कर्म्पाटमेंटल एक्जाम दिये हैं, उसके बाद फिर भी आज से 18 दिनों से लगातार वह बच्चा जेल में है और आज जो है प्रशासन जो आई0ए0एस0 के हाथों में है जिसके कारण आज भी उसकी यह दूर्दशा है । महोदय, वैसे पदाधिकारियों पर आप क्या कार्रवाई करना चाहेंगे इसीलिए हम यह जो है संशोधन प्रस्ताव लाये हैं कि आई0ए0एस0 नहीं रखकर जो है एक प्रख्यात शिक्षाविद् या सेवानिवृत्त शिक्षाविद् लोगों के हाथ में दिया जाय क्योंकि घोटाले पर घोटाले, टॉपर घोटाला देखे ही हैं, जांच में आया इसलिए ऐसे नौनिहाल बच्चों को जो कल का भविष्य है, जो एक ड्राईबरी की नौकरी के लिए जा रहा है..

टर्न–19/मधुप/25.07.2019

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड–5 के उपखंड (2) के प्रथम एवं दूसरी पंक्ति के शब्द समूह ''भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव से अन्यून पद पर कार्यरत अथवा सेवानिवृत पदाधिकारी होंगे ।'' के स्थान पर शब्द समूह ''शिक्षाविद् अथवा सेवानिवृत शिक्षाविद्'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अगला संशोधन श्री रामदेव राय जी का है । मूव नहीं करेंगे ।

फिर अगला संशोधन श्री रामदेव राय जी का है । मूव नहीं करेंगे ।

श्री समीर कुमार महासेठ जी ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-5 के उपखंड (5) के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

''जिनका चयन राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों की समिति द्वारा किया जायेगा ।''

महोदय, अध्यक्ष की नियुक्ति का प्रश्न है और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी है । ऐसी स्थिति में अध्यक्ष का पद उच्चस्तरीय चयन पद्धति से हो । इसके लिए मैंने यह प्रस्ताव दिया है । इससे सरकार का काम भी आसान हो जायेगा, कोई आरोप नहीं लगेगा पक्षपात का । अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति यदि अनियमितता करते पाया जायेगा, जैसा कि पहले हो चुका है तो यह उत्तरदायित्व चयन समिति का होगा । पारदर्शिता के लिए यह आवश्यक है । इसलिये मैंने यह संशोधन लाया है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-5 के उपखंड (5) के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

''जिनका चयन राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों की समिति द्वारा किया जायेगा ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-5 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-5 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-6 में तीन संशोधन है । श्री समीर कुमार महासेठ जी, मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : जी, मूव करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-6 के उपखंड (2) के पहली एवं दूसरी पंक्ति के शब्द समूह ''भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा ग्रुप-ए केन्द्रीय सेवा के पदाधिकारी अथवा बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर सचिव अथवा उसके ऊपर के पदाधिकारी'' के स्थान पर शब्द समूह ''राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद्'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

महोदय, सभी जगह पर केवल अधिकारियों के रखे जाने से समस्याओं का हल नहीं होगा । शिक्षा से जुड़ी समिति में यदि शिक्षाविद् रहेंगे तो बेहतर होगा । यही मेरा संशोधन है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-6 के उपखंड (2) के पहली एवं दूसरी पंक्ति के शब्द समूह ''भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा ग्रुप-ए केन्द्रीय सेवा के पदाधिकारी अथवा बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर सचिव अथवा उसके ऊपर के पदाधिकारी'' के स्थान पर शब्द समूह ''राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद्'' प्रतिस्थापित किया जाय ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब श्री रामदेव राय जी ।

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-6 के उपखंड (2) के दूसरी पंक्ति के शब्द समूह ''अथवा बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर सचिव अथवा उसके ऊपर के पदाधिकारी होंगे'' को विलोपित किया जाय ।''

जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है । यदि ऐसा हो तो ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद् को इसके स्थान पर रखा जाय ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-6 के उपखंड (2) के दूसरी पंक्ति के शब्द समूह ''अथवा बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर सचिव अथवा उसके ऊपर के पदाधिकारी होंगे'' को विलोपित किया जाय ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

इसमें श्री रामदेव राय जी का दूसरा संशोधन है ।

श्री रामदेव राय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-6 के उपखंड (4) के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

''हटाने से पूर्व उनसे हटाने का कारण जानने के लिए स्पष्टीकरण देने का पर्याप्त समय देना होगा ।''

हुजूर, मैं इसमें इतना ही संशोधन दिया हूं कि हटाने के पूर्व, हटाने के कारण जानने के लिए स्पष्टीकरण देने का पर्याप्त समय देना होगा क्योंकि ये समिति के वरीय पदाधिकारी हैं अध्यक्ष और उन्हें किसी अधिसूचना

द्वारा हटा दिया जाय, जिसका कोई औचित्य और व्यवहारिक स्वरूप नजर नहीं आता है । इसलिये उन्हें हटाने के पहले शो-कॉज पूछना चाहिये कि उनको क्यों हटाया जा रहा है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-6 के उपखंड (4) के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

''हटाने से पूर्व उनसे हटाने का कारण जानने के लिए स्पष्टीकरण देने का पर्याप्त समय देना होगा ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-6 इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-6 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-7 में एक संशोधन है । श्री रामदेव राय जी, मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-7 के उपखंड (1) के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

''जिसकी अवधि 30 दिनों से ज्यादा नहीं होगी ।''

महोदय, इसमें खंड-7 का उपखंड-1 देखेंगे कि यदि अध्यक्ष की मृत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने या अन्यथा के कारण पदावधि पूरा करने में असमर्थ हो जाय तो उपाध्यक्ष या सरकार द्वारा नियुक्त अन्य कोई व्यक्ति अध्यक्ष के पदीय कार्यों एवं कर्त्तव्यों का सम्पादन करेंगे । मोटा-मोटी यही है ।

मैंने यह कहा है कि जिसकी अवधि 30 दिनों से ज्यादा नहीं होगी, 30 दिनों के भीतर उस पद पर अध्यक्ष की नियुक्ति होना अनिवार्य है । यही मेरा संशोधन है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-7 के उपखंड (1) के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

''जिसकी अवधि 30 दिनों से ज्यादा नहीं होगी ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-7 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-7 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-8 में दो संशोधन है । श्री रामदेव राय जी, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-8 के उपखंड (1) के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

''लेकिन इसके लिए समिति की राय एवं सहमति लेना आवश्यक होगा।''

इसमें मोटा-मोटी मेरा यही संशोधन है कि इसके लिए समिति की राय एवं सहमति लेना आवश्यक है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-8 के उपखंड (1) के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

''लेकिन इसके लिए समिति की राय एवं सहमति लेना आवश्यक होगा।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अगला संशोधन श्री रामदेव राय जी का है ।

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-8 के उपखंड (3) के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

''हटाने से पूर्व उन्हें अपना स्पष्टीकरण देने का पूर्ण मौका दिया जायेगा जिसपर समिति की सहमति भी आवश्यक होगा ।''

इसमें भी अध्यक्ष की तरह ही संशोधन दिया है, सचिव को अधिसूचना द्वारा हटा दिया जायेगा । सचिव को हटाने के पूर्व कारण-पृच्छा होनी चाहिए कि आप क्यों उनको हटा रहे हैं । इसलिये उनको पूरा समय दें ताकि वे अपना स्पष्टीकरण दे सकें ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-8 के उपखंड (3) के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

''हटाने से पूर्व उन्हें अपना स्पष्टीकरण देने का पूर्ण मौका दिया जायेगा जिसपर समिति की सहमति भी आवश्यक होगा ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-8 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-8 इस विधेयक का अंग बना ।

टर्न-20/आजाद/25.07.2019

अध्यक्ष : खंड-9 में एक संशोधन है । श्री रामदेव राय जी, मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : महोदय, यह भी बहुत छोटा है सर ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' विधेयक के खंड-9 के तीसरी पक्ति के शब्द ''नहीं'' को विलोपित किया जाय । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

'' विधेयक के खंड-9 के तीसरी पक्ति के शब्द ''नहीं'' को विलोपित किया जाय । ''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब प्रश्न यह है कि

''खंड-9 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-9 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खंड-10 में दो संशोधन है । माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ जी ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-10 के पहली पंक्ति के शब्द ''समिति'' एवं शब्द ''विनियमावली'' के बीच शब्द समूह ''गठन के तीन माह के अंदर'' अंत:स्थापित किया जाय ।''

महोदय, आप अवगत हैं कि हमलोग सदस्य विधेयक पारित करते हैं, तदुपरान्त वह अधिनियम होता है परन्तु कई मामले में दशकों तक नियमावली नहीं बनती है । अभी सदन में सोमवार को ही एक प्रश्न आया था सर कि फायर एक्ट के तहत जो नियमावली बनी थी .....

अध्यक्ष : यदि लिखा हुआ है तो उसको सदन पटल पर रख दीजिए ।

श्री समीर कुमार महासेठ : वह 5 वर्षों तक नहीं बनी है । इसलिए इस प्रावधान को सम्पुष्ट कराने के लिए यह प्रस्ताव रखा है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड-10 के पहली पंक्ति के शब्द ''समिति'' एवं शब्द ''विनियमावली'' के बीच शब्द समूह ''गठन के तीन माह के अंदर'' अंत:स्थापित किया जाय ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

अगला श्री रामदेव राय जी । मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : नहीं करेंगे सर ।

अध्यक्ष : नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : अब प्रश्न यह है कि

''खंड-10 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-10 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : खंड-11 में 12 संशोधन है ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : रखने दीजिए सर । एक-दो महत्वपूर्ण हैं, इसको कर देते हैं सर ।

अध्यक्ष : अभी जो है और 46 संशोधन आने हैं ।

श्री रामदेव राय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड-11 के उपखंड (2) के मद (क) के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

''समझदार कारणों से सम्बद्ध विद्यालयों के छात्रों को भी पंजीकृत समिति के निर्णयानुसार किया जाना है ताकि उनका भविष्य अंधकारमय न हो । ''

महोदय, यह तो छात्र के हित में है । मंत्री जी को मान लेना चाहिए । हमलोग इतना आपको छोड़ते जा रहे हैं, कुछ तो संशोधन मानिए ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड–11 के उपखंड (2) के मद (क) के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :–

''समझदार कारणों से सम्बद्ध विद्यालयों के छात्रों को भी पंजीकृत समिति के निर्णयानुसार किया जाना है ताकि उनका भविष्य अंधकारमय न हो । ''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अगला श्री रामदेव राय जी । इसको मूव कर रहे हैं ?

श्री रामदेव राय : यह महत्वपूर्ण है सर ।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड–11 के उपखंड (2) के मद (छ) के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :–

''विद्यालयों अथवा संस्थानों जिन्हें सम्बद्धता प्राप्त हो उसे निलंबित या रद्द करने की शक्ति समिति को होगी जब उक्त संस्थान को अपना स्पष्टीकरण देने का पर्याप्त मौका दिया जायेगा अन्यथा निलंबन या रद्द करना स्वतः समाप्त हो जायेगा, जिसके लिए कम से कम 45 दिनों का समय देना होगा तथा उसके स्पष्टीकरण की जॉच मा0शि0 के निदेशक स्तर से अन्यून पदाधिकारी होंगे ।''

कितना महत्वपूर्ण है सर, इसपर आप कुछ नियमन दे दीजिए तो सरकार माने।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड–11 के उपखंड (2) के मद (छ) के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :–

''विद्यालयों अथवा संस्थानों जिन्हें सम्बद्धता प्राप्त हो उसे निलंबित या रद्द करने की शक्ति समिति को होगी जब उक्त संस्थान को अपना स्पष्टीकरण देने का पर्याप्त मौका दिया जायेगा अन्यथा निलंबन या रद्द करना स्वतः समाप्त हो जायेगा, जिसके लिए कम से कम 45 दिनों का समय देना होगा तथा उसके स्पष्टीकरण की जॉच मा0शि0 के निदेशक स्तर से अन्यून पदाधिकारी होंगे ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अगला संशोधन । माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी ।

श्री रामदेव राय : इसको छोड़ देते हैं नन्दकिशोर बाबू कह रहे हैं तो ।

अध्यक्ष : छोड़ दिये । बहुत धन्यवाद । आप कहां थे अभी तक नन्दकिशोर बाबू । फिर अगला श्री रामदेव राय जी का है । मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड–11 के उपखंड (2) के मद (ट) के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :–

''फीस निर्धारण में अनुसरण नीति का अक्षरशः पालन किया जायेगा अन्यथा गरीब मेधावी छात्र परीक्षा देने से वंचित हो जायेंगे ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड–11 के उपखंड (2) के मद (ट) के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :–

''फीस निर्धारण में अनुसरण नीति का अक्षरशः पालन किया जायेगा अन्यथा गरीब मेधावी छात्र परीक्षा देने से वंचित हो जायेंगे ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब फिर श्री रामदेव राय जी का । मूव करेंगें ?

श्री रामदेव राय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड–11 के उपखंड (2) के मद (ठ) के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :–

''पाठ्यक्रम में Math, Grammer, Hindi, Literature, Sanskrit आदि क्षेत्रीय भाषा का समायोजन रहना चाहिए ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड–11 के उपखंड (2) के मद (ठ) के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :–

''पाठ्यक्रम में Math, Grammer, Hindi, Literature, Sanskrit आदि क्षेत्रीय भाषा का समायोजन रहना चाहिए ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब फिर श्री रामदवे राय जी ।

श्री रामदेव राय : महोदय, ...

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : रामदेव बाबू, महोदय आपके कारण बेगूसराय के प्रति हमलोगों का बड़ा रिसपेक्ट है लेकिन बेगूसराय के कल्चर को ये रह–रह के इनको हीट आ जाता है, यह ठीक नहीं है । उम्र का तकाजा है, यह ठीक नहीं है ।

श्री रामदेव राय : अच्छा कुछ देर के बाद रिलेक्स हो जायेंगे ।

अध्यक्ष : देखिए । बेगूसराय की उदारता देखिए ।

श्री रामदेव राय : इसमें विजय बाबू का देन है ।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड–11 के उपखंड (2) के मद (ड) के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :–

''जागरूकता पैदा करने के लिए सामाजिक स्तर पर व्यवस्था करनी होगी जिसमें विश्वविद्यालय स्तर के इतिहास, साहित्य एवं राजनीति विभाग के साथ समाजशास्त्र के विद्वानों का एक टीम होगा''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड–11 के उपखंड (2) के मद (ड) के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :–

''जागरूकता पैदा करने के लिए सामाजिक स्तर पर व्यवस्था करनी होगी जिसमें विश्वविद्यालय स्तर के इतिहास, साहित्य एवं राजनीति विभाग के साथ समाजशास्त्र के विद्वानों का एक टीम होगा''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ । अब फिर श्री रामदेव राय जी का। माननीय सदस्य श्री मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''विधेयक के खंड–11 के उपखंड (2) के मद (ढ़) के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :–

''अनुदान देते समय उक्त संस्थानों के पूर्व इतिहास, संरचनात्मक पहलू, विद्यालय का परीक्षा कक्ष, अनुशासन, वित्तीय व्यवस्था, खेल–कूद, मनोरंजन तथा वाद्–विवाद प्रतियोगिता को देखना होगा, जिसके लिए समिति द्वारा विद्वतजनों का एक टीम गठित कर इस कार्य का संपादन किया जायेगा ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''विधेयक के खंड–11 के उपखंड (2) के मद (ढ़) के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :–

''अनुदान देते समय उक्त संस्थानों के पूर्व इतिहास, संरचनात्मक पहलू, विद्यालय का परीक्षा कक्ष, अनुशासन, वित्तीय व्यवस्था, खेल–कूद, मनोरंजन तथा वाद्–विवाद प्रतियोगिता को देखना होगा, जिसके लिए समिति द्वारा विद्वतजनों का एक टीम गठित कर इस कार्य का संपादन किया जायेगा ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

टर्न–21/शंभु/25.07.19

अध्यक्ष : फिर रामदेव राय जी का है, मूव करेंगे ? नहीं करेंगे । पुनः माननीय सदस्य रामदेव राय जी, मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

विधेयक के खंड–11 के उपखंड(2) के मद (त) के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :–

''विद्यालय का निरीक्षण कम से कम प्रत्येक तीन माह पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा, एक माह पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा तथा छह माह पर निदेशक, माध्यमिक द्वारा होना अनिवार्य होगा, इसके बीच समय–समय पर समिति के अध्यक्ष एवं सचिव तथा अन्य सदस्य भी इन संस्थाओं का औचक निरीक्षण कर सकेंगे।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

विधेयक के खंड-11 के उपखंड(2) के मद (त) के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

''विद्यालय का निरीक्षण कम से कम प्रत्येक तीन माह पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा, एक माह पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा तथा छह माह पर निदेशक, माध्यमिक द्वारा होना अनिवार्य होगा, इसके बीच समय-समय पर समिति के अध्यक्ष एवं सचिव तथा अन्य सदस्य भी इन संस्थाओं का औचक निरीक्षण कर सकेंगे।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब अगला संशोधन श्री रामदेव राय जी, मूव करेंगे । नहीं करेंगे । अब अगला संशोधन श्री समीर कुमार महासेठ मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''विधेयक के खंड-11 के उपखंड(2) के मद (ध) के पहली पंक्ति के शब्द ''का'' एवं शब्द ''सृजन'' के बीच शब्द समूह ''सरकार की पूर्वानुमति से'' से अंत:स्थापित किया जाय ।

महोदय, स्वायत्तता अगर सही हाथों में नहीं होता है तो खतरनाक हो जाती है, विश्वविद्यालयों का उदाहरण सामने हैं । इस प्रावधान के द्वारा समिति का प्रशाखा पदाधिकारी तक के पदों को सृजन करने का अधिकार दिया जा रहा है । जब प्रशाखा पदाधिकारी के उपर के पदों के सृजन के लिए विभाग का अनुमोदन आवश्यक है तो फिर प्रशाखा पदाधिकारी तक के पदों के लिए क्यों नहीं ?

अध्यक्ष : संक्षेप में कहिये ।

श्री समीर कुमार महासेठ : बस हो गया अंतिम- प्रशाखा पदाधिकारी का पद बहुत ही गुरूत्तर दायित्व का पद है, सरकार में राजपत्रित पद है । इसलिए मैंने यह प्रस्ताव दिया कि वर्ग-3 से उपर के सभी पदों का सृजन विभाग की अनुमति से हो ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''विधेयक के खंड-11 के उपखंड(2) के मद (ध) के पहली पंक्ति के शब्द ''का'' एवं शब्द ''सृजन'' के बीच शब्द समूह ''सरकार की पूर्वानुमति से'' से अंत:स्थापित किया जाय ।

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

आप क्या पढ़ रहे हैं समीर जी, अपने प्रस्ताव के पक्ष में हां भी नहीं कहते हैं, जब इतनी भी रूचि नहीं है तो मूव क्यों करते हैं ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य रामदेव राय जी, अपना संशोधन मूव करेंगे ?

श्री रामदेव राय : अब छोड़ने ही वाले हैं क्योंकि बहुत है । मंत्री जी भी जाकर सो जायेंगे तो उनको कम से कम जगाकर रखना है । इसमें कुछ नहीं है मंत्री जी, इसको कम से कम मान लीजिए ।

अध्यक्ष : रामदेव बाबू, आप आसन को भी देखिए, मंत्री जी तो आराम से बैठे हुए हैं ।

श्री रामदेव राय : हम आसन का आदर करते हैं ।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''विधेयक के खंड-11 के उपखंड(2) के मद (न) के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

''तदर्थ बहाली में एक वर्ष के बाद भी उन्हें अपनी योग्यता, कार्यक्षमता का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा ताकि उन्हें पुनः नियुक्त की जा सकेगी। तदर्थ नियुक्ति की अवधि कम से कम तीन माह की होगी ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''विधेयक के खंड-11 के उपखंड(2) के मद (न) के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

''तदर्थ बहाली में एक वर्ष के बाद भी उन्हें अपनी योग्यता, कार्यक्षमता का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा ताकि उन्हें पुनः नियुक्त की जा सकेगी। तदर्थ नियुक्ति की अवधि कम से कम तीन माह की होगी ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-11 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-11 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-12 में एक संशोधन है । क्या श्री रामदेव राय जी अपना संशोधन मूव करेंगे ? नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड-12 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-12 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–13 में एक संशोधन है । क्या रामदेव राय जी, मूव करेंगे ? नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड–13 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–13 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–14 में एक संशोधन है । माननीय सदस्य समीर कुमार महासेठ मूव करेंगे ?

श्री समीर कुमार महासेठ : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''विधेयक के खंड–14 के उपखंड–3 के पहली पंक्ति के शब्द समूह ''नियुक्ति प्राधिकार एवं'' को विलोपित किया जाय । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''विधेयक के खंड–14 के उपखंड–3 के पहली पंक्ति के शब्द समूह ''नियुक्ति प्राधिकार एवं'' को विलोपित किया जाय । ''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड–14 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–14 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–15 में एक संशोधन है । क्या रामदेव राय जी मूव करेंगे ? नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड–15 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–15 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–16 में तीन संशोधन है । श्री समीर कुमार महासेठ जी, मूव करेंगे?

श्री समीर कुमार महासेठ : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''विधेयक के खंड–16 के उपखंड(1) के दूसरी पंक्ति के शब्द ''वह'' एवं शब्द ''वार्षिक'' के बीच शब्द समूह ''अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में'' अंत:स्थापित किया जाया ।''

महोदय, अध्यक्ष को इस विधेयक द्वारा शक्तिमान बनाया जाता है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''विधेयक के खंड-16 के उपखंड(1) के दूसरी पंक्ति के शब्द ''वह'' एवं शब्द ''वार्षिक'' के बीच शब्द समूह ''अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में'' अंत:स्थापित किया जाया।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

फिर समीर कुमार महासेठ जी ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''विधेयक के खंड-16 के उपखंड(3) के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

प्रत्येक छ: माह पर अध्यक्ष व्यय का अनुश्रवण करेंगे ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''विधेयक के खंड-16 के उपखंड(3) के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

प्रत्येक छ: माह पर अध्यक्ष व्यय का अनुश्रवण करेंगे ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

टर्न-22/ज्योति/25-07-2019

अध्यक्ष : फिर समीर कुमार महासेठ जी ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' विधेयक के खंड-16 के उपखंड (5) के पहली पंक्ति के शब्द ''सचिव'' के पूर्व शब्द समूह '' अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में '' जोड़ा जाय । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' विधेयक के खंड-16 के उपखंड (5) के पहली पंक्ति के शब्द ''सचिव'' के पूर्व शब्द समूह '' अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में '' जोड़ा जाय । ''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खंड-16 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-16 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-17 में 3 संशोधन है । श्री रामदेव राय जी -- नहीं करेंगे ।

फिर श्री रामदेव राय जी- नहीं करेंगे ।

फिर श्री रामदेव राय जी-- नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खंड-17 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-17 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-18 में दो संशोधन है ।

माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी -- नहीं करेंगे ।

फिर रामदेव राय जी-- नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खंड-18 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-18 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-19 में 8 संशोधन है । श्री रामदेव राय जी मूभ करेंगे ? -- नहीं करेंगे ।

फिर श्री रामदेव राय जी ।

श्री रामदेव राय : एक करेंगे ।

(माननीय सदस्य श्री रामदेव राय द्वारा मूव नहीं किया गया)

अध्यक्ष : फिर श्री रामदेव राय जी -- नहीं करेंगे । फिर समीर कुमार महासेठ जी ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' विधेयक के खंड-19 के उपखंड (1) के दूसरे परन्तुक की चौथी पंक्ति के शब्द ''एक'' एवं शब्द ''समय'' के बीच शब्द समूह '' माह की '' अंत:स्थापित किया जाय । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' विधेयक के खंड-19 के उपखंड (1) के दूसरे परन्तुक की चौथी पंक्ति के शब्द ''एक'' एवं शब्द''समय'' के बीच शब्द समूह '' माह की '' अंत:स्थापित किया जाय । ''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अगला श्री राम देव राय जी -- नहीं मूव करेंगे ।

फिर अगला रामदेव राय जी -- नहीं करेंगे ।

अगला समीर कुमार महासेठ जी ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'' विधेयक के खंड-19 के उपखंड (2) के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

'' निलंबन की अवधि अधिकतम तीन माह होगी । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' विधेयक के खंड-19 के उपखंड (2) के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

'' निलंबन की अवधि अधिकतम तीन माह होगी । ''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अगला श्री रामदेव राय जी -- नहीं करेंगे ।

फिर रामदेव राय जी -- नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खंड-19 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-19 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-20 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि :

''खंड-20 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-20 इस विधेयक का अंग बना ।

अब खंड-21 में तीन संशोधन है ।

श्री राम देव राय जी -- नहीं मूव करेंगे ।

फिर अगला श्री रामदेव राय जी -- नहीं मूव करेंगे ।

फिर अगला श्री रामदेव राय जी -- नहीं मूव करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खंड-21 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-21 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-22 में एक संशोधन है । श्री रामदेव राय जी -- नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खंड–22 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–22 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–23 में 6 संशोधन है । श्री रामदेव राय जी -- नहीं करेंगे ।

अगला श्री रामदेव राय जी -- नहीं करेंगे ।

अगला श्री रामदेव राय जी -- नहीं करेंगे ।

फिर अगला श्री रामदेव राय जी-- नहीं करेंगे ।

फिर अगला श्री रामदेव राय जी-- नहीं करेंगे ।

फिर अगला श्री रामदेव राय जी -- नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खंड–23 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–23 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–24 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि:

''खंड–24 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–24 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–25 में एक संशोधन है ।

श्री रामदेव राय जी -नहीं मूव करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खंड–25 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–25 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–26 में एक संशोधन है । श्री रामदेव राय जी-- नहीं करेंगे मूव ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खंड–26 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–26 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–27 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खंड–27 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–27 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–28 में एक संशोधन है । रामदेव राय जी -- नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खंड–28 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड–28 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–29 में एक संशोधन है । रामदेव राय जी-- नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खंड–29 इस विधेयक का अंग बने । ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड–29 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड–30 में दो संशोधन है । श्री रामदेव राय जी ।

श्री रामदेव राय : अध्यक्ष महोदय, हमको मूव करने दीजिये, बड़ा इम्पौर्टेंट है ।

अध्यक्ष : ठीक है । आप स्वतंत्र हैं ।

टर्न–23/25.07.2019/बिपिन

श्री रामदेव राय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''विधेयक के खंड–30 के मद (i) के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

''आज की वर्त्तमान हालात को देखते हुए छात्र–छात्राओं को ऐसे कार्यों के लिए वर्षों तक मुख्यालय का चक्कर काटना पड़ता है जिसके लिए एक ही सुगम उपाय है कि जिला स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालय गठित कर उनके समस्याओं को तीस दिनों के भीतर निष्पादित करेगा । ''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

कि विधेयक के खंड-30 के मद (i) के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

''आज की वर्त्तमान हालात को देखते हुए छात्र-छात्राओं को ऐसे कार्य के लिए वर्षों तक मुख्यालय का चक्कर काटना पड़ता है जिसके लिए एक ही सुगम उपाय है कि जिला स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालय गठित कर उनके समस्याओं को तीस दिनों के भीतर निष्पादित करेगा । ''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

श्री रामदेव राय जी । मूव नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खंड-30 इस विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-30 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-31 एवं 32 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड-31 एवं 32 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-31 एवं 32 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-33 में एक संशोधन है । श्री रामदेव राय जी ? मूव नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खंड-33 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-33 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-34 में एक संशोधन है । श्री रामदेव राय जी ? मूव नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खंड-34 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-34 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-35 में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड-35 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-35 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड-36 में दो संशोधन है । श्री रामदेव राय जी ? मूव नहीं करेंगे । श्री समीर कुमार महासेठ ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

''कि विधेयक के खंड-36 के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

''और असद्भावपूर्ण एकरारनामा करने वाले व्यक्ति एवं समिति के अधिकारी पर यथोचित कार्रवाई की जाएगी ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' विधेयक के खंड-36 के अंत में शब्द समूह निम्न प्रकार जोड़ा जाय :-

''और असद्भावपूर्ण एकरारनामा करने वाले व्यक्ति एवं समिति के अधिकारी पर यथोचित कार्रवाई की जाएगी ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड-36 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-36 इस विधेयक का अंग बना ।

अब खंड-37, 38, 39, 40 एवं 41 में कोई संशोधन नहीं है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' खंड-37, 38, 39, 40 एवं 41 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-37, 38, 39, 40 एवं 41 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''परिशिष्ट-1 एवं 2 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

परिशिष्ट-1 एवं 2 इस विधेयक के अंग बने ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''कि खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब स्वीकृति का प्रस्ताव । प्रभारी मंत्री ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

''कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विधेयक, 2019 स्वीकृत हो ।''

(व्यवधान)

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: अभी टाइम लगेगा । बहुत लोग बोलेंगे । आधा घंटा तो मेरा ही चलेगा ।

महोदय, आज सदन में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विधेयक, 2019 पर विचार-विमर्श भी हुआ, संशोधन भी आए और स्वीकृति का प्रस्ताव आया है । उस स्वीकृति प्रस्ताव के विरोध में मैं क्यों कर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, वह मैं अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूं ।

अब चूंकि इन्होंने जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विधेयक, 2019 का जो लाया है विधेयक, उसके उद्देश्य में इन्होंने लिखा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम 1952 द्वारा स्थापित थी और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की स्थापना का उद्देश्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय का शिक्षण प्रबंधन था और फिर बाद में बिहार इंटरमीडियट कौंसिल बना और फिर इंटरमीडियट कौंसिल के भंग हो जाने के बाद फिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में ही एक तरह से मर्ज कर गई है और काम कर रही थी अब तक । मुझको लगता है 2007 में भंग हुआ । चलिये, 12 साल के बाद नींद टूटी अब । मतलब अब 2019 में ये आए हैं महोदय और 2019 फिर जब ये लेकर आए हैं बिल महोदय, अगर इसको गौर से, गंभीरता से सत्ता पक्ष भी देखे, तो हम जानते हैं कि सत्ता पक्ष के पास मजबूरी है तो अब क्या है महोदय कि ...

(व्यवधान)

मगर आपका वैल्यू नहीं है ...

अध्यक्ष : आपको फॅसा लेते हैं, आप फॅस जाते हैं । आप इधर देखिए न !

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, अब इन्होंने बहुत ही, मतलब, मुझको लगता है कि अगर आपको गठन करना था, आप किसी का नाम वगैरह नहीं लिखते । गठन में इन्होंने लिखा है- समिति का गठन- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार पदेन समिति का सचिव सरकार द्वारा मनोनीत बिहार राज्य के किन्हीं दो राज्य विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि ... क्रमशः .....

टर्न : 24/कृष्ण/25.07.2019

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी क्रमश : मगर कम से कम इसमें लिखते कि दो राज्य विश्वविद्यालय के ख्याति प्राप्त शिक्षाविद् तो समझ में आता । आप तो लिखे जो आपके मन में आयेगा, चूज कर लीजियेगा । उसके बाद महोदय, इन्होंने लिखा है कि राज्य

सरकार द्वारा मनोनित सरकारी शिक्षक, प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य चलिये ठीक है यह । राज्य सरकार के अधीन किसी संस्थान से सरकार द्वारा मनोनित 2 व्यक्ति जो राज्य सरकार की राय में परीक्षा पद्धति के विशेषज्ञीय जानकारी रखते हों । अब इसमें आप अगर लिखे रहते लब्धप्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान का – एन0आई0टी0 का लिखते, आर्य भट्ट का लिखते किसी का भी लिखते

(व्यवधान)

वह ठीक है मगर अब तो इससे नहीं है न । आपको जब मौका मिलेगा तो पॉकेट से निकाल करके किसी को भी डाल दीजियेगा ।

अब महोदय, आते हैं इस पर जो है इम्पौर्टेन्ट बात । अब इन्होंने कहा कि अध्यक्ष की नियुक्ति । अगर आपको आई0ए0एस0 को ही करना था, अगर रिटायर्ड आई0ए0एस0 को ही करना था तो सदा के लिये आपने जो लिख दिया, यह तो लिखने की जरूरत नहीं थी, आप के मन में था, आप किसको अध्यक्ष बनाते, किसको उपाध्यक्ष बनाते । मगर इन्होंने क्या लिखा है महोदय । लिखा है कि अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किये जानेवाले व्यक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव से अन्यून पर कार्यरत अथवा सेवा निवृत्त पदाधिकारी होंगे । ठीक है । आप अभी मंत्री हैं । आपके लिये आकर्षण है । इसी सदन में अध्यक्ष जी उस वक्त आप सत्ताधारी दल में थे, उस तरफ थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर नेता, विरोधी दल हुआ करते थे और इसी सदन में उन्हाहेंने कहा था कि तीन कैटेगरी है आई0ए0एस0 पदा0 का । एक कैटेगरी है देवतातुल्य का जिसमें कुछ नामों को उन्होंने गिनाया था । अब दूसरा कैटैगरी, तीसरा कैटेगरी के बारे में हम नहीं बोलना चाहते हैं कि अनावश्यक विवाद खड़ा नहीं हो । मगर आपने अध्यक्ष का भी लिखा आई0ए0एस0 या सेवा निवृत्त आई0ए0एस0 और उपाध्यक्ष का भी लिखा आई0ए0एस0 या ग्रुप–ए के केन्द्रीय सेवा के पदाधिकारी अथवा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी । महोदय, मैं थोड़ी देर तक को कंफ्यूज रहा । मैं इसीलिये कंफ्यूज रहा कि इन्होंने उद्देश्य में जिक्र कर दिया था कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियिम, 1952 से स्थापित है कि मुझको लग रहा था कि ये संशोधन क्यों नहीं लाये तब जब उलट–पुलट किये तब लगा कि हां, इन्होंने दिया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1952 और उसमें तत्पश्चात् जो समय–समय पर किये गये सभी संशोधन हैं, उनको निरस्त समझा जाय । तो अभी जो आप ला रहे हैं, कल फिर मत बोलियेगा ।

महोदय, मैं बहुत चिन्तित भी हूं । इनकी मंशा को लेकर मुझको ताज्जुब हो रहा है । (व्यवधान)

यह समझ लीजिये कि जो सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं, उससे ज्यादा काबिल, अनुभवी जिनके तरफ आपका ईशारा है, जिनको कर रहे हैं आप कानून में तो यह कतई सही नहीं है और अभी 12 साल आपने चलाया है । 12 साल में क्या-क्या हुआ ? इससे आप वाकिफ है । अगर शिक्षाविद् लिखते, अर्द्धशास्त्री लिखते या हम तो यहां तक कहते हैं कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष में अगर आपको इतना ही शौक है तो आप किसी एक को बना देते, लिखते आई0ए0एस0 ऑब्लिग और ऑब्लिग में यह भी प्रावधान किये रहते कि सेवा निवृत्त उच्च न्यायालय के जज । उसमें थोड़ा यह लगेगा । तो इस वजह से महोदय । मैं जानता हूं कि इसका 50 बार संशोधन होगा । महोदय, इनकी जो मंशा है वह मंशा है पॉकेट की कमिटी बनाने का और पॉकेट की कमिटी बनाने का इस वजह से न आपने ख्याति शिक्षाविद् को रखा, न राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त किसी शिक्षक को रखा, न किसी सामाजिक कार्यकर्त्ता जो शिक्षण के कार्यों में महारथ हासिल किये हुये हैं, उनको आप मेम्बर बना रहे हैं तो मेम्बर आप अपने पॉकेट का बनाईये, सत्ता है, हां नां में वोट होगा, बहुमत है आपके पास, हां नां में जीत जाईयेगा फिर बाद में रोईयेगा नहीं । इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह शिक्षा के लिये मतलब कोई भी सुविचारित प्रस्ताव नहीं है और किस मजबूरी के कारण ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य लोगों का जिस तरह का बनाने का इन्होंने उल्लेख किया है, यह डेमोक्रेटिक सिस्टम में कतई बेहतर नहीं है । इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और मैं स्वीकृति के प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं।

अध्यक्ष : श्री रामानुज प्रसाद । सीधे मूल बात बोलिये बिना किसी भूमिका के ।

श्री रामानुज प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मैं स्वीकृति के प्रस्ताव के विपक्ष में मैं इसलिए बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं कि यह जो आया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विधेयक, 2019 उसके संबंध में मैं दो बातें रखना चाहता हूं । हम भारत के लोग, जो अंग्रेज थे, क्या उनको हमलोग ढोते रहेंगे या लोकतंत्र को मजबूत करेंगें ? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहां ले जाना चाहते हैं देश को और इस राज्य को ? इनकी तो परिपाटी पुरानी है । जब रेलवे मिनिस्टर थे तो आर.आर.बी. के सारे चेयरमैन के पोस्ट को इन्होंने खत्म करके ब्यूरोक्रेसी के हाथों में दे दिया और आज भी वही प्रथा चल रही है । अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसी देश में लॉड मेकाले ने ब्रिटिश इन्डिया में कहा था कि हम ऐसा

कुरीकुलम दे जा रहे हैं, ऐसा एक एजुकेशन पैटर्न दे जा रहे हैं कि इससे निकल कर काम करनेवाले लोगों के चरित्र का वर्णन किया है । लेकिन उसी ब्रिटिश गवर्नमेंट में जब हमारा देश स्वतंत्र होने लगा तो वेस्टिन चर्चिल ने जो उस समय ब्रिटेन के प्रधान मंत्री थे, उन्होंने जो कमेंट किया है, उन दोनों कमेंट को ध्यानगत करते हुये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से माननीय शिक्षा मंत्री जी से और सरकार के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आपका यह कृत्त इस राज्य को कहां ले जायेगा ? क्या आपको जन-प्रतिनिधियों पर भरोसा नहीं है ? आपको शिक्षाविद् पर भरोसा नहीं है । आप परिणाम देखिये । हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते । जब से इन्होंने यह कंसेप्ट लाया है ब्यूरोक्रेट को देने का, उसके पहले के लोग तो उसके पहले के लोग शिक्षाविद् के नाम पर आये थे, कैसे आये थे और वे अपने किन कारगुजारियों के लिये पारितोषिक पाया था। यह विदित सत्य है । ऐसा नहीं कीजिये मुख्यमंत्री जी । यह राज्य जनता ने आपके हाथ में दिया है गरीबों के हित में काम करने के लिये । लेकिन आप गरीबों के हित में काम नहीं कर रहे हैं । कोई भी ऐसी बतायें मुख्यमंत्री जी, आप इसमें सुधार के लाते कि हमारे राज्य में हम किस तरह के नागरिक पैदा करें । कितने प्रकार के नागरिक पैदा करें । किसी के बच्चे डी.पी.एस.में पढ़ते हैं, किसी के बच्चे सेंट माईकल में पढ़ते हैं किसी के बच्चे लोयला और सेंट जेवीयर्स में पढ़ते हैं । हमारे गरीबों के बच्चों के लिये कल ही हम स्कूल मांग रहे थे, बच्चें पेड़ के नीचे पढ़ते हैं, उसके लिये इस विधेयक में कहीं चर्चा नहीं किये हैं । आप अधिकार देने जा रहे हैं, किनको बनाने जा रहे हैं सिर्फ यह आपने किया है । हम सुझाव के तौर पर हम सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं कि सरकार अगर करना चाहती है तो इस बिहार में कम से कम इतना करें कि एक कुरीकुरम लागू करे । हमारे कुछ बच्चें सी.बी.एस.ई. बोर्ड से पास करते हैं और कुछ बच्चे आई.सी.एस.सी. बोर्ड से पास करते हैं कुछ बच्चे बिहार विद्यालीय परीक्षा समिति से पास करते हैं ।

टर्न-25/अंजनी/दि0 25.07.2019

डॉ0 रामानुज प्रसाद : क्रमशः ..... जिसका हमारे माननीय सदस्यों ने उदाहरण पेश किया है । आपने देखा है कि क्या हुआ है, कैसे मुख्यमंत्री जी किसी को बेल देकर घर में बैठा देते हैं और किसी का, बच्चा राय का बेल केन्सिल कराने सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं । इस तरह की शिक्षा नीति अगर होगी तो हम कैसा बिहार बनाना चाहते हैं ? हम कैसा बिहार बनाना चाहते हैं, आप एक तरफ जिसको इंगित करके आपने यह बदलाव किया, वह लालकेश्वर, उषा सिन्हा घर में बैठी रहती हैं, उनको बेल होता है, आप बेल कैन्सिलेसन के लिए नहीं जाते हैं और बच्चा यादव का बेल केन्सिलेसन, जो एक रिजल्ट खरीदता है, जो बेचने वाला से खरीदता है, जो बिहार भर का कॉलेज बेच देता है, जो बिहार भर का परीक्षा बेच देता है, बिहार भर में स्कूल का कोर्ट बेच देता है, वह घर में बैठता है, उसकी उगाही करनेवाली सदस्य घर में बैठती हैं और आप बच्चा राय, किसी को टारगेट करते हैं ? एक जाति विशेष को टारगेट करके नीचा दिखाने के लिए इस तरह का जो कृत्य होता है, इस कृत्य का हम चर्चा करने के लिए अध्यक्ष महोदय हमने आपसे आग्रह किया था और आपने समय दिया, इसके लिए आपको यह कहते हुए, एक और बैठे हैं सरकार के लोग, आज जन-प्रतिनिधि के प्रति सरकार का ख्याल कैसा है, आप कैसा एम0एल0ए0 को बनाना चाहते है, कैसे हम लोगों को आप रखना चाहते हैं ? आपने जो विद्यालय प्रबंध समिति बनायी है, एक हेडमास्टर हमलोगों को नहीं लगाता है, एक बैठक नहीं कराता है, बहुत जगह तो कमिटियां भी नहीं बनायी गयी है लेकिन उसपर आपका कोई ध्यान नहीं है । कई दिन से माननीय सदस्य चिल्ला रहे हैं लेकिन कोई नियमन नहीं आया, कोई कानून नहीं बना ।

एक मिनट सर, सभी हमारे माननीय सदस्य हमारी बात को सुन रहे हैं पक्ष और विपक्ष के, हमलोगों ने कानून लाया अपने देश में, हम चाहेंगे कि बिहार विधान सभा से सर्वसम्मति से पास हो, सरकार के भी नॉलेज में, कॉग्नीजेंस में जाय यह कि आर0टी0ई0 कानून, राईट टू एजूकेशन कानून जो हमलोागों ने लाया है, ये 14 वर्ष के आयु.... एक मिनट माननीय मंत्री जी, 14 वर्ष के आयु के लिए है, 14 वर्ष की आयु....

अध्यक्ष : आप विषय से हटकर...

डॉ0 रामानुज प्रसाद : डायवर्सन लग रहा है, लेकिन राज्य के गरीबों के हित में है कि 14 वर्ष तक आयु तक हम शिक्षा देते हैं, वह मात्र आठ क्लास तक पहुंच पाता है और गरीब के बच्चे वहां से ड्रॉप-आउट होते हैं ..

अध्यक्ष : रामानुज जी, इस विषय का इस विधेयक से कोई संबंध है क्या ?

डॉ0 रामानुज प्रसाद : विधेयक है न ।

अध्यक्ष : आप क्यों सब बोलते जा रहे हैं !

डॉ0 रामानुज प्रसाद : इस विधेयक से संबंध है, मैं उदाहरण के साथ कहना चाहता हूँ, इंटरमीडियट काउन्सिल के अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष, पहले जो विद्वान लोग शिक्षाविद् होते रहे थे, जो स्कॉलर होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, उनको रखा जाय ।

अध्यक्ष : अब आप बैठ जाइए । श्री महबूब आलम जी । आप बोलिए ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, यहां लिखा हुआ है कि "संसदीय लोकतंत्र में विरोधी दल सरकार के ही अंग माने जाते हैं ।"

अध्यक्ष : यह तो आपके लिए लिखा हुआ है, दूसरे को क्यों पढ़ा रहे हैं ?

श्री महबूब आलम : महोदय, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि सत्ता पक्ष ने यह मान लिया है कि वे जो कहते हैं, वह सही है, उससे कोई गलती हो नहीं सकती है । यह तो तानाशाही रवैया है, महोदय । अपने-आप में कोई परिपूर्ण नहीं हो सकता है तो हमारे विद्वान और माननीय सदस्यों ने जितने भी संशोधन पेश किये, उन संशोधनों पर विचार-विमर्श किये बिना आपने हां और ना में निरस्त कर दिया, रिजेक्ट कर दिया ।

अध्यक्ष : महबूब जी, सभी संशोधन, जिस भी माननीय सदस्य ने अपना संशोधन मूव किया है, उन सब पर विमर्श हुआ है, उन्होंने अपनी बात रखी है । आपने कोई संशोधन नहीं दिया, उसकी भरपायी अभी कुछ बोलकर मत करिए ।

श्री महबूब आलम : महोदय, आप देखिए संशोधन- खंड-11 में हमारे माननीय सदस्य श्री रामदेव बाबू ने कहा कि फीस निर्धारण में अनुसरण नीति का अक्षरशः पालन किया जायेगा ..

अध्यक्ष : उस समय तो आपने कुछ कहा नहीं । आप तो उनके प्रस्ताव पर हां भी नहीं बोले रहे थे, मैं सुन रहा था, आप हां कहां बोले थे उनके प्रस्ताव पर, आप क्यों नहीं कर रहे थे ? आगे कोई बात कहनी हो तो बोलिए न ।

श्री महबूब आलम : यही बात है महोदय ।

अध्यक्ष : आपकी बात हो गयी । माननीय मंत्री जी ।

(व्यवधान)

श्री मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, पहले परिपाटी थी कि पहले से एम0एल0ए0, एम0पी0 काउन्सिल के मेम्बर रहते थे लेकिन इसमें खत्म कर दिया गया है तो मेरा कहना है कि मेम्बर को रखने की व्यवस्था करायी जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

(व्यवधान)

मंत्री जी, अब आप आसन की ओर देखकर अपनी बात अनवरत जारी रखिए ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय कतिपय सदस्यों ने और खास करके हमारे सिद्दिकी साहेब ने बहुत ही तफसील के साथ अपनी बातों को रखा और मुझे लगा कि अच्छे वक्ता के रूप में तो इनकी पहचान है ही पहले से भी लेकिन आज कुछ ज्यादा निखार का अहसास हुआ । जिन बातों को उन्होंने रखा, बड़े असरदार तरीके से रखा । मगर हम समझते हैं कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, जब आप इसके तफसील में जाइयेगा तो आपको इसकी कतई जरूरत महसूस ही नहीं होगी । बहुत सोच-समझकर विचारोपरांत यह विधेयक लाया गया है और आप सब जानते हैं कि 1952 में यह कानून आया था और इसके माध्यम से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का गठन हुआ था । उस वक्त से आज की परिस्थितियॉं, आज के हालात में काफी फर्क आया है, यह हम और आप सब महसूस करते हैं कि जो हालात और जो परिस्थितियॉं उस वक्त रही होंगी, उसके मुकाबले आज के हालात काफी बदले हुये हैं और उस वक्त जो हमारे जरूरियात थे, उसमें भी इजाफा हुआ है ।

कहने का मकसद यह है कि जरूरत इजाद की मॉं होती है, आवश्यकता अविष्कार की जननी है । (व्यवधान) जरूरत इजाद की मॉं होती है ।

अध्यक्ष : मंत्री जी इजाद कह रहे हैं, वह शब्द नहीं बोल रहे हैं, लफ्ज बोल रहे हैं ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे संशोधन भी आये और बहुत सारे विद्वान और हमारे काबिल मेम्बरान लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया । गलतफहमी यहॉं पर यह हो रही है कि इसको सही ढंग से समझने की जरूरत है और अगर आप सही ढंग से, ईमानदारी पूर्वक इसको देखियेगा तो लगेगा कि यह बहुत जरूरी था, आज के वक्त की मॉंग थी । अब क्या हो गया महोदय, क्या हुआ है, हालात में क्या तब्दीली आई, परिस्थितियॉं कितनी बदली हैं कि

जब विद्यालय परीक्षा समिति था तो उस समय संख्या के भी हिसाब से चलिये कि कितने लड़के-लड़कियॉं सम्मिलित होते थे, कितनी लोगों में तालीम थी, ग्रामीण क्षेत्र में तो कुछ था ही नहीं, तो यह सब नई-नई चीजें पैदा होती गईं और आज के हालात में यह आवश्यक हो गया, वर्कलोड बढ़ा, नये टेक्निक हुये, नये टेक्निक से आप बताइये कि 28 दिन में रिजल्ट आ जाय, यह कभी संभव था, किसी ने सोचा था ? यह बिहार ने साबित करके दिखाया और आज इसकी चर्चा हो रही है, दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं यह टेक्निक सीखने के लिए कि भाई ऐसी कौन सी बात हो गई, क्या कमाल हो गया कि 28 दिन में रिजल्ट आ गया इंटर और मैट्रिक का... ...क्रमशः...

टर्न-26/राजेश/25.7.19

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : क्रमशः... तो यह सब काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जरुरत पड़ती है, समय के साथ-साथ जरुरत पड़ती है और ऐसा महसूस किया गया, अब बहुत सारे हालात हैं, नई टेक्नीक आयी है, इस नई टेक्नीक के इजाद से फिर हमलोग रिजल्ट में उसका सहारा ले रहे हैं, तो यह टेक्नोलॉजी बढ़ा है, मुनासिब है कि इसके साथ-साथ हमें नये विधेयक लाने की जरुरत हुई और यह जो नया विधेयक आया है, इसके तफसील में जायेंगे, तो आपको इसकी उपयोगिता का एहसास हो जायेगा और आप मानेंगे कि यह वक्त की जरुरत है और इसका आना जरुरी था, इसलिए हम समझते हैं कि इसपर बहुत सारे माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे और वक्त भी बहुत ज्यादा हो गया है, सारी बातें हो चुकी हैं और हम समझते हैं कि इसकी उपयोगिता ....(व्यवधान)

इसपर ज्यादा तफसील में जाने की क्या जरुरत है, मुख्तसर अंदाज में ही बात समझ में आ जाय, स्थिति स्पष्ट हो जाय, तो ज्यादा तफसिलात में क्यों जाए.....(व्यवधान)

अध्यक्षः आप माननीय सदस्यों की समझदारी के प्रति आश्वस्त हैं ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्रीः जी, बिल्कुल । इसलिए उपयोगिता इसकी जरुरत थी और इसको जेहन में रख करके यह विधेयक लाया गया है और राज्य की जो जरुरत थी और जिसतरह से हम विकास करना चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, हम जहॉं पहुंचना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उसके लिए इसकी जरुरत

थी और यह बहुत ही आवश्यक था, इसलिए यह विधेयक लाया गया है और हम समझते हैं कि इससे .....

आपने सवाल ही कहॉ किया है, आप तो मेरे उस्ताद रहे हैं । आप पहले हमारा एक शेर तो सुन लीजिये..... (व्यवधान)

अध्यक्ष: आप माननीय मंत्री जी, दो पंक्तियों में ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: हॉ सर, दो पंक्तियों में । एक शेर है, उसको सुन लिया जाय:

''हम अपने अमल का हिसाब क्या देते,
सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते ।''

इन्हीं मुख्तसर अल्फाज के साथ, मैं आप सबों से गुजारिश करता हूँ कि इस विधेयक को सदन स्वीकृति प्रदान करे ।

अध्यक्ष: दो पंक्तियॉ काफी थीं ।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि:

''बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विधेयक, 2019
स्वीकृत हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विधेयक, 2019 स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 25 जुलाई, 2019 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या- 58 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 26 जुलाई, 2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।